इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गये विचार संबंधित लेखक के हैं। यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय उन विचारों से सहमत हो।
इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया गया हो।

संपादक-मंडल

संपादक

सी. आर. गोपालसुंदरम
प्राचार्य और मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य

एन. पी. सिन्हा
मुख्य महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

के. सी. चौधरी
सचिव, भारतीय बैंक संघ, मुंबई

प्रेम सेठी
महा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

एस. सी. तिवारी
मुख्य (राजभाषा), पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली

श्री बसुनायक द्विवेदी
मुख्य प्रबंधक, देना बैंक, मुंबई

श्री के. के. गुप्ता
उप महा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

डॉ. श्रीनिवास द्विवेदी
महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. राजेश्वर गंगवार
महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

वि. अ. कर्णिक
उप प्राचार्य और महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

जसबीर सिंह
महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य-सचिव

आशा वशिष्ठ
सहायक महा प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग
दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028.

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

विषयसूची

पृष्ठ सं.

संपादकीय 1

अनुचिंतन 4

लेख

- कार्यशील पूंजी का वित्तपोषण – डॉ. चन्द्रशेखर व्यास 5
- इंटरनेट जेब में – डॉ. राजेश्वर गंगवार 12
- बड़े बकायादारों से ऋण वसूली के लिए – ऋण वसूली न्यायाधिकरण – डॉ. बी. बी. सिंह 16
- बैंकिंग क्षेत्र में सुधार – श्री प्रह्लाद सबनानी 21
- फैक्टरिंग – श्री दिनेश मित्तल 26
- अगले दशक में भारतीय बैंकिंग का स्वरूप – श्री आर. एल. रेगर 29
- बैंकों की लाभप्रदता एवं उनका सामाजिक दायित्व – श्री हरभजन सिंह 34

बैंकिंग परिदृश्य 38

- कंप्यूटर परिभाषा कोश 42
- चेकों के लिए इमेज प्रोसेसिंग 46
- परिचालनगत दिशानिर्देश 48
- मौद्रिक प्रबंध 53

विशिष्ट जानकारी

- बैंकिंग विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तकें 55

महत्वपूर्ण परिपत्र 57

पुस्तक समीक्षा 67

लेखकों से 72

मूल्य : रु. 15/- वार्षिक शुल्क : रु. 60.00

शुल्क भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम मुंबई में देय माइकर ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित किया जाये।

संपादक, मुद्रक और प्रकाशक श्री सी. आर. गोपालसुंदरम, बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, वीर सावरकर मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028 द्वारा प्रकाशित तथा मौज प्रिंटिंग ब्यूरो, मुंबई - 400 004 में मुद्रित।

संपादकीय

वर्तमान दौर में निक्षेपागार प्रणाली ने शेयर बाज़ार के साथ ही प्रतिभूति बाज़ार के स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन कर डाला है। इसके परिणामस्वरूप इन बाज़ारों की तरलता और क्षमता में समृध्दि हुई है। इस बाज़ार से सदैव जुड़े रहनेवाले औसत निवेशक के लिए भी लेनदेन लागत में कमी आयी है। मैंने यह सोचा कि इस अंक में आपके लिए भारत में प्रचलित निक्षेपागार प्रणाली, उसके कार्य, सहभागी और इसके साथ ही इस प्रणाली के आनुषंगिक लाभों का विहगावलोकन प्रासंगिक होगा।

आज पूरे विश्व में शेयर बाज़ारों का कारोबार पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में संपन्न होता है जहां परंपरागत कागजी रूप में किये जानेवाले लेनदेनों का स्थान इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों ने ले लिया है। इनमें ऑन-लाइन व्यापार, लेनदेनों का ऑन-लाइन समतुल्यन और शेयर बाज़ार में होनेवाले ऑन-लाइन कार्यों के अन्य सभी प्रकार शामिल हैं। उदाहरणार्थ 'दि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्यूरिटीज़ डीलर्स ऑटोमॅटेड कोटेशन सिस्टम्स' या 'नासडैक' का गठन सुविकसित उच्च प्रौद्योगिकी के आधार पर किया गया है। तीस के समूह या जी 30, जिसमें तीस देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं, ने सिफारिश की है कि ``प्रत्येक देश में एक प्रभावी और पूर्णतः विकसित केन्द्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार होना चाहिए जिसका गठन और प्रबंधन ऐसा हो जो अधिकतम सीमा तक उद्योगों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहभागिता को प्रोत्साहित करे। पात्र निक्षेपागार लिखत यथासंभव व्यापक होने चाहिए। वित्तीय लिखतों की स्थिरता अथवा अभौतिकीकरण के लिए अधिकतम संभाव्य प्रयास किये जाने चाहिए। यदि एक ही बाज़ार में कई केन्द्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार मौजूद हों तो उन्हें निपटान जोखिम कम करने और निधियों एवं उपलब्ध प्रति-संपार्श्विकता का कारगर प्रयोग करने के उद्देश्य से संगत नियमों और कार्यप्रणाली के अधीन कार्य करना चाहिए।''

भारत सरकार द्वारा 1991 के बाद वित्तीय क्षेत्र में किये गये व्यापक सुधारों के परिणामस्वरूप और शुरू किये गये वैश्वीकरण उपायों के एक भाग के रूप में यह महसूस किया गया कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पूंजी बाज़ारों के लिए व्यापक संभावना है अतएव भारत में पूंजी बाज़ारों को विकसित किया जाना चाहिए। यह पाया गया कि बढ़ते वित्तीय एकीकरण के इस दौर में पूंजी बाज़ारों को कारगर ढंग से कार्य करने के लिए उपयुक्त बाज़ार संरचना, स्वस्थ विनियामक और कानूनी ढांचे का होना आवश्यक है। तत्कालीन पूंजी बाज़ार अविकसित और स्वचालन रहित शेयर बाज़ारवाले थे जो पर्याप्त चल निधि उपलब्ध नहीं करा पाते थे और उनके कार्यों में अपेक्षित पारदर्शिता भी नहीं होती थी। इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने भारत में सुनियोजित और विनियमित रूप में निक्षेपिकी सेवाएं शुरू करने के लिए निक्षेपागार अधिनियम, 1996 बनाया। भारत में हमने अभौतिकीकरण का मार्ग अपनाया है। इस प्रणाली के अंतर्गत निवेशक प्रतिभूतियों को मूर्त रूप में या निक्षेपागार रूप में रख सकता है। प्रतिभूतियां परस्पर विनिमेय होती हैं और निक्षेपागार में रखी प्रतिभूतियों के संदर्भ में सभी अधिकार हिताधिकारी (निवेशक) के पास होते हैं न कि निक्षेपागार के पास। निक्षेपागार केवल पंजीकृत स्वामी के रूप में कार्य करता है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने सरकार को आवश्यक विनियामक समर्थन प्रदान किया है।

आवश्यकता और उद्देश्य

पूरे विश्व में सबसे अधिक सूचीबध्द कंपनियां भारत में हैं और निवेशक आधार बहुत व्यापक है। कागजी प्रमाणपत्रों की मूर्त रूप में सुपुर्दगी पर आधारित निपटान प्रणाली, बढ़ते हुए बाज़ार और परिचालनात्मक जोखिमों तथा अक्षमताओं से ग्रस्त थी क्योंकि इसमें शेयरों के अंतरण में अनावश्यक देरी, डुप्लीकेट (अनुलिपि)/जाली/नकली शेयर, दोषयुक्त सुपुर्दगी, चोरी, विवाद, लेनदेन की भारी लागत, निपटान

की लम्बी प्रक्रिया, भारी मात्रा में कागजों की सार-संभाल आदि का खतरा होता था। ये घटक बाज़ार में निवेशकों के प्रवेश के लिए बाधा बने हुए थे और इनके कारण ही सरकार को देश में निक्षेपागारों की स्थापना करनी पड़ी ताकि लिपिरहित लेनदेन और शीघ्र निपटान चक्रों को सुकर बनाया जा सके। निक्षेपागार अभिरक्षक मात्र नहीं है। निक्षेपागार कानूनी रूप से हिताधिकारी के स्वामित्व का अंतरण कर सकता है जो अभिरक्षक नहीं कर सकता। निक्षेपागार का प्रमुख उद्देश्य है प्रतिभूतियों के लेनदेन, निपटान और अंतरण में निहित कागजी कार्य को न्यूनतम रखते हुए निपटान जोखिम में कमी लाना।

निक्षेपागार और निक्षेपागार सहभागी– परिभाषा और संकल्पना

''निक्षेपागार'' का आशय है एक ऐसा स्थान जहां सुरक्षित रखने के लिए कोई वस्तु जमा की जाती है; एक बैंक जिसमें दूसरों द्वारा आम तौर पर विशिष्ट निक्षेपागार करार की शर्तों के अधीन निधियां या प्रतिभूतियां जमा की जाती हैं। निक्षेपागार अधिनियम, 1996 में निक्षेपागार को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि यह एक कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन गठित और पंजीकृत की गयी हो तथा जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी) की धारा 12 की उप-धारा (1 अ) के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र दिया गया हो। निक्षेपागार अधिनियम के अधीन सेबी को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी कंपनी को निक्षेपागार के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करे। इसके पश्चात कंपनी को सेबी को इस बारे में सन्तुष्ट करना होता है कि निक्षेपागार कारोबार शुरू करने के लिए उसकी प्रणालियां और क्रियाविधियां उचित हैं और तत्पश्चात सेबी से कारोबार शुरू करने का प्रमाणपत्र प्राप्त करना होता है। निक्षेपागार प्रतिभूतियों का केवल अभिरक्षक नहीं होता बल्कि वह बहुत कुछ बैंक जैसे कार्य करता है। यदि कोई निवेशक निक्षेपागार द्वारा दी जानेवाली सेवाओं का उपयोग करना चाहता है तो उस निवेशक को निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से निक्षेपागार में खाता खोलना होता है। यह किसी बैंक की सेवाओं का उपयोग करने के लिए उसकी शाखा में खाता खोलने के समान ही है। निक्षेपागार सहभागी, निक्षेपागार का एजेंट होता है और उसे निवेशकों को निक्षेपिकी सेवाएं देने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। निक्षेपागार प्रणाली में निक्षेपागार सहभागी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और वह एजेंट के रूप में कार्य करके निक्षेपागार और ग्राहक के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय संस्थाएं, बैंक, अभिरक्षक, शेयर दलाल, निक्षेपागार में निक्षेपागार सहभागी बन सकते हैं।

निक्षेपागार के कार्य

मोटे तौर पर कहा जाए तो निक्षेपागार एक खाते में प्रतिभूतियों को धारित करता है, खाता धारकों के बीच प्रतिभूतियों को अंतरित करता है और इस तरह से प्रतिभूतियों को मूर्त रूप में अन्तरण किए बिना स्वामित्व का अंतरण सुविधाजनक हो जाता है। निक्षेपागार के कार्यों को मोटे तौर पर निम्नलिखित पांच श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

विद्यमान शेयरों का अभौतिकीकरण

□ *अभौतिकीकरण या संक्षेप में 'डीमैट' एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भौतिक प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तित किया जाता है। ऐसा अपने पसंद के निक्षेपागार सहभागी के पास खाता खोलकर किया जा सकता है। इसके लिए निवेशक को डीमैट अनुरोध फार्म भरकर प्रमाणपत्र के अभौतिकीकरण के लिए निक्षेपागार सहभागी को सौंपना होता है। तत्पश्चात प्रमाणपत्र उनके जारीकर्ता/रजिस्ट्रार, यथास्थिति, को लौटा दिए जाते हैं और बाद में उन्हें विरूपित/नष्ट कर दिया जाता है तथा निक्षेपागार सहभागी के पास रखे निवेशक के खाते में उतनी ही संख्या में प्रतिभूतियां जमा कर दी जाती हैं। डीमैट किए गए शेयरों में कोई विशिष्टता या प्रमाणपत्र संख्या नहीं होती। ये शेयर परस्पर विनिमेय होते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग पंद्रह दिन लगते हैं। शेयरों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ज्यादा समय लग सकता है।*

पुनर्भौतिकीकरण

□ *पुनर्भौतिकीकरण यह अभौतिकीकरण की विपरीत प्रक्रिया है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में धारित प्रतिभूतियों को फिर से प्रमाणपत्रों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जो निवेशक अपनी प्रतिभूतियों का पुनर्भौतिकीकरण करना चाहता है उसे इसके लिए अपने निक्षेपागार सहभागी से अनुरोध करना होता है। निक्षेपागार सहभागी यह सत्यापित करने के बाद कि खाते में पर्याप्त जमा है निक्षेपागार को निवेशक का अनुरोध प्रेषित करता है। इसके बाद निक्षेपागार रजिस्ट्रार को सूचना*

देता है जो नये प्रमाणपत्र मुद्रित करके उसे निवेशक को प्रेषित करता है।

- नये निर्गमों की अभिरक्षा

निक्षेपागार नये निर्गमों में इलेक्ट्रॉनिक जमा भी उपलब्ध कराता है जिसके लिए निवेशक निक्षेपागार सहभागी के पास एक खाता खोलता है, निक्षेपागार को निक्षेपागार सहभागी-आइडी और ग्राहक-आइडी अर्थात् पहचान देते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है। रजिस्ट्रार निक्षेपागार को आबंटिती की सूची 'अपलोड' करता है और निक्षेपागार, निक्षेपागार सहभागी के पास रखे आबंटिती के खाते में जमा प्रदान करता है। दूसरे किसी भी सार्वजनिक निर्गम की तरह धन-वापसी, यदि कोई हो तो, रजिस्ट्रार द्वारा प्रेषित की जाती है।

- फुटकर निवेशकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेनदेनों का निपटान
- दलालों के लिए लेनदेन का निपटान
- डीमैट प्रतिभूतियों को गिरवी/दृष्टिबंधक रखने की सुविधा प्रदान करना
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में बोनस, राइट जैसे गैर-नकदी कंपनी लाभों को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना

निक्षेपागार के घटक

जारीकर्ता या कंपनी, जारीकर्ता का रजिस्ट्रार, निक्षेपागार सहभागी, समाशोधन सदस्य, शेयर दलाल, समाशोधन निकाय, निवेशक।

निक्षेपागार उपर्युक्त सभी घटकों से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है।

कानूनी ढाँचा

निक्षेपागार प्रणाली के लिए कानूनी ढाँचा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 द्वारा निर्धारित किया गया है। सेबी अपने निक्षेपागार और सहभागी विनियमावली 1996 द्वारा इसका विनियामक निकाय है। निक्षेपागार के उप-नियम और व्यवसाय नियम उसकी कार्यप्रणाली को संचालित करते हैं। निक्षेपागार, उपर्युक्त के अलावा कंपनी अधिनियम, 1956; भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899; सेबी अधिनियम, 1992; प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956; बेनामी लेनदेन (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988; आय-कर अधिनियम, 1961 तथा बैंककारी बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 के कतिपय उपबंधों के भी नियंत्रणाधीन हैं।

भारत में दो निक्षेपागार हैं-अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) और केन्द्रीय निक्षेपागार सेवा (भारत) लिमिटेड (सीडीएस)। देश के पहले निक्षेपागार के रूप में एनएसडीएल की स्थापना 1996 में की गयी और इसके संयुक्त प्रवर्तक हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), भारतीय यूनिट ट्रस्ट (यूटीआई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई)। इसके बाद भारतीय स्टेट बैंक ने एनएसडीएल में 4.76 प्रतिशत धन लगाया। सीडीएस के प्रवर्तक हैं-बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक। सेबी इन दोनों निक्षेपागारों के लिए विनियामक प्राधिकरण है।

मुझे विश्वास है कि आनेवाले वर्षों में हम यह कह सकेंगे कि भारतीय पूंजी बाज़ार वास्तव में विकसित हुआ है।

आपका

सी. आर. गोपालसुंदरम

अनुचिंतन

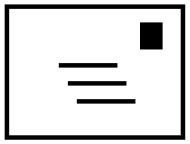

मैंने आपकी पत्रिका अपने स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र में पढ़ी और इससे मुझे बहुत उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई। कृपया इसके दो-तीन अंक यथाशीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि मुझे सीएआईआईबी परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सके।

– सुधीर रोंगी
61, भार्गव कालोनी, गुना 473 001,मध्य प्रदेश

आपसे निवेदन है कि आप जिन अंकों को मुझे प्रेषित करते हैं उस पर पता कृपया अंग्रेजी में ही लिखकर भेजें। हिन्दी में लिखने के फलस्वरूप हमें अंक देरी से प्राप्त हुआ।

– के. कनगराज
69, पहली मंजिल, II क्रास स्ट्रीट
के. वी. एण्ड एल. नगर, करूर 639 002

आपके द्वारा प्रकाशित पत्रिका के लेख अत्यंत ज्ञानवर्धक और आसानी से समझने योग्य होते हैं। मैं चाहता हूं कि इतनी उपयोगी पत्रिका मेरी अपनी होनी चाहिए। अत: मैं आवश्यक ड्राफ्ट आपको प्रेषित कर रहा हूं।

– अशोक कुमार गुप्ता
मोतीनगर कालोनी, लखीमपुर खीरी
उत्तर प्रदेश 262 701

आपकी पत्रिका में दी गयी सामग्री जहां संग्रहणीय है वहीं बैंकिंग क्षेत्र में उपलब्ध करायी गयी विविध जानकारियां बैंकर के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। कम्प्यूटर से संबंधित परिभाषा कोश का प्रारंभ एक अच्छी शुरूआत है क्योंकि आधुनिक युग में कम्प्यूटर के बिना सब शून्य है।

– राम रतन
मुख्य प्रबंधक, राजभाषा
आंचलिक कार्यालय, गुजरात अंचल
भद्र, पो. बा. सं. 8, अहमदाबाद 380 001

``ऋण प्रबंधकों के नीति-नियम'' और डॉ. सिंहल का लेख ``अगले दशक में बैंकिंग'' को पढ़कर ऐसा लगा कि मैं किसी स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण ले रहा हूं। मुझे आपकी पत्रिका के हर अंक का बेसब्री से इंतजार रहता है। बैंकिंग क्षेत्र में अपनी अनूठी मिसाल दिनोदिन कायम करते हुए यह पत्रिका लोकप्रिय होती जा रही है।

– उत्तम श्रीवास्तव
सहायक
दि बनारस स्टेट बैंक लि.
वजीरगंज (बदायूं) 202 526, उत्तर प्रदेश

पाली जिला मुख्यालय है एवं यहां भारतीय स्टेट बैंक तथा सहायक बैंकों की कुल 6 शाखाएं हैं तथा यहां सीएआईआईबी का सब सेंटर भी है । अन्य बैंकों की 10 शाखाएं मिलकर कुल 16 शाखाएं तथा करीबन 200 कर्मचारी कार्यरत हैं। अत: आपके यहां से प्रकाशित उक्त हिन्दी प्रकाशन की 2-3 प्रतियां - त्रैमासिक अंतराल से भेजने का कष्ट करें जो हमारे यहां बहु-उपयोगी और सार्थक सिध्द होंगी।

– के. एल. नलवाया
शाखा प्रबंधक
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, सुराणा मार्केट
पाली 306 401

आपकी पत्रिका में दिये गये लेख उच्च कोटि वाले विद्वानों के होते हैं। लेखों के साथ-साथ शब्दावली भी दी जाती है। मेरा विश्वास है कि यदि हम सभी इन लेखों को पढ़ें तो हम बैंकिंग संबंधी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। हिन्दी में कई पुस्तकों की समीक्षा भी की जाती है इससे पुस्तकों के बारे में नवीनतम जानकारी भी प्राप्त होती है। मेरे विचार में यदि इन लेखों के साथ हास्य-व्यंग्य चित्र भी दे दें तो हिन्दी से विमुख हुए कर्मचारी भी प्रोत्साहित होंगे।

– एस. के. तुली, प्रबंधक
केनरा बैंक
राजभाषा कक्ष, क्षेत्रीय कार्यालय,
स्पेशल-1 ए, गोपीनाथ मार्ग,जयपुर 302 001

मैं इंडियन बैंक की सरसोना शाखा में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूं। कई अवसरों पर मुझे क्षेत्रीय कार्यालय में उक्त पत्रिका को देखने और पढ़ने का मौका मिला और मैं उसमें संग्रहित विषय-वस्तु को पढ़कर काफी प्रभावित हुआ हूं। कृपया पत्रिका के लिए मेरा अभिदान स्वीकार करें।

– संतोष कुमार कापड़ी
लक्ष्मी सागर, (दुग्ध आपूर्ति योजना के निकट)
दरभंगा (बिहार) 846 009

बैंकिंग विषयों को समर्पित बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन के इस वर्ष के चारों अंक मुझे भेजने की कृपा करें ताकि वह मेरी सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए सहायक हो सके।

– मिलिन्द गोयल
द्वारा श्री अनिल कुमार गोयल
मकान नं. 105, मोहल्ला चाकलान
कनखल, जिला हरिद्वार
उत्तर प्रदेश 249 408

अपने एक मित्र के माध्यम से मुझे आपकी पत्रिका का रसास्वादन करने का मौका मिला, बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हुईं। इस कारण मैंने भी इसकी वार्षिक सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया है। राजभाषा हिन्दी में इसका प्रकाशन अत्यंत सराहनीय है और इसकी उपयोगिता स्वयं सिध्द है।

– मनोज सिंह
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा साउथझगराखंड,
जिला कोरिया, मध्य प्रदेश 497 448

कार्यशील पूंजी का वित्तपोषण

डॉ. चन्द्रशेखर व्यास
अनुदेशक
बैंक ऑफ इंडिया
आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र
28/29 नॉर्थ मेन रोड
कोरेगांव पार्क, पुणे.

राष्ट्रीयकरण से पहले अग्रिम अथवा ऋण देने से पूर्व बैंक ऋणकर्ता द्वारा सुपुर्द की जानेवाली प्रतिभूतियों को आधार मानते थे। उस समय प्राथमिकता क्षेत्र जैसे सामाजिक दायित्व की अथाह चुनौती को निभाने की चिन्ता नहीं थी। बैंक जमा राशियों के स्रोतों से बड़े–बड़े घरानों और उद्योगपतियों, व्यापारियों को ही सिंचित करते थे । परन्तु जब सामाजिक दायित्व का निर्वाह उत्तरोत्तर आवश्यक बनता गया तो बैंकों को अपने स्रोतों के परिमाण और सामाजिक दायित्व निर्वाह के साथ लाभप्रदता के लक्ष्य में तनाव और उलझन महसूस होने लगी ।

परम्परागत साख उपलब्ध कराने के प्रचलित तौर-तरीकों के पुनर्वीक्षण के साथ साख के मूल्यांकन और प्रबन्धन का यह महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अवसर था । अतः रिज़र्व बैंक ने जुलाई 1974 में भी श्री पी. एल. टंडन तत्कालीन अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक पंजाब नेशनल बैंक की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल गठित किया । दल ने अक्तूबर 1974 में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जो टंडन समिति रिपोर्ट के नाम से प्रख्यात है । इस रिपोर्ट ने व्यावसायिक बैंकों द्वारा उद्योग को दिये जाने वाले दुर्लभ स्रोतों के विवेकपूर्ण नियोजन का भगीरथ प्रयत्न किया । नीचे हम समिति द्वारा प्रस्तावित साख मूल्यांकन प्रणाली की चर्चा करते हैं ।

उधार देने की विधियाँ

टंडन समिति की सिफारिशों में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अवधारणा है ``**सारभूत चालू आस्तियाँ**'' । चालू आस्तियों के स्तर का एक भाग ऐसा है जो अन्य समस्त चालू आस्तियों का केन्द्र अथवा बीज या आधार माना जा सकता है । उदाहरणार्थ कच्चे माल के क्षेत्र में जब यह देखा जाता है कि स्टॉक कम हो रहा है और माल की खरीद हेतु ऑर्डर दिया जाता है और ऑर्डर किये हुए माल की प्राप्ति तक उत्पादन बनाये रखने हेतु वास्तविक स्तर ऑर्डर के स्तर से नीचे तक पहुँच जाता है, परन्तु उत्पादन में कोई अड़चन नहीं पड़ती । अगर इस स्तर से भी अधिक निचले स्तर पर जाना पड़ जाए तो उत्पादन में कोई अड़चन नहीं पड़ती, अगर इस स्तर को सारभूत आस्ति स्तर की संज्ञा दी जा सकती है । सारभूत स्तर के रख रखाव के कारण कच्चेमाल में अचानक कमी अथवा उत्पादन वृद्धि की आकस्मिक आवश्यकता जैसी विषम परिस्थितियों से अल्पकालीन रक्षाछत्र प्राप्त किया जा सकता है । समग्र स्टॉक स्तर के इस अंश का वास्तविक स्वभाव स्थिर आकृति जैसा है । अतः टंडन समिति के अनुसार इसका वित्तपोषण ऋणकर्ता को लम्बी अवधि हेतु प्राप्त संसाधनों से करना चाहिए ।

समिति ने यह स्पष्ट किया कि ऋणकर्ता को आवश्यक कार्यशील पूंजी का निश्चित भाग ही वित्तपोषित किया जाना चाहिए न कि समूची कार्यशील पूंजी । कार्यशील पूंजी में ऋणकर्ता द्वारा लम्बी अवधि के संसाधनों से निकाल कर लगाया जाने वाला अंशदान उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए । समिति ने अनुमत बैंक वित्तपोषण का परिमाण सुनिश्चित करने हेतु तीन विधियाँ प्रस्तावित कीं ।

प्रथम विधि के अनुसार कार्यशील पूंजी के अन्तर का 75 प्रतिशत अनुमत बैंक वित्तपोषण हो सकता है जबकि कार्यशील पूंजी के अन्तर का अर्थ है समस्त चालू देयताओं (जिसमें बैंक से लिया हुआ अग्रिम / ऋण शामिल न हो) के घटाने पर प्राप्त होने वाली राशि ।

दूसरी विधि के अनुसार ऋणकर्ता को समस्त चालू आस्तियों का 25 प्रतिशत लम्बी अवधि के संसाधनों से वित्तपोषित करना है । इस प्रकार समस्त आस्तियों के 75 प्रतिशत के समतुल्य राशि से चालू आस्तियों की राशि (जिसमें बैंक से प्राप्त अग्रिम / ऋण शामिल न हो) को

घटाकर प्राप्त होने वाली राशि अनुमत बैंक वित्तपोषण राशि है ।

तीसरी विधि के अनुसार समस्त चालू आस्तियों की राशि से सर्वप्रथम सारभूत चालू आस्तियों की राशि घटा ली जाती है (जिसे ऋणकर्ता लम्बी अवधि के संसाधनों से जुटाता है) और वास्तविक चालू आस्तियों की राशि प्राप्त कर ली जाती है । इस तरह प्राप्त राशि का 25 प्रतिशत (जो ऋणकर्ता द्वारा लम्बी अवधि के संसाधनों से निकाल कर लगाया जाना चाहिए) इसमें से घटाने से प्राप्त होने वाली राशि ही अनुमत बैंक वित्तपोषण राशि है ।

टंडन समिति के मार्गदर्शक प्रयत्नों में साख आकलन के तकनीक में युगान्तरकारी परिवर्तन सुझाये गये थे किन्तु यथेष्ट समय के बाद भी बैंक इन सुझावों के व्यापक स्तर पर कार्यान्वयन में चुस्त नहीं थे । अतः रिज़र्व बैंक ने बैंकों की उधार देने की प्रक्रिया को उसकी समग्रता में गहन अध्ययन हेतु अप्रैल 1979 में श्री के. बी. चोरे की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल का गठन किया जिसने मई 1979 में अन्तरिम रिपोर्ट और अगस्त 1979 में अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की । समिति के समक्ष निम्नलिखित उद्देश्य थे :

(1) नकद उधार प्रणाली विशेष कर स्वीकृत सीमा और उपयोग में लायी गयी राशि के मध्य अन्तर का पुनरीक्षण ।

(2) उपर्युक्त पुनरीक्षण द्वारा इन बिन्दुओं पर मार्गदर्शक सुझाव प्रस्तुत करना ।
   (क) वाणिज्यिक बैंकों की निधियों के विवेकशील प्रबन्धन के मद्देनज़र ऋण प्रणाली में परिवर्तन ।
   (ख) ऋण सुविधाओं के वैकल्पिक प्रकारों का समुचित निर्धारण जिससे साख अनुशासन को सुनिश्चित किया जा सके तथा बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण सीमाओं को उद्योग के बढ़ते हुए उत्पादन स्तर से जोड़ा जा सके ।

(3) अन्य सम्बन्धित विषय पर सुझाव ।

चोरे समिति ने विश्व के कुछ विकसित देशों में प्रचलित ऋण प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन की पृष्ठभूमि में अपने देश में व्यवहृत कार्यशील पूंजी प्रणाली का मूल्यांकन किया । समिति के अनुशीलन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह था कि यद्यपि कुल अग्रिम में सावधि ऋण का हिस्सा बढ़ता जा रहा है, तो भी नकदी ऋण प्रणाली का वर्चस्व बना हुआ है । इसका कारण यह है कि नकदी ऋण प्रणाली में ऋण में ऋणकर्ता की अधिकतम आवश्यकताओं के आधार पर अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है और उसे जरूरत पड़ने पर सीमा के अन्दर धन राशि निकालने की अनुमति रहती है । अतः स्पष्ट है कि ऋण सीमाओं का एक भाग इस्तेमाल के बगैर पड़ा रहता है, जिससे बैंकों द्वारा साख के सृजन को संतुलित रखने में रिज़र्व बैंक को कठिनाई होती है । क्योंकि जब भी रिज़र्व बैंक साख संकुचन के प्रयास करता है ऋणकर्ता साख सीमाओं के अप्रयुक्त भाग को तुरन्त निकाल कर मुद्रा नियंत्रण के उपाय को व्यर्थ कर देता है । औसतन ऐसा देखा गया कि एक तिहाई स्वीकृत सीमा अप्रयुक्त रह जाती है । यद्यपि टंडन समिति के सुझावों के अनुसार बैंक स्टॉक विवरणियों के आधार पर साख सीमा / **आहरण शक्ति** का निर्धारण करते हैं, परन्तु अप्रयुक्त ऋण सीमा की समस्या का निवारण नहीं हो पाया । समिति ने नकदी उधार ऋण तथा बिल प्रणालियों के गुण-अवगुण की विवेचना में यह दिखाया कि ऋण व्यवस्था में निधि-प्रबंधन नकदी ऋण की अपेक्षा अधिक सुगम है । साख प्रसार में संकुचन की आवश्यकता पड़ने पर और अधिक ऋण न देकर रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का कारगर पालन किया जा सकता है । ब्याज की गणना भी इस प्रकार के खाते में सरल होती है अतः बैंक की आय में होने वाला रिसाव अपेक्षाकृत कम हो सकता है । परन्तु नये ऋण देकर पुराने ऋण चुकाने जैसी दुर्बल रीति से इसकी अच्छाई को बिगाड़ा भी जा सकता है । ऋण व्यवस्था में ऋणकर्ता को लचीलेपन का अभाव प्रतीत होना स्वाभाविक है, क्योंकि व्यापार में अनेक बार माँग और आपूर्ति के ऐसे दबाव आते हैं कि साख की बढ़ोतरी अथवा तरलता के त्वरित प्रयोग की आवश्यकता पड़ जाती है । अतः ऋणकर्ता की वास्तविक आवश्यकता की ओर उन्मुख बैंक द्वारा दिये वित्त में ऋण अथवा नकदी ऋण व्यवस्था दोनों व्यवहार में एक जैसी पायी जाती है । अप्रयुक्त नकदी ऋण सीमा का उपयोग अथवा नकदी ऋण व्यवस्था में काम चलाऊ ऋण देकर एक ही उद्देश्य की सिद्धि होती है । हमारे देश में बिल प्रणाली नकदी ऋण प्रणाली का पुछल्ला बन कर रह गई है । चोरे समिति से पूर्व भी बिल प्रणाली के प्रगामी उपयोग के सुझाव दिये जा चुके थे । बिल प्रणाली में बैंक को अपने अल्प अवधि के **नकद अतिशय** को लाभकारी और सुरक्षित तरीके से उपयोग में लाने की अच्छी गुंजाइश है । इसके सुरक्षित होने का अर्थ यह है कि बिल के अन्तर्गत दिया गया ऋण स्वतः शोध्य है, परन्तु यही इसकी

सीमा भी बाँध देता है । बिल का इस्तेमाल कच्चे माल तथा तैयार माल / मशीन की खरीद / बिक्री हेतु किया जा सकता है । अतः बिल प्रणाली समग्र व्यापार के एक विशेष परिचालन क्षेत्र तक ही सीमित रह सकती है, यह प्रचलित ऋण प्रणाली की अनुपूरक है प्रतिस्थापक अथवा पर्याय नहीं ।

कोई भी प्रणाली अनपेक्ष रूप से श्रेष्ठ नहीं है । देखना यह है कि किसी भी विशेष सुविधा का सही-सही उपयोग हो । नकदी ऋण प्रणाली का उपयोग उत्तरोत्तर कम होना चाहिए, इसके स्थान पर बिल द्वारा पोषण की प्रणाली का इस्तेमाल होना चाहिए चाहे यह वित्तपोषण ऋणकर्ता फर्म द्वारा माल की खरीद हेतु हो या बिक्री के लिये । छोटे व्यापारियों की अल्पावधि की आवश्यकता पैकिंग ऋण और विशिष्ट आवश्यकताओं हेतु अस्थायी काम चालू ऋण सुविधाओं हेतु किस्तों में चुकाए जा सकने वाले ऋण की व्यवस्था ठीक रहती है । बिल द्वारा वित्तपोषण से नकदी ऋण प्रणाली पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सकता है और निश्चित समय में भुगतान प्राप्त होने के कारण ऋणकर्ता की तरलता को बढ़ाया जा सकता है ।

चोरे समिति के सावधि ऋण और बिल द्वारा वित्तपोषण के अधिक उपयोग द्वारा कार्यशील पूंजी के वित्तपोषित किये जाने के सुझाव का अर्थ यह नहीं है कि नकदी ऋण की व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है । उत्पादन हेतु समुचित स्टॉक को बनाये रखने के लिये नकदी ऋण व्यवस्था का उपयोग अत्यावश्यक है, परन्तु इसी के साथ **अदाकर्ता बिल वित्तपोषण** का उपयोग करने से नकदी ऋण व्यवस्था पर निर्भरता कम की जा सकती है ।

टंडन समिति द्वारा प्रस्तावित सारभूत आस्तियों के लिये सारभूत सावधि ऋण तथा इसके अतिरिक्त **परिवर्तनीय आस्तियों** हेतु नकदी ऋण देने के सुझाव का व्यावहारिक स्तर पर व्यापक इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था । समिति का यह सुझाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विक्रय के वित्तपोषण के दो सुपरिचित तरीकों, (1) बिल खरीद अथवा बट्टाकरण तथा (2) बही ऋण पर नकदी ऋण में दूसरे तरीके की बनिस्बत पहला बैंकिंग उद्योग का अधिक हितसाधक है ।

चालू आस्तियों को सारभूत और परिवर्तनीय इन दो वर्गों में विभाजित नहीं किया जा रहा था । इसी प्रकार त्रैमासिक सूचना विवरणियाँ भी अनियमित तौर पर प्रस्तुत की जा रही थीं । चोरे समिति के अनुसार सारभूत आस्तियों की अवधारणा बैंकों और ऋणकर्ताओं द्वारा उपयोग में नहीं लाये जा सकने के कारण मात्र सैद्धान्तिक बनकर रह गयी थी । जब तक सारभूत आस्तियों का स्तर कुल स्तर के किसी उच्च भाग जैसे 80 से 85 प्रतिशत तक नहीं हो तो सारभूत और परिवर्तनीय वर्गों में आस्तियों के वर्गीकरण के बाद भी नकदी ऋण व्यवस्था के सामान्यतया कम स्तर पर इस्तेमाल किये जाने की प्रवृत्ति से होने वाले संकट का निवारण नहीं किया जा सकता । मौसमी उद्योगों में सारभूत आस्तियों का नगण्य स्थान होता है । ऐसे खातों में जिनमें लेनदेन कम होता हो सारभूत स्तर स्वीकृत ऋण सीमा के आस पास ही पहुँच जाता है । उपर्युक्त कारणों से चोरे समिति ने टंडन समिति द्वारा नकदी ऋण व्यवस्था के दो भागों में (सारभूत तथा परिवर्तनीय) वर्गीकरण के विचार को छोड़ देना बेहतर समझा ।

चोरे समिति ने टंडन समिति द्वारा सुझायी गयी पहली विधि के बजाय दूसरी विधि को ही अनुकरणीय माना । यद्यपि पहली विधि के अनुपालन द्वारा ऋणकर्ता को अपने कार्य-व्यापार के संचालन में अधिक तरलता प्राप्त रहती है जिसका उपयोग वह व्यापार के विस्तार में कर सकता है । किन्तु चोरे समिति का तर्क यह था कि बैंक के संसाधनों को अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लगाया जाता है तथा मंझोले और बड़े ऋणकर्ताओं को पूंजी बाज़ार से पूंजी जुटाने के अन्य साधन (जैसे शेयर और डिबेंचर निर्गत करना) उपलब्ध हैं । अतः दूसरी विधि के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी का निर्धारण अधिक उचित है । जो ऋणकर्ता इस स्थिति में नहीं है कि उनके लिये दूसरी विधि के अन्तर्गत कार्यशील पूंजी निर्धारित की जा सके उन्हें मानक स्तर से ऊपर दी जाने वाली राशि **कार्यशील पूंजी सावधि ऋण** के रूप में प्रदान की जानी चाहिए जिसका भुगतान अधिक ब्याज दर पर नियत किस्तों में किया जाना चाहिए । समिति ने 10 लाख रुपये तथा इससे अधिक कार्यशील पूंजी के अग्रिम हेतु उपर्युक्त प्रस्ताव रखा जिसे तात्कालिक आधार पर क्रियान्वित किया जाना था ।

कार्यकारी सीमा

चोरे समिति ने **सामान्य अ-चरम स्तर** आवश्यकता तथा चरम स्तर-आवश्यकता की संज्ञा देते हुए वर्ष भर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को दो वर्गों में बाँटा । इससे

पहले कार्यशील पूंजी की स्वीकृत सीमा चरम स्तर की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती थी । ऋणकर्ता द्वारा पहले से ऋण सीमा के उपयोग को अच्छी तरह से जाँचने के पश्चात ही ऋण सीमा का निर्धारण किया जाना चाहिए। इस प्रकार से सीमा निर्धारण के बाद ऋणकर्ता द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक प्रक्षेपों के आधार पर ही नकदी ऋण खाते से धनराशि निकालनी चाहिए । अगर कभी अल्पकालिक, अस्थायी, कामचलाऊ ऋण की आवश्यकता पड़े तो इसके लिए एक अन्य ऋण खाता खोला जाना चाहिए । मुख्य ऋण सीमा के पूर्णतः इस्तेमाल हो चुकने के बाद ही यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए । इस अलग ऋण पर देय दर सामान्य से एक प्रतिशत अधिक होनी चाहिए । समिति के सुझावों के अनुसार ऋणकर्ता को प्रारूप (i) पर आनेवाली तिमाही से एक सप्ताह पहले उस तिमाही में उसके व्यापार के प्रवर्तन हेतु आवश्यक साख का ब्यौरा पेश करना चाहिए । प्रारूप में इंगित वित्तीय आवश्यकता ही चालू तिमाही की कार्यकारी सीमा मानी जाती है। बैंकों से अपेक्षा है कि वे अपने ऋणकर्ताओं में कार्यकारी सीमा की मर्यादा में रहने का संदेश प्रभावकारी ढंग से पहुँचाएं । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उन्हें एक अन्य त्रैमासिक विवरणी प्रारूप (ii) संदर्भित तिमाही के अन्त से छह सप्ताह के भीतर भेजना है जिसमें प्रक्षेपित प्राप्त ऋण तथा वास्तविक प्राप्त ऋण स्तर की तुलनात्मक विवरणी है। देखा यह जाना चाहिए कि तिमाही में खाते की उच्चतम अधिशेष राशि कार्यकारी सीमा के काफी करीब हो । कार्यकारी सीमा के निर्धारण में यह देखना है कि अनुमानित उत्पादन तथा अनुमानित बिक्री एवं अनुमानित चालू आस्तियाँ किस हद तक वास्तविकता के निकट हैं । ऋणकर्ताओं को प्रारूप I तथा II के अतिरिक्त प्रारूप III में अर्धवार्षिक कार्यकारी विवरणी और निधि प्रवाह विवरणी अर्धवर्ष के समाप्त होने के 2 महीने के भीतर प्रस्तुत करनी है, इसके साथ ऋणकर्ता को अर्धवार्षिक तुलनपत्र भी प्रस्तुत करना है । ध्यातव्य है कि त्रैमासिक विवरणियों के नियत समय तक बैंक में प्रस्तुत न किये जाने पर बैंक सामान्य से एक प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज लगाता है ।

यह दांडिक ब्याज ऋणकर्ता को प्राप्त समस्त कार्यशील पूंजी खातों पर एक तिमाही की अवधि के लिये देय है। अगर विवरणियाँ प्रस्तुत करने में 2 तिमाही से अधिक देर लगती है तो दांडिक ब्याज अधिक भी लगाया जा सकता है। अगर विवरणियाँ प्रस्तुत करने की चूक लगातार बनी रहती है तो ऋणकर्ता को नोटिस देकर खाते में परिचालन अवरूद्ध किया जा सकता है ।

अदाकर्ता बिल प्रणाली

प्राप्य बिलों के वित्तपोषण में बिल खरीद अथवा बिल बट्टाकरण सुगम और कारगर तरीका है । प्रस्तुत प्रचलित नकदी ऋण प्रणाली की तुलना में इसका प्रचलन कम ही है ।

समिति ने यह सुझाव दिया कि आरम्भ में बैंक नकदी ऋण सीमा का आधा भाग अदाकर्ता बिल प्रणाली द्वारा कच्चा माल जुटाने हेतु दे । सहूलियत के दृष्टिकोण से आरम्भ में बड़ी राशियों वाले बिलों को शामिल किया जाये । अदाकर्ता बिल प्रणाली के समुचित कार्यान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि इसका प्रभाव-क्षेत्र बड़े आपूर्तिकर्ताओं तक ही सीमित न रह जाए । अतः बड़े ऋणकर्ता अपने विविध लेनदारों के नियंत्रण खाते (1) लघु औद्योगिक इकाई और (2) अन्य, इन दो वर्गों में रखेंगे जिसे वे अपनी त्रैमासिक विवरणियों में सूचित भी करेंगे। अदाकर्ता बिल प्रणाली में लघु उद्योग क्षेत्र से आपूर्ति प्राप्त करने हेतु कुल ऋण सीमा का एक विशेष भाग नियत रखा जाना चाहिए । समिति के विचार में इस प्रणाली को व्यवहार में लाने पर स्टॉक नियंत्रण, कच्चे माल के क्रय, योजनात्मक कार्य प्रणाली तथा वित्तीय अनुशासन में सुधार अवश्यम्भावी है। इस प्रणाली में माल के विक्रेताओं का पूर्ण भरोसा रहता है कि उन्हें नियत तारीख तक माल का भुगतान प्राप्त हो जाएगा क्योंकि उन्हें जब बैंक अपने ऋणकर्ता ग्राहक की ओर से अपनी स्वीकृति व्यक्त कर देता है तो वे अपने बिलों को अच्छी दर पर बैंक द्वारा क्रय अथवा बट्टाकृत करा सकते हैं । यह प्रणाली माल के खरीदार के लिये भी लाभदायक है क्योंकि इस प्रणाली के अन्तर्गत उस पर आहरित बिल स्वीकार करने हेतु एक बैंक तैयार है । अतः वह अधिक सहूलियत की दर पर माल खरीद सकता है। खरीदार के बैंक को भी किसी प्रकार का जोखिम नहीं है क्योंकि बिल से संदर्भित माल पहले से प्रभारित स्टॉक का एक भाग बन जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खरीदार के वित्तपोषक बैंक को यह तथ्य अधिक प्रामाणिकता से पता रहता है कि प्रभारित माल में बिना भुगतान किये उधार पर खरीदा हुआ माल क्या और कितना है । इसी प्रकार आपूर्तिकर्ता के बैंक को भी इस लेन-देन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। वह चाहे तो इन बिलों को बट्टाकृत कर

अपनी निधि को तुरन्त उगाह सकता है । अदाकर्ता बिल प्रणाली के दो प्रकार हैं :

(1) **बिल सकारना** तथा

(2) **बिल बट्टाकरण**

बिल सकारना

इसमें आपूर्तिकर्ता अपने खरीदार पर बिल आहरित करता है और बिल को अपने बैंक में बट्टाकृत करके धनराशि प्राप्त कर लेता है । देय तिथि पर खरीदार का बैंक अपने ऋणकर्ता के खाते में बिल तथा ब्याज इत्यादि की राशि नामे डालकर बिल के आगम को आपूर्तिकर्ता के बैंक के पास भेज देता है । जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है बिल सकारने की तिथि से बिल से सन्दर्भित स्टॉक को खरीदार का बैंक प्रतिभूति के बतौर अपने अधिकार अथवा प्रभार में रख लेता है । ऋणकर्ता की कुल ऋण सीमा में अदाकर्ता बिलों पर दिये जाने वाले अग्रिम हेतु उपसीमा निश्चित की जा सकती है।

बिल बट्टाकरण

इसमें खरीदार का बैंक आपूर्तिकर्ता या उसके बैंक से बिल प्राप्त होने पर उसका बट्टाकरण कर आगम को खरीदार के लेनदार अथवा बैंक के पास भेज देता है । बिल संदर्भित स्टॉक को बैंक अपनी प्रतिभूति बना लेता है । बिल की देय तिथि पर बट्टाकृत बिल की राशि खरीदार ऋणकर्ता के खाते में नामे डाल दी जाती है ।

इन दोनों तरीकों में आपूर्तिकर्ता को तुरन्त भुगतान प्राप्त हो जाता है । खरीदार का बैंक सकारने / बट्टाकृत करने से उत्पन्न होने वाली देयता को एक अलग खाते में दर्शाता है । बिल में संदर्भित स्टॉक का लेखा जोखा अलग रखा जाता है ताकि आहरण सीमा का आकलन करने में सुविधा रहे।

चालू अनुपात में ह्रास हो जाने या इसके पीछे हटने की स्थिति व्यापार की कतिपय परिस्थितियों में अपरिहार्य हो जाती है । बैंक से यह अपेक्षा है कि वे वित्तपोषित औद्योगिक इकाइयों के 1.33 : 1 चालू अनुपात में ह्रास न आने दें, किन्तु विशेष उद्देश्यों की पूर्ति अथवा परिस्थितियों में बैंकों को यह भी अनुमति प्राप्त है कि अतीत में अच्छी उपलब्धियों के साथ सतत न्यूनतम 1.33 : 1 चालू अनुपात वाली औद्योगिक इकाइयों के चालू अनुपात में ह्रास को गुण-दोष के आधार पर मान्यता दें ।

नकदी ऋण प्रणाली की वर्तमान स्थिति

नकदी ऋण प्रणाली में समय पर सुधार होते रहे हैं । दहेजिया समिति (1969), टंडन समिति (1975), चोरे समिति (1979), चक्रवर्ती समिति (1985) – इन सबने नकदी ऋण प्रणाली में ``ऋण की ओर चलो'' का संदेश दिया । इसका अर्थ है नकदी ऋण प्रणाली का कुछ भाग माँग ऋण में परिवर्तित कर दिया जाए जिसे नियत किस्तों में ऋणकर्ता द्वारा चुका दिया जाए ताकि नकदी ऋण प्रणाली पर दबाव कम हो सके । पर इन सब समितियों की अनुशंसाओं को व्यावहारिक स्तर पर लागू करते रहने के बाद भी अपेक्षित सुधार नज़र नहीं आया । अतः एक नयी समिति को इस समस्या पर सुझाव हेतु नियुक्त किया गया ।

जिलानी समिति की अनुशंसाएं

अक्तूबर 1993 में नकदी ऋण प्रणाली में नये विकल्प अथवा सुझाव प्राप्त करने हेतु श्री रशीद जिलानी, अध्यक्ष, पंजाब नेशनल बैंक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ । इस समिति ने बैंकों द्वारा बेहतर नकदी प्रबंधन को दृष्टिगत रखते हुए प्रचलित नकदी ऋण प्रणाली की ओर बदलाव अथवा झुकाव की अनुशंसा की ।

समिति के प्रस्तावों के अनुसार मौजूदा नकदी ऋण सीमा को दो भागों में विभक्त होना चाहिए :

(1) कम्पनी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऋण घटक तथा

(2) परिवर्तनीय नकदी ऋण सीमा । दस करोड़ रुपये या अधिक निधिपरक कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने वाली कम्पनियों की मौजूदा नकदी ऋण सीमा का कुछ निश्चित भाग ऋण सीमा में अन्तरित हो जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में, बैंकों द्वारा प्रदत्त साख के 70-80 प्रतिशत नकदी ऋण प्रणाली से बाहर कर दिया जाना चाहिए । इस ऋण को 3 से 5 वर्ष की अवधि में चुका दिया जाना चाहिए । इस ऋण पर ब्याज-दर नकदी ऋण सीमा के समान ही होना चाहिए ।

नकदी ऋण सीमा से ऋण खाते में अन्तरित की जाने वाली राशि का आधार होगा शुद्ध कार्यशील पूंजी के चालू अनुपात में वृद्धि के कारण होने वाली कमी । चालू अनुपात द्वारा ऋणकर्ता की समूची चालू आस्तियों के वित्तपोषण में

अंशदान का पता चलता है । चालू अनुपात का 1.33 : 1 के स्तर पर होना यह सुनिश्चित करता है कि ऋणकर्ता का समूची चालू आस्तियों में 25 प्रतिशत निजी अंशदान है ।

जिलानी समिति ने उपर्युक्त द्वितीय विधि में लागू होने वाले चालू अनुपात (1.33 : 1) के स्थान पर 1.5 : 1 चालू अनुपात की अनुशंसा की है जो ऐसे ऋणकर्ताओं के लिये जरूरी है जिन्हें बैंकिंग प्रणाली से निधिपरक कार्यशील पूंजी के बतौर 10 करोड़ रुपये से अधिक सुविधा प्राप्त है । इसका अर्थ है अब ऋणकर्ताओं को अपनी लम्बी अवधि के स्रोतों से पूंजी जुटानी पड़ेगी ।

द्वितीय विधि के स्थान पर प्रस्तावित अनुपात के अनुसार अधिकतम अनुमत बैंक वित्त में कमी को नये ऋण खाते में अन्तरित कर दिया जाना चाहिए । समिति ने बिल व्यापार के विकास पर जोर दिया है जिससे निधि जुटाने में नकदी ऋण प्रणाली पर पड़ने वाले दबाव में कमी की जा सके।

जनवरी 1993 में श्रीमती आय. टी. वाज़ कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में एक आंतरिक अध्ययन दल गठित हुआ जिसका उद्देश्य था ऋणकर्ता द्वारा स्टॉक संचय या इन्वेन्टरी या प्राप्य बिलों के मानक स्तर के आधार पर ऋण सीमा निर्धारण किये जाने की आवश्यकता का पुनरीक्षण तथा इन मानकों के आधार पर अधिकतम अनुमत बैंक वित्तपोषण स्थिर करते हुए उद्योग के लिए साख का निर्धारण । अध्ययन दल की रिपोर्ट में दी गयी अनुशंसाओं के आधार पर रिज़र्व बैंक ने बैंकों को परिशोधित निर्देश जारी किये हैं । इन निर्देशों का उद्देश्य है – रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकशील मानकों के अनुपालन में किसी प्रकार की ढिलाई लाये बगैर व्यावसायिक बैंक साख प्रदान करने तथा प्रबंधन के रोजमर्रा के कामकाज में अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन महसूस करें । बैंक इन्वेन्टरी और प्राप्य बिलों के विभिन्न मदों का संचय स्तर निश्चित करें। यह संचय स्तर उद्योग के उत्पादन चक्र को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए । आवश्यकता पड़ने पर बैंक तदर्थ ऋण सीमाएं स्वीकृत कर सकते हैं । परन्तु ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था के द्वारा निर्देशित अनुशासन जैसे त्रैमासिक सूचना प्रणाली के अन्तर्गत विवरणियाँ भेजना आवश्यक है ।

अब रिज़र्व बैंक इन्वेन्टरी के हर मद हेतु अलग-अलग मानक स्तर निर्धारित नहीं करेगा । महज मोटे तौर पर जानकारी हेतु मानक स्तर आंकड़े रिज़र्व बैंक द्वारा भेजे जाते रहेंगे । बैंकों को यथेष्ट छूट है कि वे अपने ऋण को उपयुक्त तौर पर सुरक्षित रखने हेतु इन्वेन्टरी स्तर तथा प्राप्य बिलों के स्तर को बनाये रख सकते हैं । अब बैंक ऋणकर्ताओं के समूचे व्यापारिक कामकाज, गतिविधियों, उत्पादन और प्रक्रिया चक्र की आवश्यकताओं के आधार पर उनको दी जाने वाली साख सुविधा की सीमा का आकलन करेंगे ।

यह परिशोधित निर्देश निधिपरक ऋण सुविधा के बतौर 1 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक ऋण सुविधा प्राप्त करने वाले ऋणकर्ताओं पर लागू है । इस वर्ग की निधिपरक ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली इकाइयों पर लघु उद्योग अति लघु तथा ग्रामीण उद्योग की इकाइयों को 50 लाख रुपये तक की निधिपरक कार्यशील पूंजी की सुविधा के वित्तपोषण हेतु पहले से चले आ रहे मार्गदर्शक सिद्धान्त को लागू कर दिया गया है। यह मार्गदर्शक सिद्धान्त है बैंक द्वारा दी जाने वाली कार्यशील पूंजी की वित्त पोषण सीमा इकाई के सालाना आवर्त अथवा कुल बिक्री के कम से कम 20 प्रतिशत होनी चाहिए ।

कुल प्रक्षेपित आवर्त अथवा बिक्री के 25 प्रतिशत की राशि को कार्यशील पूंजी माना जाता है तथा इसका 4/5 भाग बैंक को कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा के रूप में प्रदान करना चाहिए और 1/5 भाग ऋणकर्ता को अपनी ओर से वहन की जाने वाली मार्जिन राशि की तरह जुटाना है । बैंकिंग प्रणाली से एक करोड़ रुपये से अधिक की निधिपरक कार्यशील पूंजी हेतु ऋण सुविधा प्राप्त करने वाली इकाइयों पर द्वितीय विधि लागू होगी जिससे उनका चालू अनुपात 1.33 : 1 बना रह सके ।

निर्यात हेतु प्राप्य बिलों पर वित्तपोषण में निर्यातक को अपनी ओर से या लम्बी अवधि के स्रोतों से अंशदान नहीं जुटाना है । इसी प्रकार पुख्ता ऑर्डर अथवा पुष्टीकृत साख पर निर्यातकों को अतिरिक्त ऋण सुविधा प्रदान करते समय अधिकतम अनुमत बैंक ऋण की सीमा से ऊपर भी जाया जा सकता है क्योंकि उक्त पुख्ता ऑर्डर अथवा पुष्टीकृत साख पत्र को नियमित मूल सुविधा का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा जा सकता था ।

लघु / अति लघु और ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों के उत्पादों के विपणन में 100 प्रतिशत अथवा पूरे तौर पर लगी ऋणकर्ता इकाइयों को अधिकतम अनुमत बैंक वित्त देते समय देने की प्रथम विधि लागू की जाएगी, बशर्ते इन्होंने उक्त अति

लघु और ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त ऋण उनके द्वारा माल की आपूर्ति किये जाने के 30 दिन के भीतर अदा कर दिये हों । यह रियायत इकाई को लघु / अति-लघु और ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादित माल के विपणन वाले भाग पर प्राप्त हो सकती है । बैंकों को इन्वेन्टरी और प्राप्य बिलों के स्तर स्वयं निश्चित करने की छूट प्रदान करने के बाद तदर्थ ऋण सीमा स्वीकृति का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है । बैंक अपने विवेक के अनुसार तदर्थ ऋण सीमा स्वीकृत करेंगे तथा उचित ब्याज दर लगायेंगे । पहले की भांति तदर्थ ऋण पर ब्याज सामान्य दर से एक प्रतिशत प्रभारित किया जाना आवश्यक नहीं रह गया है ।

त्रैमासिक सूचना प्रणाली / मासिक रोकड़ बजट पहले की तरह लागू रहेगा । विवरणियाँ प्रस्तुत न करने वाली इकाइयों पर पहले की तरह बैंक एक तिमाही की अवधि हेतु कार्यशील पूंजी की विभिन्न ऋण सीमाओं पर 1 प्रतिशत दण्ड स्वरूप ब्याज लगा सकता है । अगर विवरणियों को प्रस्तुत करने में गंभीर किस्म की ढिलाई बरती जा रही हो अथवा लगातार 2 तिमाही तक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं हों तो ऐसे खातों में विभिन्न विवरणियों को समय पर जमा करने की स्थिति में यथोचित सुधार न हो जाने तक सामान्य ब्याज दर से अधिक दर पर ब्याज लगाया जा सकता है । अगर ऋणकर्ता विवरणियों को समय पर जमा करने में असमर्थ प्रतीत हो रहा हो तो उसे समुचित सूचना देकर खाते में लेन देन पर अवरोध लगाया जा सकता है ।

बैंक ऋण सीमा के 15 प्रतिशत गुंजाइश स्तर को ध्यान में रखते हुए कार्यशील पूंजी के अप्रयुक्त रखे गये भाग पर एक प्रतिशत प्रतिबद्धता प्रभार लगा सकते हैं । यह प्रभार उन ऋणकर्ता इकाइयों पर लगाया जाता रहेगा जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से एक करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक रुपयों की निधिपरक कार्यशील पूंजी ऋण सीमा प्राप्त की हो । यह प्रभार 2 प्रतिशत दाण्डिक / अतिरिक्त ब्याज दर के अलावा लगाया जाता रहेगा । किन्तु निम्नलिखित सीमाएँ इस प्रभार से मुक्त हैं :

(1) परिचालन सीमा से अधिक आहरण
(2) रुग्ण और दुर्बल इकाइयों हेतु कार्यशील पूंजी
(3) निर्यात साख तथा निर्यात प्रोत्साहन हेतु
(4) बिल खरीद / बट्टाकृत द्वारा दी गयी अन्तर्देशीय बिल सीमाएँ अथवा ओवर ड्राफ्ट / नकदी ऋण सीमा / उपसीमा (जो बिल उगाही से सम्बद्ध हो), तथा
(5) व्यावसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं, सहकारी बैंकों को स्वीकृत ऋण सीमाएँ ।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि वे अपने ऋणकर्ताओं से उपयुक्त प्रारूप पर नकदी प्रवाह विवरणी प्राप्त करें जो ऋण अनुप्रवर्तन व्यवस्था के आधार आँकड़ों तथा त्रैमासिक सूचना प्रणाली विवरणियों के अलावा है । इस विवरणी द्वारा वित्तीय अनुशासन में पहले से चले आ रहे निधि प्रवाह दृष्टिकोण को संवलित करने हेतु नकदी प्रवाह का परिपूरक आयाम प्राप्त हो जाएगा जिससे बैंक द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधा का इस्तेमाल और अधिक आवश्यकतापरक बनाया जा सकता है ।

■

प्रयुक्त शब्दावली

सारभूत चालू आस्तियां	Core current assets
आहरण शक्ति	Drawing Power
नकद अतिशय	Excessive cash
अदाकर्ता बिल वित्तपोषण	Drawee bill finance
परिवर्तनीय आस्ति	Variable asset
कार्यशील पूंजी सावधि ऋण	Working Capital Term Loan
कार्यकारी सीमा	Operating Limit
सामान्य अ-चरम स्तर	Normal non-peak level
बिल सकारना	Acceptance of bills
बिल बट्टाकरण	Bill discounting

इंटरनेट जेब में

डॉ. राजेश्वर गंगवार
महा प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
मुंबई 400 005.

यह बिना तार के जाल वाली प्रौद्योगिकी का कमाल है कि इंटरनेट की सुविधाएं आप अपनी जेब में रखकर घूम सकते हैं और जब भी ज़रूरत हो, इंटरनेट की कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल कहीं से भी, यहां तक कि राह चलते भी कर सकते हैं। अब इंटरनेट पर कार्य करने (ई-मेल भेजने या देखने) के लिए पर्सनल कंप्यूटर या नेटवर्क के टर्मिनल से जुड़ना अनिवार्य नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि टेलीविजन सेट पर भी कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाने लगी हैं। बंगलूर की एक कंपनी ने वेब-टीवी बैंकिंग के लिए सॉफ्टवेयर बना लेने का दावा किया है। इसके लिए टी वी सेट के साथ एक सेट-टॉप बॉक्स, इन्फ्रा रेड की बोर्ड और इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी।

यह निर्विवाद है कि सूचना प्रौद्योगिकी की अब तक की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि इंटरनेट है। परंतु इसे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की अंतिम उपलब्धि नहीं कहा जा सकता। अब नेटवर्क में एक नया आयाम भी जुड़ गया है और वह है बेतार पर आधारित नेटवर्क। इंटरनेट से जुड़ने के इस नये तरीके का नाम है बेतार अनुप्रयोग संलेख (वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकोल, संक्षिप्त नाम *वैप* : (W A P)। बेतार अनुप्रयोग संलेख एक ऐसा इंटरफेस है जो इंटरनेट की भाषा को बेतार मार्कअप भाषा (wireless markup language डब्ल्यू एम एल) में परिवर्तित कर देता है। इससे डिजिटल संदेशों (कंप्यूटर संदेश को डिजिटल रूप में स्वीकार करता है) को मोबाइल फोन पर पढ़ा जा सकता है। डब्ल्यू एम एल सेल फोन के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप भाषा (एच टी एम एल) के समकक्ष है। लेकिन जो वेब साइटें डब्ल्यू एम एल सुसंगत (कंपैटिबल) होंगी केवल उन्हीं वेब साइटों तक सेल्यूलर (सेल) फोन से पहुंच हो सकती है। उदाहरण के लिए *हॉटमेल* तक सेल फोन की पहुंच नहीं हो सकती, क्योंकि हॉटमेल डब्ल्यू एम एल सुसंगत नहीं है। परंतु *याहू*, बी बी सी और सी एन एन डब्ल्यू एम एल सुसंगत हैं, अतः उन तक वैप सेल फोन की पहुंच संभव है। हो सकता है, भविष्य में प्रौद्योगिकी के और विकास से सभी साइटों तक पहुंच संभव हो जाये। परंतु वर्तमान में सभी सेल फोन यह काम नहीं कर सकते। जिन सेल फोनों पर बेतार एप्लिकेशन संलेख होगा, उन्हीं पर इंटरनेट सुविधा मिल सकती है। इन्हें वैप सेल फोन कहा जाता है।

इस तरह उपग्रह के माध्यम से परस्पर वार्तालाप के लिए बनाया गया सेल फोन कंप्यूटर के भी कुछ कार्य करने में सक्षम हो गया है। सैमसंग कंपनी ने तो घड़ी में ही इंटरनेट की सुविधा दे दी है और ये घड़ियां शीघ्र ही बाज़ार में आने की संभावना है। हाल ही में अमरीका के लास ऐंजिल्स में हुई एक प्रदर्शनी में ऐसे आभूषण प्रदर्शित किये गये, जो ई-मेल आने का संकेत *वीप* की ध्वनि या कंपन से देते हैं। हीरे-मोती जड़े ये आभूषण बेतार वाले इंटरनेट उपकरणों का ही परिवर्तित रूप हैं। स्पष्ट है कि जब ई-मेल का संदेश किसी आभूषण पर मिल सकता है तो तकनीकी दृष्टि से मोबाइल फोन पर इसे देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसी तकनीक का एक और परिवर्तित रूप है जापान का इंटरनेट मोबाइल टेलीफोन। इसमें बिजनेस कार्ड के आकार का स्क्रीन भी है और इसकी सहायता से इंटरनेट ब्राउज़िंग होती है। नेटवर्क, विशेष रूप से इंटरनेट से जुड़कर यह सेल्यूलर (सेल) फोन इंटरनेट की सुविधाएं राह चलते प्रदान कर सकता है।

अपने देश में सेल्यूलर फोन का उपयोग प्रायः उपग्रहों के जरिए सूचना के आदान-प्रदान, वार्तालाप के लिए ही अधिक हो रहा है। परंतु किसी नेटवर्क, विशेष रूप से इंटरनेट से जुड़कर यह सेल फोन इंटरनेट की सुविधाएं भी राह चलते प्रदान कर सकता है। इसकी जानकारी और प्रचलन अभी कम है। आजकल ई-मेल सुविधा देने वाले मोबाइल फोन की मांग बढ़ रही है। आशा है कि वर्ष 2003 तक विश्व भर में सेल फोनों की संख्या लगभग एक अरब हो जायेगी, जबकि वर्तमान में करीब 40 करोड़ ही है। अनुमान है कि अगले चार वर्ष में 60 प्रतिशत सेल फोनों पर ई-मेल तथा अन्य इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

इस बढ़ती हुई मांग की दृष्टि से यह उचित समझा गया कि वार्तालाप और इंटरनेट पर संदेश भेजने के लिए अलग-अलग दो उपकरणों के स्थान पर दोनों सेवाओं को एकीकृत कर दिया जाये। हालांकि यह एकीकरण कंप्यूटर पर साउंड कार्ड लगाकर बहुत पहले किया जा चुका है। कंप्यूटर से कंप्यूटर पर बात करना अब बहुत सहज हो गया है। किंतु मोबाइल पर वार्तालाप के साथ-साथ इंटरनेट की सुविधा वर्ष 2000 की नयी तकनीकी उपलब्धि है। इस सुविधा से शेयरों की खरीद और बिक्री भी हो रही है। अनुमान है कि वर्तमान में शेयरों के नेटवर्क से होने वाले (ऑनलाइन) व्यापार का मात्र एक प्रतिशत बेतार अनुप्रयोग संलेख की प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ज्यों-ज्यों प्रौद्योगिकी में सुधार होता जायेगा, यह प्रतिशत बढ़ता जायेगा। आशा है कि बैंकों में इसका उपयोग चलती-फिरती (मोबाइल) बैंकिंग के रूप में शीघ्र ही प्रचलित हो जायेगा। इसी आशा से अपने देश की अनेक कंपनियां वायरलेस एप्लिकेशन प्रोटोकोल (WAP) के मैदान में उतर रही हैं।

यह सच है कि इस प्रौद्योगिकी से इंटरनेट या नेटवर्क से जुड़ने के लिए कंप्यूटर की अनिवार्यता धीरे-धीरे समाप्त हो जायेगी। परंतु अधिकांशतः पीसी पर आधारित नेटवर्क का प्रचलन अवश्य बना रहेगा। यह भी हो सकता है कि इसके प्रचलन से तार से जुड़ने वाले नेटवर्क और इंटरनेट की ही अनिवार्यता भविष्य में समाप्त हो जाये। उस समय इंटरानेट और इंटरनेट बेतार प्रणाली से जुड़ जायेंगे। विशेषज्ञों को आशा है कि अगले तीन वर्ष में बेतार से इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा लैपटॉप और नोटबुक जैसे हल्के और लघु आकार के कंप्यूटरों पर भी उपलब्ध हो जायेगी। लैपटॉप पर वीडियो मेल प्राप्त करना कंप्यूटर विशेषज्ञों का अगला लक्ष्य होगा। पी सी पर तो वीडियो मेल प्राप्त करने की सुविधा वर्तमान में भी उपलब्ध है।

मोबाइल पर बैंकिंग

अमरीका और जापान जैसे विकसित देशों में बेतार अनुप्रयोग संलेख अर्थात् बिना तार के इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। भारत के कुछ बैंकों ने भी इस सुविधा का लाभ उठाना शुरू कर दिया है और निकट भविष्य में और अधिक बैंक यह सुविधा अपनायेंगे। प्रकाशित समाचारों के अनुसार एच. डी. एफ. सी. बैंक और आइ. सी. आइ. सी. आइ. बैंक ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। आइ. सी. आइ. सी. आइ. बैंक ने बेतार अनुप्रयोग संलेख (वैप) का प्रयोग करके मोबाइल बैंकिंग और एम-कॉमर्स सेवाएं प्रारंभ कर दी हैं। इन सेवाओं में मोबाइल फोन पर ही ऑनलाइन (कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा) शेयरों की दरें बताना, बैंक के ए टी एम के स्थान की जानकारी देना भी शामिल है। अब बैंक के ग्राहक वैप सेल फोन पर अपने खाते की अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, चेक बुक भेजने का अनुरोध कर सकते हैं, पिछले पांच लेन-देनों की जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त आइ. सी. आइ. सी. आइ. बैंक के क्रेडिट कार्डधारक अपने खाते की शेष राशि और लेन-देनों के बारे में जान सकते हैं। बैंक ने कतिपय बिलों के भुगतान और यात्रा तथा टिकट के बारे में भी जानकारी देने की योजना बनायी है। इस तरह उपग्रह से संबद्ध नेटवर्क और बेतार नेटवर्क के उपयोग से अब बैंक अनेक प्रकार की एकीकृत सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं।

संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह सेल फोन बैंकिंग के क्षेत्र में काफी उपयोगी होगा। बेतार के प्रयोग से संभवतः निकट भविष्य में किसी गांव में बैठा ग्राहक भी अपने लैपटॉप

या नोटबुक कंप्यूटर से अथवा मोबाइल फोन से बैंक से संपर्क कर सकेगा। वह बैंक की वेबसाइट भी देख सकेगा। ई-मेल भेज सकेगा। कहने का तात्पर्य यह कि सेल फोन पर अन्य कार्यों के साथ-साथ बैंकिंग का कार्य भी कर सकेगा।

इस नयी टेक्नोलॉजी के प्रयोग से बैंक भी अपनी बात ग्राहक तक उसके *वैप सेल फोन* पर पहुंचा सकते हैं और ग्राहक बैंक तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सेल फोन पर ई-मेल भेजने की सुविधा भी दी जा रही है। अपने ग्राहकों की सुविधा की दृष्टि से बैंक अपनी वेब साइट तक सेल फोन से पहुंच संभव बना सकते हैं। वेब साइट पर बैंक अपनी सेवाओं, प्रभारों, ब्याज दरों आदि के बारे में आवश्यक जानकारी दे सकते हैं और ग्राहक अनेक बैंकों की वेब साइट देखकर अपने लिए उचित सेवा और बैंक का चुनाव घर या अपने दफ्तर में बैठे-बैठे ही नहीं, राह चलते भी कर सकेगा।

सेल फोन के इंटरनेट से जुड़ने में अनेक बाधाएं भी हैं। सेल फोन के स्क्रीन का छोटा होना सबसे बड़ी बाधा है। इसकी वजह से बड़े संदेश पढ़ने और प्राप्त करने में कठिनाई होती है। दूसरी कठिनाई संदेशों का रिजोल्यूशन अधिक स्पष्ट न होने की है। एक अन्य कठिनाई कुंजी पटल की है। एक ही कुंजी (बटन) पर अनेक अक्षर और अंक होते हैं। इस कारण कुछ अक्षरों को टाइप करने के लिए कुंजी को दो / तीन बार दबाना पड़ता है, तब कहीं एक अक्षर बनता है। अतः विषयवस्तु को टाइप करने में बहुत समय लगता है। किसी बटन को दो-तीन बार दबाने से यदि एक अक्षर बनेगा तो कार्य की गति धीमी होना स्वाभाविक है। मोबाइल फोन पर इंटरनेट कनेक्शन की गति भी बहुत धीमी है। वर्तमान में यह गति 9.6 किलोबाइट प्रति सेकंड ही है। लैपटॉप पर बेतार के इंटरनेट की सुविधा से छोटे स्क्रीन से होने वाली कठिनाई और गति की समस्या काफी हद तक दूर हो जायेगी।

इन कठिनाइयों के कारण ही बहुत-से लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि मोबाइल फोन को इंटरनेट से जोड़कर कोई अधिक और अच्छा कारोबार किया जा सकेगा। लेकिन अमरीका की फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट्स का अनुमान है कि अगले दो वर्ष में कुल ऑनलाइन शेयर कारोबार का 50 प्रतिशत बेतार पर आधारित प्रौद्योगिकी से होगा। इस दिशा में अभी जो प्रयास हो रहे हैं और जो अनेक कंपनियां इस क्षेत्र में आ रही हैं, उससे आशा है कि इनमें से कुछ कठिनाइयों को निकट भविष्य में दूर कर लिया जायेगा। परंतु मोबाइल के छोटा होने के कारण एक ही कुंजी से अनेक कार्य संपन्न करने में होने वाली कठिनाई बनी रहने की आशंका है। हो सकता है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिए किसी छोटे पटल का आविष्कार कर लिया जाये, जिसे इच्छानुसार मोबाइल से जोड़ा या अलग किया जा सके।

वैप और भारतीय कंपनियां

भारत की कनिका इन्फोटेक लि. ने कनाडा की एक कंपनी से सहयोग करके इस क्षेत्र में पदार्पण किया है। बेतार नेटवर्क के बढ़ते प्रयोग से इन कार्यों के लिए अच्छे सॉफ्टवेयरों की भी आवश्यकता होगी। यह कंपनी बेतार अनुप्रयोग संलेख (वैप) प्रौद्योगिकी पर आधारित अनेक पोर्टल बनायेगी। कंपनी का दावा है कि इसके एक पोर्टल पर दृष्टिहीन व्यक्ति भी काम कर सकेंगे। इसी तरह भारती इंटरप्राइजेज ने अपने बेतार अनुप्रयोग संलेख प्रवेशद्वार (वैप गेटवे) के लिए फोन डॉट कॉम (Phone.com) से समझौता किया है। इससे 64 के बी प्रति सेकंड और उससे अधिक की दर से डाटा भेजे जा सकेंगे। जनरल रेडियो पैकेट स्विचिंग की तकनीक से सेल फोन पर इंटरनेट सुविधा कुछ सस्ती भी हो जायेगी। अभी इस तकनीक को सुधारने के प्रयास चल रहे हैं। आशा है कि अगले वर्ष तक यह तकनीक प्रचलन में आ जायेगी।

बेतार अनुप्रयोग संलेख के क्षेत्र में कार्य कर रही बंगलूर स्थित कंपनी यूनिमोबाइल ने एक इंटरनेट टूल बनाया है, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड करने के बाद कतिपय औपचारिकताएं पूरी करके कंपनी के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मोबाइल, पाम पायलट या पेजर पर कहीं भी संदेश भेजने के लिए किया जा सकता है। टाटा सेलुलर, एयरसेल, ओरेंज, नोकिया, बी पी एल, भारती तथा अन्य अनेक कंपनियां इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। टाटा सेलुलर

ने यह सेवा आंध्र प्रदेश में शुरू कर दी है। इस्कॉटेल और स्पाइस टेलीकॉम के सेल फोन वाले ग्राहक अपने सेल फोन पर ई-मेल भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। बिड़ला ए टी एंड टी ने महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में वैप सेल फोन की सेवा प्रारंभ कर दी है।

यह सुविधा फिलहाल महंगी रहेगी। इस समय वैप सेल फोन की कीमत ही करीब बीस-तीस हजार रुपये है। इस कारण अधिक राशि के लेन-देनों के लिए ही इसका उपयोग लाभदायक होगा। भविष्य में तकनीक में सुधार और प्रयोग बढ़ने से सेवा की लागत कम हो सकती है।

कंप्यूटर और नेटवर्क पर आधारित सेवाएं परंपरागत सेवाओं से कुछ भिन्न भी हैं और कुछ मामलों में महंगी भी। अभी एच. डी. एफ. सी. की सेल फोन सेवा का उल्लेख किया गया है। यह सेवा भारी राशि के बिल की अदायगी या अन्य प्रकार से अदायगी करने की स्थिति में न होने पर तत्काल अदायगी के लिए तो ठीक रहेगी, किंतु यदि अन्य साधन अपनाये जा सकते हों और राशि भी कोई अधिक न हो, तो इस महंगी सुविधा का उपयोग शायद ही कोई करेगा। कम राशि के बिल के लिए तो यह महंगी ही होगी।

इन सुविधाओं का परिणाम यह भी होगा कि ज्ञान के आदान-प्रदान के नये रास्ते खुल जायेंगे। दूरसंचार सेवा प्रदान करने वालों को सहयोग के नये मार्ग अपनाने होंगे। यह सुविधा बैंकों के कार्यपालकों के लिए तो उपयोगी होगी ही, ग्राहकों के लिए भी बहुत उपयोगी होगी। परंतु ग्राहकों के लिए उपयोगी बनाने की दृष्टि से बैंकों को भी अपने प्रबंधन और कार्यकलापों की पद्धति में परिवर्तन करने होंगे, उन्हें अपने नेटवर्क तक वैप सेल फोन से पहुंच संभव बनाने के लिए उपयुक्त तैयारी करनी होगी। बैंकों की वेब साइट में जो जानकारी होगी, उस तक वैप सेल फोन के माध्यम से अधिकृत व्यक्ति की ही पहुंच हो सके, इसके उपाय करने होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी की इस नयी सुविधा का लाभ बैंकों को अपने ग्राहकों को प्रारंभ में भले ही सीमित रूप में देना प्रारंभ करना पड़े, परंतु ज्यों-ज्यों बेतार सुविधा से इंटरनेट से जुड़ने वाले सेल फोनों का प्रचलन बढ़ता जायेगा, बैंकों को अपनी अधिक से अधिक सेवाएं इस माध्यम से प्रदान करने के लिए तैयार रहना होगा। इसके प्रशिक्षण का स्वरूप भी बदलना पड़ सकता है। प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण की पद्धतियों को अधिक कारगर भी बनाना होगा। अतः प्रशिक्षण देने के लिए न केवल नयी तरह की सामग्री तैयार करनी होगी, बल्कि प्रशिक्षण की नयी पद्धतियां भी बैंकों को अपनानी होंगी।

बिना तार के जुड़े यंत्र

बेतार प्रणाली का उपयोग केवल इंटरनेट पर सर्फिंग के लिए ही नहीं, कार्यालय के यंत्रों को जोड़ने के लिए भी किया जाने लगा है। लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर की विषयवस्तु का प्रिंट कार्यालय के प्रिंटर पर लिया जा सकता है और इसके लिए न तो कंप्यूटर (पी. सी., लैपटॉप या नोटबुक) को प्रिंटर से जोड़ने की आवश्यकता है और न ही फ्लॉपी लेकर प्रिंटर तक जाने की ज़रूरत है। एक निश्चित दूरी से बिना तार जोड़े यह कार्य संभव है। इस प्रणाली से एक कंप्यूटर की सुविधा का उपयोग दूसरा कंप्यूटर कर सकता है। इस कार्य के लिए सन माइक्रो-सिस्टम ने *जिनी* का आविष्कार किया है। ऐसी ही एक अन्य प्रौद्योगिकी है ब्लूटूथ। इस प्रौद्योगिकी पर आधारित चिप का विकास एरिक्सन, आइ बी एम, इंटेल, नोकिया और तोशीबा जैसी पांच प्रतिष्ठित कंपनियां कर रही हैं। इस प्रौद्योगिकी से 40 फीट की दूरी पर रखे उपकरणों को बिना तार के जोड़ा जा सकता है। सार्वभौमिक रूप से विभिन्न उपकरणों के बीच सेतु का कार्य करने के लिए इस प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है। केवल 9 x 9 मि. मी. के चिप को सेल फोन में भी लगाया जा सकता है। इससे जेब में रखा सेल फोन कार्यालय में पहुंचते ही वहां के सुसंगत उपकरणों से जुड़ जायेगा।

इस तरह की प्रौद्योगिकी के प्रयोग से फ्लॉपी द्वारा वायरस फैलने की आशंका भी नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें फ्लॉपी का उपयोग होगा ही नहीं। बैंकों के लिए यह प्रौद्योगिकी अत्यधिक उपयोगी हो सकती है।

■

बड़े बकायादारों से ऋण वसूली के लिए – ऋण वसूली न्यायाधिकरण

डॉ. बी. बी. सिंह
मुख्य प्रबन्धक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र
बी-984, सेक्टर-ए, महानगर
लखनऊ.

बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं वसूली प्रक्रिया में लम्बे समय तक चलने वाली अदालती कार्रवाई में काफी कठिनाई अनुभव कर रहे थे। देखने में आया है कि बहुत से ऋणी जानबूझकर **किस्त** नहीं चुकाते। वे जानते हैं कि न्यायालय की प्रक्रिया कई वर्षों तक चलेगी तथा बाज़ार से अधिक लागत पर पैसा उधार लेने के बजाय बैंक से लिये गये ऋण को किसी और प्रयोजन में लगाना अधिक फायदेमंद है।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु नरसिंहम समिति ने शीघ्र वसूली के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित करने का **परामर्श** दिया था। इस प्रकार विभिन्न संस्तुतियों पर आधारित बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के देय ऋणों की वसूली हेतु अधिनियम 24 जून 1993 (1993 का अधिनियम 51) को लागू किया गया। `वसूली न्यायाधिकरण अधिनियम एवं अपीलें – ट्रिब्यूनल' की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1) ट्रिब्यूनल बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त आवेदनों को स्वीकार करने और उन पर निर्णय लेने में सक्षम होगा। इसमें केन्द्र सरकार द्वारा केवल एक व्यक्ति नियुक्त किया जायेगा, जो **पीठासीन अधिकारी** होगा तथा वह ज़िला जज अथवा उसके समकक्ष योग्यतावाला होगा। उसकी कार्य-अवधि 5 वर्ष अथवा 62 वर्ष तक की आयु – दोनों में से जो भी पहले हो, होगी।

2) ऋण–न्यायाधिकरण अधिनियम में `ऋण' की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि किसी व्यक्ति पर बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा देय घोषित देयता या बैंक, वित्तीय संस्थान, कान्सोरटियम में कारोबार के दौरान की गयी व्यापारिक गतिविधि में जमानती अथवा गैर-जमानती या न्यायालय की डिक्री अथवा किसी न्यायालय निर्णय के अधीन कानूनी रूप से आवेदन देने की तिथि को वसूली योग्य है।

3) क्षेत्र : सभी बैंकिंग कंपनियां या नये बैंक जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के अंतर्गत परिभाषित हों, भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहयोगी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा जन वित्तीय संस्थाएं जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4 ए के अंतर्गत आती हों, अधिनियम के विशेष प्रावधानों के द्वारा लाभान्वित होंगी।

4) **क्षेत्राधिकार** : ट्रिब्यूनल को ये शक्ति, अधिकार और **प्राधिकार** दिये गये हैं कि वह बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के आवेदन पत्र प्राप्त करें तथा उन पर निर्णय लें। ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार उन मामलों तक सीमित है जहां बैंक को देय ऋण की रकम 10.00 लाख रुपये या इससे अधिक हो अथवा ऐसी ही कोई अन्य रकम जो एक लाख रुपये से कम न हो और जिसे केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

ट्रिब्यूनल में वसूली हेतु आवेदन का क्षेत्राधिकार

क) जहां प्रतिवादी या प्रत्येक **प्रतिवादी** आवेदन करते समय रह रहा हो या कोई व्यापार अथवा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा हो।

ख) प्रतिवादियों में से कोई आवेदन करते समय रह रहा हो, कोई व्यापार कर रहा हो अथवा व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा हो।

ग) पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वाद हेतु कारण का सृजन हो रहा हो।

प्रणाली –

i) आवेदन फाइल करना –

1. आवेदन – नियमानुसार फार्म में आवेदक द्वारा स्वयं या उसके एजेण्ट द्वारा अथवा विधिवत प्राधिकृत **अधिवक्ता** द्वारा बेंच के रजिस्ट्रार को

प्रस्तुत किया जायेगा।

2. डाक द्वारा भेजा गया आवेदन उस दिन प्रस्तुत माना जायेगा, जिस दिन रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्राप्त होगा।

3. आवेदन पत्र चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जायेगा। इसके साथ एक लिफाफा जिसमें आवेदक का नाम और पता लिखा हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहां आवेदकों की संख्या अधिक हो, उसी संख्या में लिफाफे, जिसमें आवेदकों के नाम और पते अलग अलग लिखे हों, आवेदन पत्र के साथ जमा करने चाहिए।

ii) प्रस्तुतीकरण और आवेदनों की संवीक्षा

1. रजिस्ट्रार अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति प्रत्येक आवेदन पर वह तिथि अंकित करेगा जब आवेदन प्रस्तुत किया गया हो।

2. संवीक्षा किये जाने पर यदि आवेदन नियमानुसार पाया जाता है तो वह विधिवत पंजीकृत हो जायेगा तथा उसको क्रम संख्या दी जायेगी।

3. यदि कोई त्रुटि पायी जायेगी तो रजिस्ट्रार अपनी उपस्थिति में, उसके सुधार हेतु समय दे सकता है।

4. यदि आवेदक वह त्रुटि दूर नहीं कर पायेगा तो रजिस्ट्रार उस आवेदन को अपने रजिस्टर में अंकित करने से मना कर सकता है।

5. रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध अपील पीठासीन अधिकारी के समक्ष की जा सकती है।

ट्रिब्यूनल की कार्रवाई

1. यदि आवेदन सही है तो ट्रिब्यूनल प्रतिवादी को इस अपेक्षा के साथ सम्मन जारी करे कि वह बचाव के लिए अपना पक्ष 30 दिन के अन्दर रखे। यह भी कहा जायेगा कि आवेदक द्वारा मांगी गयी राहत क्यों न स्वीकृत कर ली जाये।

2. ट्रिब्यूनल सुनवाई का एक मौका देने के बाद आवेदन पर जैसा वह उचित समझे न्यायोचित निर्णय देगा।

3. ट्रिब्यूनल आवेदक तथा प्रतिवादी को प्रत्येक आदेश की प्रति प्रेषित करेगा।

4. ट्रिब्यूनल अपने अधिकार के अन्तर्गत ऋणी द्वारा सम्पत्ति के हस्तान्तरण, अधिकार परिवर्तन अथवा अन्य कदम को ट्रिब्यूनल के आदेश के बिना किये जाने पर रोक लगा सकता है।

5. पीठासीन अधिकारी ऋण की रकम की वसूली हेतु वसूली अधिकारी को पारित आदेश के आधार पर एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

iii) ऋण की वसूली

1. वसूली अधिकारी प्रमाणपत्र की प्रति मिलने पर ऋण की वसूली निम्नलिखित में से किसी/किन्हीं माध्यमों से करेगा।

   क. प्रतिवादी की चल या अचल सम्पत्ति की बिक्री और कुर्की।

   ख. गिरफ्तारी।

   ग. चल तथा अचल सम्पत्ति के प्रबन्धन हेतु रिसीवर की नियुक्ति।

2. प्रतिवादी को यह स्वतन्त्रता नहीं होगी कि वह वसूली अधिकारी के समक्ष वाद-विवाद करे।

3. पीठासीन अधिकारी को प्रमाणपत्र आहरित करने या कोई लिपिकीय अथवा गणितीय त्रुटि वसूली अधिकारी को सूचना देते हुए सुधारने का अधिकार है।

4. पीठासीन अधिकारी रकम के भुगतान हेतु समय-सीमा मंजूर कर सकता है तथा वसूली अधिकारी उस समय-सीमा की समाप्ति तक मामले की कार्यवाही को स्थगित रखेगा।

5. जहां वसूली की रकम संशोधित कर दी गयी हो अथवा अपील में कम कर दी गयी हो, उन मामलों में पीठासीन अधिकारी वसूली कार्यवाही को तब तक स्थगित रखेगा जब तक कि अपील लम्बित है तथा अंतिम निर्णय के बाद प्रमाणपत्र में संशोधन करेगा।

iv) शुल्क

वर्तमान में आवेदन फाइल करने का शुल्क निम्नवत है :

- 10.00 लाख रुपये के ऋण हेतु : 12000/- रुपये
- 10.00 लाख रुपये से ऊपर के ऋण हेतु : 12000/- रुपये तथा प्रत्येक 1.00 लाख रुपये या उसके अंश के 1000/- रुपये।

इस शुल्क का भुगतान मांग ड्राफ्ट या भुगतान आदेश (पे ऑर्डर) द्वारा किया जा सकता है।

v) संलग्नक : आवेदन के साथ खातों का विवरण, **साक्ष्य** तथा आवेदन फाइल करने हेतु अपेक्षित शुल्क होना चाहिए।

vi) **मामले का निपटान** : आवेदन प्राप्ति की तिथि से छः माह के भीतर आवेदन के निपटान हेतु प्रयास किया जाना चाहिए।

vii) **निरीक्षण हेतु शुल्क** : वर्तमान में ट्रिब्यूनल निरीक्षण हेतु शुल्क लेगा जो पार्टियों द्वारा प्रति घंटा या उसके अंश हेतु 20/- रुपये अथवा अधिकतम 100/- रुपये होगा।

यदि उसमें कोई टंकण कार्य नहीं करना होगा तो ट्रिब्यूनल प्रति फोलियो 5 रुपये लेगा, तथा यदि उसमें टंकण कार्य करना होगा तो प्रति फोलियो 10/- रुपये लेगा।

ऋण वसूली अपील न्यायाधिकरण

अपील ट्रिब्यूनल को ऋण वसूली अपील ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है, इसमें एक व्यक्ति अपील ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के नाम से रहता है, उसकी निम्नलिखित अर्हताएं अपेक्षित हैं :

क) उच्च न्यायालय के जज हैं/रहे हैं या उसके समकक्ष योग्यता हो।

ख) भारतीय विधि सेवा के सदस्य रहे हैं तथा उस सेवा में ग्रेड I के पद पर कम से कम 3 वर्ष रहे हों।

ग) किसी ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष तक रहे हों।

अपील ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु, दोनों में जो पहले हो, तक कार्य करेगा।

अपील : ट्रिब्यूनल द्वारा पास किया गया आर्डर अपील ट्रिब्यूनल को स्वीकार्य होगा। अपीलकर्ता को देय ऋण की रकम का 75% जमा करना होगा। तथापि अपील प्राधिकारी, यदि बताये गये कारणों से संतुष्ट हों तो इस रकम को घटा सकते हैं।

अपील ट्रिब्यूनल की कार्यविधि

1. ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अथवा पारित किये जाने वाले आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति इस **अध्यादेश** के अधीन अपील ट्रिब्यूनल में आवेदन करता है।
2. यदि दोनों पक्षों की सहमति या समझौते के आधार पर ट्रिब्यूनल द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो तो उस स्थिति में अपील ट्रिब्यूनल को की गयी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. ट्रिब्यूनल के आदेश की प्रति सम्बद्ध पक्ष को जिस दिन प्राप्त हो, उस तिथि के 45 दिनों के भीतर अपील फाइल कर देनी चाहिए।
4. अपील ट्रिब्यूनल को 45 दिन के बाद भी अपील स्वीकार करने का अधिकार है, यदि वह सम्बद्ध पक्ष द्वारा विलम्ब के लिए बतलाये गये कारणों से संतुष्ट हो तो।
5. अपीलकर्ता द्वारा स्वयं या उसके एजेंट द्वारा या किसी प्राधिकृत वकील द्वारा अपील ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार को अपील हेतु आवेदन दिया जा सकता है।
6. जब अपीलकर्ता कोई बैंक या वित्तीय संस्था हो, तो अपील का आवेदन निम्नप्रकार किया जा सकता है :
   क) बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा प्राधिकृत एक या एक से अधिक कानूनी वकीलों द्वारा।
   ख) ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था के किसी अधिकारी द्वारा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील प्रस्तुत करना।
7. जहां अपीलकर्ता बैंक या वित्तीय संस्था के अतिरिक्त कोई और हो तो वे स्वयं या अपने एजेंट द्वारा या प्राधिकृत कानूनी वकील द्वारा अपील करेंगे।
8. डाक द्वारा प्रेषित अपील जिस दिन रजिस्ट्रार कार्यालय में प्राप्त होगी, उसी दिन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत मानी जायेगी।
9. अपील चार सेटों के पेपर बुक में, फाइल के आकार के खाली लिफाफों सहित, जिस पर प्रतिवादी / प्रतिवादियों का पूरा पता लिखा हो, प्रस्तुत की जायेगी।

अपील का प्रस्तुतीकरण और जाँच – ट्रिब्यूनल हेतु निर्धारित नियमानुसार अपील की भी संवीक्षा की जायेगी।

अपील प्रस्तुत करने का स्थान : अपीलकर्ता जिस रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता हो उसी रजिस्ट्रार के पास अपील दायर करेगा।

शुल्क : प्रत्येक अपील के साथ शुल्क जमा करना होगा और यह शुल्क रेखित मांग ड्राफ्ट के रूप में होगा अथवा रजिस्ट्रार के नाम आहरित पोस्टल आर्डर द्वारा भेजा जायेगा। अपील से संबंधित अदा किए जाने वाले शुल्क की राशि निम्नानुसार होगी :

i) 10.00 लाख रुपये तक – 12000/- रुपये
ii) 10.00 लाख रुपये से अधिक या 30.00 लाख रुपये से कम – 20000/- रुपये
iii) 30.00 लाख रुपये या उससे अधिक – 30000/- रुपये

देय ऋण की राशि जमा करना

कोई अपील दायर होने पर अपील ट्रिब्यूनल द्वारा तब तक उस पर विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यक्ति

ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित देय ऋण राशि की 75% राशि अपील ट्रिब्यूनल के पास जमा नहीं कर देता। तथापि अपीलेट ट्रिब्यूनल, इस प्रकार जमा की जाने वाली राशि में कमी करने के कारणों को लिखित रूप से अंकित करने के उपरान्त कमी कर सकता है।

अपील की विषयवस्तु : फाइल की गयी प्रत्येक अपील को संक्षिप्त रूप से विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अपील करने के आधारों को क्रमानुसार दिया जाना चाहिए और इसे कागज पर `डबल स्पेस' में टाइप होना चाहिये।

अपील के साथ जमा कराये जाने वाले दस्तावेज :

i) ट्रिब्यूनल के जिस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की गयी है, उस आदेश की 2 प्रतियां (जिसमें से एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए) संलग्न की जानी चाहिए।

ii) जहां पर अपील पक्ष का प्रतिनिधित्व एजेंट द्वारा होना हो, वहां उसके एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत दस्तावेज अपील के साथ संलग्न किये जाने चाहिए।

iii) जहां पर बैंक या वित्तीय संस्थान के अधिकारी का प्रतिनिधित्व, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में होना है, वहां इस आशय के प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

वर्ष 2000 का वित्तीय बजट पेश करते समय इस बात का बोध कराया गया था कि ट्रिब्यूनल की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। इस दिशा में कुछ संशोधन किये गये हैं तथा कुछ अन्य बड़े नगरों में ट्रिब्यूनल स्थापित किये गये हैं।

वसूली न्यायाधिकरण को अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए एक अध्यादेश द्वारा कई संशोधन किये गये हैं, कुछ प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं :

- `ऋण' की परिभाषा को और विस्तृत करते हुए उसमें **समनुदेशन**, **बंधक** और **मध्यस्थता दृष्टिकोण** को सम्मिलित कर लिया गया है।
- बैंक या वित्तीय संस्थायें किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था से मिलकर, जिसे ऋणी से अपनी बकाया राशि वसूल करनी है, प्रक्रिया के किसी स्तर पर अन्तिम निर्णय के पहले, कार्रवाई कर सकती हैं।
- प्रतिवादी को यदि आवेदनकर्ता से कोई वसूली करनी हो तो उसके लिए वह **प्रतिदावा** दायर कर सकता है।
- प्रतिवादी द्वारा दिया गया लिखित बयान प्रभावी माना जायेगा और उसके आधार पर न्यायाधिकरण मूल दावा के समायोजन हेतु निर्णय ले सकेगा।
- प्रतिवादी द्वारा प्रतिदावा किये जाने पर न्यायाधिकरण द्वारा सम्बन्धित बैंक या वित्तीय संस्था को लिखित उत्तर देने हेतु समय निर्धारित किया जायेगा। यदि बैंक या वित्तीय संस्थान यह चाहता है कि प्रतिवादी द्वारा किये गये दावे पर प्रतिदावे के तहत निर्णय न लेकर उस पर स्वतंत्र रूप से कार्रवाई की जाये तो बैंक उसके लिए प्रतिदावे के मुद्दे निर्धारित होने से पहले आवेदन कर सकता है और न्यायाधिकरण जैसा उचित समझे निर्णय ले सकता है।
- बैंक या वित्तीय संस्था को यदि यह आशंका हो कि प्रतिवादी आदेशों के **निष्पादन** में बाधा डालने या देर करने की नीयत से –
  (1) सम्पत्ति का निपटान कर सकता है।
  (2) सम्पत्ति को न्यायाधिकरण की सीमा से बाहर ले जा सकता है।
  (3) सम्पत्ति को नष्ट कर सकता है, सम्पत्ति को कोई हानि पहुंचा सकता है या तीसरे व्यक्ति की रुचि पैदा कर सकता है, तो वह इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि न्यायाधिकरण इससे संतुष्ट हो तो – न्यायाधिकरण प्रतिवादी के विरुद्ध आदेश पारित करते हुये उसे निर्देश दे सकता है कि या तो वह न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित जमानत राशि जमा करे या ऐसी सम्पत्ति जिसका मूल्य वसूली राशि के बराबर हो या प्रतिवादी को न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर कारण बताये कि वह जमानत क्यों नहीं दे सकता। यदि प्रतिवादी निर्धारित समय के अन्दर ऐसा न करे, तो न्यायाधिकरण उसकी समस्त सम्पत्ति या बैंक द्वारा दावा की गयी सम्पत्ति, जो बैंक के पक्ष में जमानत के रूप में है या अन्य प्रकार से प्रतिवादी द्वारा अर्जित है और वसूली राशि के अनुरूप है, के लिए **कुर्की आदेश** पारित कर सकता है।
- आवेदनकर्ता बैंक या वित्तीय संस्था को जिस सम्पत्ति की कुर्की करानी है उसका विवरण या मूल्यांकन न्यायाधिकरण को उपलब्ध कराना होगा।
- न्यायाधिकरण को किसी सम्पत्ति के लिए रिसीवर, वसूली हेतु प्रमाण पत्र जारी करने से पहले या बाद में, नियुक्त करने का अधिकार है। न्यायाधिकरण यदि उचित समझे तो किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को कब्जे या

अभिरक्षा से हटाकर उस सम्पत्ति को रिसीवर के कब्जे में दे सकता है। न्यायाधिकरण रिसीवर को वसूली हेतु आवेदन, प्रबन्धन, सुरक्षा आदि के लिए अधिकृत कर सकता है। न्यायाधिकरण बिक्री हेतु सम्पत्ति का विवरण या प्रतिवादी की सम्पत्ति का विवरण तैयार करने हेतु एक आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है।

- जिस न्यायाधिकरण ने वसूली हेतु प्रमाणपत्र लिमिटेड कम्पनी के नाम जारी किये हों, वह ऐसी कम्पनी की सम्पत्ति की बिक्री से प्राप्त धन को सभी जमानती लेनदारों को कम्पनी अधिनियम की धारा 5 एए के अन्तर्गत निर्देशित कर सकता है।
- यदि प्रतिवादी की सम्पत्ति अन्य न्यायाधिकरण के कार्यक्षेत्र में स्थित हो, तो न्यायाधिकरण वसूली हेतु जारी प्रमाणपत्रों की प्रतियां सम्बन्धित न्यायाधिकरण को क्रियान्वयन हेतु भेज सकता है।
- यदि किसी न्यायालय द्वारा डिक्री ऋण वसूली न्यायाधिकरण अध्यादेश 2000 के आरम्भ होने से पहले दी गयी है और उसका निष्पादन नहीं हुआ है तो ऐसे मामले में आवेदक न्यायाधिकरण को वसूली हेतु आवेदन दे सकता है और न्यायाधिकरण द्वारा वसूली अधिकारी को वसूली हेतु प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है।

इस प्रकार कई संशोधनों के द्वारा अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाया गया है। तथापि इस अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम उपयोग करने हेतु निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है –

- न्यायाधिकरण में जाने का निर्णय समय पर लिया जाना चाहिए। प्रायः ऋणी कई प्रकार के आश्वासनों द्वारा शाखा को प्रभावित करता है और समय बढ़ाता रहता है, जिससे ब्याज की राशि बढ़ जाती है। यह भी सम्भावना रहती है कि इस बीच ऋणी जमानत की आस्ति (सम्पत्ति) को स्थानान्तरित कर दे।
- शाखाओं द्वारा खातेदार के सम्बन्ध में उपलब्ध सभी जानकारियों / पत्राचार आदि विधिक अधिकारी / अधिवक्ता को एक साथ उपलब्ध कराने चाहिए।
- न्यायाधिकरण को आवेदन देते समय यह ध्यान रखा जाये कि सभी सूचनाएं स्पष्ट और पूर्ण हों। विशेषकर, ऋणी और जमानतदारों के नाम और पते / बकाया राशि, ब्याज की दर आदि सूचनाएं स्पष्ट होनी चाहिए।
- खाते का विवरण और नामे शेष राशि की पुष्टि हो जिस पर खातेदार के हस्ताक्षर हों। इन्हें भी आवेदन के साथ न्यायाधिकरण में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- यदि सम्पत्ति बन्धक रखी गयी हो तो बैंक प्रतिनिधि को उस सम्पत्ति की कुर्की कराने हेतु भी आवेदन करना चाहिए।
- न्यायाधिकरण में आवेदन प्रस्तुत करने के बाद लगातार अनुवर्ती कार्रवाई भी करते रहना चाहिए और प्रयास होना चाहिए कि निर्णय शीघ्र हो और वसूली हेतु प्रमाण-पत्र यथाशीघ्र जारी कर दिया जाये।

स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि न्यायाधिकरण की स्थापना करके बड़े ऋणों की वसूली हेतु एक प्रभावी कदम उठाया गया है। आने वाले समय में इसके गठन और नियमों के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जायेगा। इससे न केवल वसूली के कार्य में गतिशीलता आयेगी वरन् इससे ऋण लेने वाला बैंक और वित्तीय संस्थाओं के साथ समझौता करने हेतु प्रेरित होगा। ■

प्रयुक्त शब्दावली

बकायादार	Debtor	साक्ष्य	Testimony
न्यायाधिकरण	Tribunal	कार्यविधि	Proceedings
किस्त	Installment	अध्यादेश	Ordinance
परामर्श	Advice	समनुदेशन	Assignment
पीठासीन अधिकारी	Presiding officer	बंधक	Mortgage
क्षेत्राधिकार	Jurisdiction	मध्यस्थता दृष्टिकोण	Arbitration Award
प्राधिकार	Authority	प्रतिदावा	Counter Claim
प्रतिवादी	Defendant	निष्पादन	Execution
अधिवक्ता	Advocate	कुर्की आदेश	Attachment order
संवीक्षा	Scrutiny		

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

श्री प्रह्लाद सबनानी
प्रबंधक
आर्थिक अनुसंधान विभाग
भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय
पोस्ट बाक्स क्र. 12, मादाम कामा रोड
मुंबई 400 021.

प्रस्तावना

भारतवर्ष में वित्तीय क्षेत्र, कई वित्तीय संस्थाओं एवं वित्तीय बाज़ारों को मिलाकर बना है। भारतीय वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग संस्थाओं का दबदबा है। यह इसी बात से सिद्ध होता है कि **संगठित** वित्तीय क्षेत्र की आस्तियों के दो-तिहाई भाग पर बैंकिंग क्षेत्र का कब्जा है। साथ ही, यह विश्व-व्यापी अनुभव है कि सुविकसित और **बाज़ारोन्मुखी** वित्तीय प्रणालियों वाले देश, कमज़ोर और सूक्ष्मता से विनियमित प्रणाली वाले देशों की तुलना में सुदृढ़ एवं योजनाबद्ध संवृद्धि दर्शाते हैं। भारत जैसे अधिकांश विकासशील देशों में बैंकिंग प्रणाली, वित्तीय प्रणाली का एक एकीकृत एवं महत्वपूर्ण हिस्सा होती है और उस पर उत्पादक प्रयोजनों के लिए बचत राशियों का उपयोग करने हेतु वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दायित्व होता है। अतः जब भी वित्तीय क्षेत्र में सुधार की बात की जाती है तब इसका आशय सामान्यतः बैंकिंग क्षेत्र में किये जा रहे सुधारों से होता है। भारतवर्ष में वित्तीय क्षेत्र में सुधार के प्रथम चरण के इतिहास की शुरुआत वर्ष 1992 से होती है जब प्रथम नरसिंहम समिति की विभिन्न सिफारिशों को लागू किया गया था।

वित्तीय क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता क्यों?

वर्ष 1991-92 में, भारतीय वित्तीय क्षेत्र पर दबाव अपने चरम पर पहुंच गया था, जब **सकल घरेलू उत्पाद** की वृद्धि दर मात्र 0.8 प्रतिशत रही थी। कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर क्रमशः **ऋणात्मक** 2.6 प्रतिशत तथा ऋणात्मक 1.9 प्रतिशत थी। सकल पूंजी निर्माण की वृद्धि दर ऋणात्मक 11.0 प्रतिशत थी। मुंबई मांग मुद्रा बाज़ार ब्याज दर अपने चरम पर 19.57 प्रतिशत हो गई थी। जमाराशि पर ब्याज दर 13.0 प्रतिशत तथा सावधि ऋण प्रदान करने वाले विकास बैंकों की मूल ऋण ब्याज दर 18 से 20 प्रतिशत तक पहुंच गई थी। इसके पूर्व वर्ष 1990-91 में व्यापार घाटा अपने चरम पर यथा 9437 मिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच चुका था और विदेशी निवेश का आगमन मात्र 103 मिलियन अमेरिकी डालर का था। चालू खाता के ऋणात्मक शेष 9680 मिलियन अमेरिकी डालर में से पूंजी खाता के 7188 मिलियन अमेरिकी डालर के शेष को घटाने के बाद भी योग शेष ऋणात्मक 2492 मिलियन अमेरिकी डालर का रहा था। इसका मुख्य असर विदेशी-मुद्रा निधियों पर पड़ा जो अति जोखिमपूर्ण न्यूनतम स्तर तक पहुंच चुकी थीं। उस समय देश के पास मात्र लगभग दो माह के आयात बिल के बराबर की विदेशी मुद्रा निधियां (3.51 बिलियन अमेरिकी डालर – सितम्बर 1990) बच गई थीं। विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने हेतु देश को स्वर्ण का भंडार विदेश में **गिरवी रखना** पड़ा था।

उक्त परिस्थितियों के चलते वित्तीय क्षेत्र में सुधार करना अति आवश्यक हो गया था। अतः वित्तीय क्षेत्र में सुधार संबंधी नरसिंहम समिति (प्रथम) की सिफारिशों को लागू किया गया। भारतवर्ष में वित्तीय क्षेत्र में सुधार संबंधी कार्यक्रम के बारे में मुख्य तथ्य यह है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र में सुधार आर्थिक सुधार कार्यक्रम के तहत शुरू किये गये तथा यह कई विकासशील देशों द्वारा शुरू किये गये सुधार कार्यक्रम की तर्ज़ पर प्रारंभ किये गये थे। नरसिंहम समिति (प्रथम) ने हालांकि वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु कई सिफारिशें की थीं परंतु हम यहां उनकी बैंकिंग क्षेत्र में सुधार संबंधी सिफारिशों की ही समीक्षा करेंगे।

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार

i) प्रारक्षित नकदी निधि तथा सांविधिक चल निधि अनुपात

वित्तीय क्षेत्र के सुधार लागू किये जाने के पूर्व भारतीय बैंकिंग उद्योग, सरकार एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के अनुसार अपनी निधियों का निवेश करता था। बैंकों को रु. 100 की अपनी कुल **मांग एवं मीयादी देयताओं** में से

रु. 54 की राशि प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात एवं सांविधिक चलनिधि अनुपात को बनाये रखने हेतु निवेश करनी होती थी । इस प्रकार के निवेश पर पूर्व निर्धारित ब्याज दर अत्यधिक कम रहती थी । साथ ही, उक्त नियमों के चलते, बैंक अपनी मांग एवं मीयादी देयताओं का उपयोग बैंक की लाभप्रदता बढ़ाने हेतु नहीं कर पा रहे थे । यह राशि सरकार के बजट की अर्थ संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग होती रही है । बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लागू करने के बाद प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात एवं सांविधिक चलनिधि अनुपात की दर को घटाकर क्रमशः 7 प्रतिशत तथा 25 प्रतिशत तक लाया गया है । हालांकि प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात को तो धीरे-धीरे न्यूनतम तीन प्रतिशत तक लाया जाना है । यह एकदम इसलिए नहीं घटाया जा सकता क्योंकि इससे न केवल देश में मुद्रा प्रसार की दर सीधे-सीधे ही प्रभावित होगी वरन् रुपये की विनिमय दर पर भी दबाव आ जायेगा ।

ii) ब्याज दर

बैंकों की जमाराशि एवं ऋणराशि पर ब्याज दर का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक करता था । इस व्यवस्था को समाप्त कर अब बैंकों को यह अधिकार दे दिया गया है कि सावधि जमाराशि पर ब्याज दर एवं रु. 2 लाख से अधिक की ऋणराशि पर ब्याज दर (उनकी ब्याज लागत तथा सेवा लागत को ध्यान में रखते हुए) वे स्वयं निर्धारित करें । अब केवल बचत बैंक जमाराशि पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 4 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है एवं विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जा रही जमाराशि पर भी ब्याज दर भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित करता है चूंकि विदेशी मुद्रा की आवक पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्यात वित्त पर ब्याज दर भी भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित करता है ।

iii) विवेकयुक्त मानक

भारतीय बैंकों की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप, सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई विवेकयुक्त मानकों को लागू किया गया है । इनमें से कुछ मुख्य हैं – **पूंजी पर्याप्तता अनुपात**, आय निर्धारण–सम्पत्ति वर्गीकरण एवं प्रावधान संबंधी मानक आदि । इन मानकों को लागू करने के बाद से और भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है । पूंजी पर्याप्तता अनुपात 8.0 प्रतिशत रखा गया था जिसे 31 मार्च 2000 को 9.0 प्रतिशत तथा 31 मार्च 2002 को 10.0 प्रतिशत तक समस्त बैंकों को बढ़ाना है । सरकारी प्रतिभूतियों को भी जोखिम भारित आस्तियों की श्रेणी में लाया गया है तथा ऐसे गैर-निष्पादक ऋण, जिन पर सरकार (राज्य अथवा केन्द्र) की गारंटी रहती है, पर भी अब बैंकों को प्रावधान करना आवश्यक होगा । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू किये जा चुके आय-निर्धारण संबंधी मानक को भारत में भी लागू किये जाने पर विचार किया जा रहा है । इस मानक के अनुसार ऋणदाताओं को ब्याज की अदायगी 90 दिनों के भीतर करनी होगी अन्यथा उक्त ऋण खाता प्रामाणिक आस्ति की श्रेणी में नहीं बना रह सकेगा । इस प्रकार के मानक को समयबद्ध तरीके से ही लागू किया जाना चाहिए क्योंकि भारतीय ऋणदाताओं को इसकी महत्ता समझाना आवश्यक है । दूसरे, इस मानक को एकदम लागू करने से भारतीय बैंकों के ऋण गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में परिवर्तित हो जाएंगे जिससे भारतीय जनता का बैंकों पर से विश्वास उठ जाने का खतरा बन सकता है । निवेश संबंधी मानकों के अनुसार, अगले तीन वर्षों में भारतीय बैंकों को अपने समस्त निवेश को बाज़ार हेतु चिन्हित निवेश की श्रेणी में लाना होगा । वर्तमान नियमों के अनुसार, सरकार एवं अनुमोदित प्रतिभूतियों के 70 प्रतिशत भाग को ही बाज़ार हेतु चिन्हित निवेश की श्रेणी में रखा जाता है ।

iv) प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता

प्रतिस्पर्धा से सदैव जनता को ही लाभ पहुंचता है क्योंकि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से एक तो बैंक अपनी ग्राहक सेवा में सुधार करने को मजबूर होते हैं । दूसरे, अपनी लागतों में कमी कर उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं । भारतवर्ष में भी निजी क्षेत्र के नये बैंकों को लाइसेंस प्रदान किये गए हैं एवं वर्तमान में 9 बैंक (टाइम्स बैंक एवं एचडीएफसी बैंक का विलयन हो रहा है) कार्यरत हैं । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उद्देश्य से कई विदेशी बैंकों को अपनी शाखाएं खोलने हेतु लाइसेंस प्रदान किये जा रहे हैं ।

भारतीय बैंकों के वार्षिक लेखों को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से प्रकटीकरण की प्रक्रिया को शिथिल बनाया जा रहा है । अब बैंकों को अपने तुलन-पत्र के माध्यम से निवेश के वर्गीकरण की पद्धति एवं उनके मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया, निवल अलाभकारी आस्तियों का विवरण, उपबंध और आकस्मिक व्यय संबंधी विवरण, पूंजी पर्याप्तता अनुपात संबंधी विवरण तथा अन्य कई अतिरिक्त प्रकटीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के तहत देने होते हैं ।

v) पर्यवेक्षण

बैंक पर्यवेक्षण का मुख्य उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित रखना तथा सुदृढ़ एवं स्वस्थ बैंकिंग की स्थापना करना है । अतः वित्तीय पर्यवेक्षण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एक स्वतंत्र बोर्ड बनाया गया है । बैंकिंग पर्यवेक्षण के 48 केन्द्रीय सिद्धान्तों में से 33 सिद्धांतों को पूर्णतः लागू किया जा चुका है, 11 सिद्धान्तों को आंशिक रूप से लागू किया गया है एवं केवल दो सिद्धान्तों को लागू किया जाना शेष है। भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण को और भी सुदृढ़ बनाने हेतु लगातार प्रयासरत है ।

vi) जोखिम प्रबंधन

बैंकों में जोखिम प्रबंधन के महत्व को समझते हुए 1 अप्रैल 1999 से ब्याज जोखिम, साख जोखिम, मुद्रा जोखिम एवं चलनिधि जोखिम आदि से बचने के लिए आस्ति-देयता प्रबंधन प्रणाली को, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लागू किया जा चुका है। इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ताकि बाज़ार जोखिम एवं सुनियोजित जोखिम आदि से बचा जा सके ।

vii) साख नियंत्रण

चयनात्मक ऋण नियंत्रणों को लगभग समाप्त किया जा चुका है । छोटे-छोटे ऋणों को नियंत्रण मुक्त किया जा चुका है जिससे बैंकों और उधारकर्ताओं दोनों को ही सुविधा हो सके । साख निर्धारित करने संबंधी नियमों को भी शिथिल बनाया गया है ताकि साख के प्रवाह को बढ़ाया जा सके । संघीय सहायता ऋण प्रणाली को भी समाप्त किया जा चुका है । अधिकतम अनुमत बैंक वित्त संबंधी टंडन कमेटी और चोरे कमेटी की सिफारिशों के क्रियान्वयन को अब अधिदेशात्मक अनुदेशों की श्रेणी से हटा दिया गया है । प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया गया है। कई नये क्षेत्रों के ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणों की श्रेणी में शामिल किया गया है । मकान वित्त एवं आधारिक संरचना के विकास हेतु ऋणों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि देश के विकास को गति दी जा सके एवं साख के उठाव को बढ़ाया जा सके ।

viii) क्षेत्र जिनमें सुधार की अधिक आवश्यकता है

उपरोक्त सुधारों के अतिरिक्त भी वित्तीय क्षेत्र में, विशेषतः बैंकिंग क्षेत्र में, कई सुधार किये गये हैं जिनमें मुद्रा बाज़ार, सरकारी प्रतिभूति बाज़ार, पूंजी बाज़ार एवं विदेशी विनिमय बाज़ार आदि से संबंधित सुधार शामिल हैं । भारतवर्ष में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों का प्रभावशाली ढंग से अनुपालन जारी है तथा सुधारों के प्रथम चरण के परिणाम बैंकिंग क्षेत्र में पारदर्शिता एवं सुधरी हुई दक्षता से जाहिर होते हैं । परंतु कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं जिनमें अत्यधिक कार्य किया जाना शेष है । इनमें से कुछ क्षेत्रों की झलक वित्तीय क्षेत्र में सुधार संबंधी नरसिंहम समिति (द्वितीय) की सिफारिशों में मिलती है । नरसिंहम समिति (द्वितीय) की सिफारिशों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है । निम्न सुधारों को अब गति दिये जाने की आवश्यकता है ।

ix) कानूनी सुधार

भारतीय बैंकों के सामने आज सबसे बड़ी समस्या, लगातार बढ़ रही गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की है । 31 मार्च 1999 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियां रु. 58554 करोड़ की थीं, जो सकल ऋण राशि का 14.6 प्रतिशत थी । गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बैंकों की लाभप्रदता को सीधे-सीधे प्रभावित करती हैं क्योंकि इससे एक ओर तो ब्याज की आय में कमी होती है। दूसरे, इस प्रकार के ऋणों हेतु उपबंध की मांग बढ़ती है। अतः बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में कमी करना अत्यंत आवश्यक है । देश में आज 100 वर्ष पुराने कानून लागू हैं जिनके चलते **चूककर्ता** ऋणियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही पूरी होने में कई वर्ष लग जाते हैं अतः बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में कमी नहीं हो पा रही है । आज आवश्यकता इस बात की है कि देश के कानून को कठोर बनाया जाये ताकि बैंक के ऋणों की वसूली में तेज़ी लायी जा सके । हालांकि 9 ऋण वसूली ट्रिब्यूनल की स्थापना कर बैंकों के ऋणों की वसूली में तेज़ी लाने के प्रयास किये गए हैं, लेकिन इसका परिणाम उत्साहजनक नहीं रहा है। ऋण वसूली ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाये गए एक कार्यदल ने कई सिफारिशें की हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है।

x) लेखा मानक

यह अक्सर कहा जाता है कि भारतीय बैंकों द्वारा अपनाये गए लेखा मानक, अन्तर्राष्ट्रीय लेखा मानकों की तुलना में काफी पीछे हैं। हालांकि लेखा एवं मूल्यांकन संबंधी मानक अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना योग्य हैं परंतु समूह लेखा तथा उनके समेकन संबंधी मानकों में भारतीय बैंक अभी भी बहुत पीछे हैं । दूसरा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा लेखा प्रकटीकरण मानदंड से संबंधित है जिस पर तत्काल ध्यान दिया जाना आवश्यक है । यद्यपि भारतीय बैंकों के

प्रकटीकरण मानकों में, सुधार के लागू होने के बाद की अवधि में, सुधार हुआ है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मानकों से अभी भी पीछे हैं। भारतीय बैंकों को विश्व बाज़ारों सहित पूंजी बाज़ारों को, पूंजी पर्याप्तता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बार-बार दोहन करना होगा अतः भारतीय बैंकिंग उद्योग द्वारा मुख्य रूप से (यूएसजीएएपी) संयुक्त राज्य अमेरिका में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा विधि मानकों के अनुरूप अधिक पारदर्शिता दर्शाने वाले मानकों को अपनाने से भारतीय बैंकिंग प्रणाली के प्रति विश्वव्यापी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा। अतः इस दिशा में प्रयास किया जाना आवश्यक है।

xi) विलयन एवं अधिग्रहण

भारतीय बैंकिंग उद्योग वर्तमान समय में क्रांतिकारी परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। नयी वित्तीय सेवाएं तथा साधन विचाराधीन हैं तथा यह अपेक्षा की जाती है कि ये 21 वीं शताब्दी में बैंकिंग परिदृश्य को प्रभावित करेंगे। एक तरफ तो बैंकों एवं विकासोन्मुखी वित्तीय संस्थाओं के बीच तथा दूसरी ओर बैंकों और निवेशक बैंकों के बीच अंतर अस्पष्ट होता जा रहा है। अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार एवं लागतों में कमी करने के उद्देश्य से बैंकों के आपस में विलयन एवं अधिग्रहण की घटनाएं विश्व में लगातार बढ़ती जा रही हैं। भारत भी इन घटनाओं से अछूता नहीं रहेगा अतः इस संबंध में यथायोग्य नियम का बनाया जाना आवश्यक होगा।

xii) सूचना प्रौद्योगिकी

बैंकिंग उद्योग के इतिहास में किसी अन्य बाहरी परिवर्तन की तुलना में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक प्रभाव वास्तविक रूप से अधिकाधिक मूलभूत सिद्धांतों पर और तेज़ी से पड़ा है। भारतीय बैंकों ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देर से कदम रखा है और अब इसके परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी बैंकिंग के स्थापित सिद्धान्तों को भी चुनौती दे रही है। इस प्रकार ``वास्तविक बैंकिंग'' के उदय से ``प्रत्यक्ष बैंकिंग'' अपना अधिकांश महत्व खो देगी। इसके फलस्वरूप ग्राहक संसार के किसी भी कोने से अपने खाते का तत्काल उपयोग करने में सक्षम होगा। इस प्रकार भुगतान एवं निपटान व्यवस्था पर बैंक का वास्तविक एकाधिकार भी समाप्त हो जायेगा। आज बैंकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ``प्रौद्योगिकी'' की है। अतः इस दिशा में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश है। डॉ. ए. वासुदेवन की अध्यक्षता में बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास हेतु एक समिति का गठन किया गया था जिसने बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास के विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव दिये हैं। भारतीय बैंक संघ भी बैंकों में प्रौद्योगिकी विकास हेतु अपने स्तर पर प्रयासरत है। जैसे ``स्वधन'' योजना का शुभारंभ भारतीय बैंक संघ की पहल पर ही हो सका है। इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण सुविधा, अंतर-बैंक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, स्वतः टेलर मशीन एवं वेरी स्माल एपरचर टर्मिनल नेटवर्क की शुरुआत की जा चुकी है। भारतीय वित्तीय नेटवर्क जो हैदराबाद में स्थापित किया जा रहा है, के माध्यम से समस्त बैंक आपस में जुड़ जायेंगे। अंततः **वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली** की ओर भारतीय बैंकिंग उद्योग बढ़ रहा है।

xiii) कारपोरेट गवर्नेन्स

बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से संबंधित कारपोरेट गवर्नेन्स संबंधी विषयों का उल्लेख किया है। इनमें स्वायत्तता का विषय विशेष महत्वपूर्ण है, जो कि एक प्रतिस्पर्धात्मक और दक्षतापूर्ण बैंकिंग प्रणाली की कार्यपद्धति हेतु आवश्यक है। इस मामले में समिति की अनुशंसाएं सामयिक हैं। इन पर विस्तार से विचार विमर्श किया जाना आवश्यक है। कारपोरेट गवर्नेन्स पर गठित समिति भी अपनी अनुशंसाएं दे चुकी है।

xiv) बैंकों का स्वामित्व

भारतीय बैंकिंग उद्योग में मुख्यतः सरकारी क्षेत्र के बैंकों का वर्चस्व है। नरसिंहम समिति (द्वितीय) ने सरकार के स्वामित्व को 33 प्रतिशत तक घटाए जाने की सिफारिश की है। इससे बैंकों को **स्वायत्तता** प्राप्त हो सकेगी। यह एक गंभीर एवं विचारणीय प्रश्न है। इस सिफारिश को मान लेने से भारतीय बैंकों के वर्तमान स्वरूप में भारी बदलाव आ जायेंगे। क्या इसके लिए देश तैयार है? इस विषय पर गंभीरता से विचार किया जाना आवश्यक है।

उपसंहार

भारतवर्ष में, वित्तीय क्षेत्र में चालू किए गए सुधारों का परिणाम सामान्यतः काफी संतोषप्रद रहा है। यह इसी बात से सिद्ध होता है कि देश के आर्थिक विकास को पुनः गति मिली है। वर्ष 1999-2000 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत रही तथा औद्योगिक उत्पादन में 9 प्रतिशत, कृषि उत्पादन में 0.8 प्रतिशत, सेवा क्षेत्र में 8.5 प्रतिशत, निर्यात में 11.7 प्रतिशत एवं आयात में 10.5

प्रतिशत की वृद्धि दर रही । **मुद्रास्फीति** की वार्षिक औसत दर वर्ष 1999-2000 में 2.97 प्रतिशत रही । अतः मुद्रास्फीति भी नियंत्रण में है । बैंकों के ऋणों में उठाव पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है । विदेशी मुद्रा (स्वर्ण एवं एसडीआर सहित) के भंडार, 31 मार्च 2000 को 38.04 बिलियन अमेरिकी डालर तक पहुंच चुके हैं ।

भारतीय संसद में हाल ही में कई बिल पास किये गये हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं – बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण बिल, व्युत्पन्न (डेरीवेटिव) संशोधन बिल, विदेशी मुद्रा प्रबंधन बिल, ट्रेड मार्क बिल, मनी लांडरिंग बिल, सूचना तकनीकी बिल, 2000 आदि । अब व्युत्पन्न व्यापार और इंटरनेट व्यापार शीघ्र ही शुरू होने की संभावना बढ़ गई है । आने वाले समय में बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों की गति और तेज़ होगी, ऐसी संभावना उक्त बिलों के पास होने के बाद व्यक्त की जा रही है ।

■

प्रयुक्त शब्दावली

संगठित	Organised	पारदर्शिता	Transparency
बाज़ारोन्मुखी	Market oriented	पर्यवेक्षण	Supervision
सकल घरेलू उत्पाद	Gross Domestic Product	चयनात्मक ऋण नियंत्रण	Selective Credit Control
ऋणात्मक	Negative	चूककर्ता	Defaulter
गिरवी रखना	To pledge	सूचना प्रौद्योगिकी	Information Technology
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात	Cash Reserve Ratio	वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली	Real Time Gross Settlement System (RTGS)
सांविधिक चल निधि अनुपात	Statutory Liquidity Ratio	स्वायत्तता	Autonomy
मांग एवं मीयादी देयताएं	Demand & Time Liabilities	मुद्रास्फीति	Inflation
विवेकयुक्त मानक	Prudential Norms		
पूंजी पर्याप्तता अनुपात	Capital Adequacy Ratio		

स्तरीय लेख आमंत्रित हैं

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की त्रैमासिक पत्रिका `राजभाषा भारती' में प्रकाशनार्थ ज्ञान-विज्ञान की सभी विधाओं पर स्तरीय लेख आमंत्रित किए जाते हैं। लेख ए-4 आकार के कागज पर दो प्रतियों में टाइप किया हुआ होना चाहिए जो सामान्यतः 3000 शब्दों से अधिक न हो। लेख पर उचित मानदेय देने की भी व्यवस्था है। यदि किसी कारणवश किसी लेख को पत्रिका में शामिल करना संभव न हुआ तो उसे लौटाया नहीं जाएगा। कृपया लेख निम्नलिखित पते पर भेजें :

संपादक
राजभाषा भारती
राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
कमरा सं. ए-2, द्वितीय तल
लोकनायक भवन, खान मार्किट
नई दिल्ली - 110003
दूरभाष सं. 4617807

फैक्टरिंग

श्री दिनेश मित्तल
सहायक प्रबंधक
विजया बैंक कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र
``विद्यासागर'', रहेजा टाउनशिप
मालाड (पूर्व)
मुंबई - 400 097

भारत में प्रचलित आर्थिक सुधार प्रक्रिया के एक भाग के रूप में किये गये उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में, बैंकिंग उद्योग को भी लचीलापन प्राप्त हो गया है। बैंकों को नवोन्मेषी बैंकिंग उत्पाद जैसे कि पट्टेदारी और किराया खरीद, उद्यम पूंजी, म्युच्युअल फंड, क्रेडिट कार्ड, आवास वित्त, उपभोक्ता वित्त, फैक्टरिंग, समपहरण, अभिरक्षी सेवाएं और हाल ही में बीमा कारोबार, आदि जैसी ऋण और अन्य बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के वैकल्पिक साधन के रूप में, जारी करने का अवसर मिला है । इन सभी नवोन्मेषी उत्पादों में फैक्टरिंग का अपना अलग स्थान है ।

फैक्टरिंग सेवाएं - फैक्टरिंग एक वित्तीय सेवा है जिसमें ``वित्तीयन'' एवं उधार वसूली जैसी सेवाएं दी जाती हैं । फैक्टरिंग के द्वारा ऋण (प्राप्त की जानेवाली राशि) की वसूली की जाती है। फैक्टरिंग सेवा प्रदान करनेवाली संस्था को फैक्टर कहा जाता है। फैक्टर अपने ग्राहक (माल या सेवा देनेवाला) के **बही ऋण** की वसूली ग्राहक से करता है। बिलों के बट्टे या छूट के रूप में काटी गई राशि ही फैक्टर का लाभ होता है जिसे सर्विस चार्ज कहा जाता है । फैक्टरिंग एक व्यापक व्यवस्था है जिसमें वित्तपोषण एवं ऋण वसूली के अतिरिक्त बिक्री लेखा रखरखाव का समावेश है ।

भारत में फैक्टरिंग की शुरूआत सर्वप्रथम स्टेट बैंक ने 1991 में की थी। इसके बाद केनरा बैंक ने दक्षिणी क्षेत्र में फैक्टरिंग सेवाएं देना शुरू किया ।

फैक्टरिंग कार्यप्रणाली

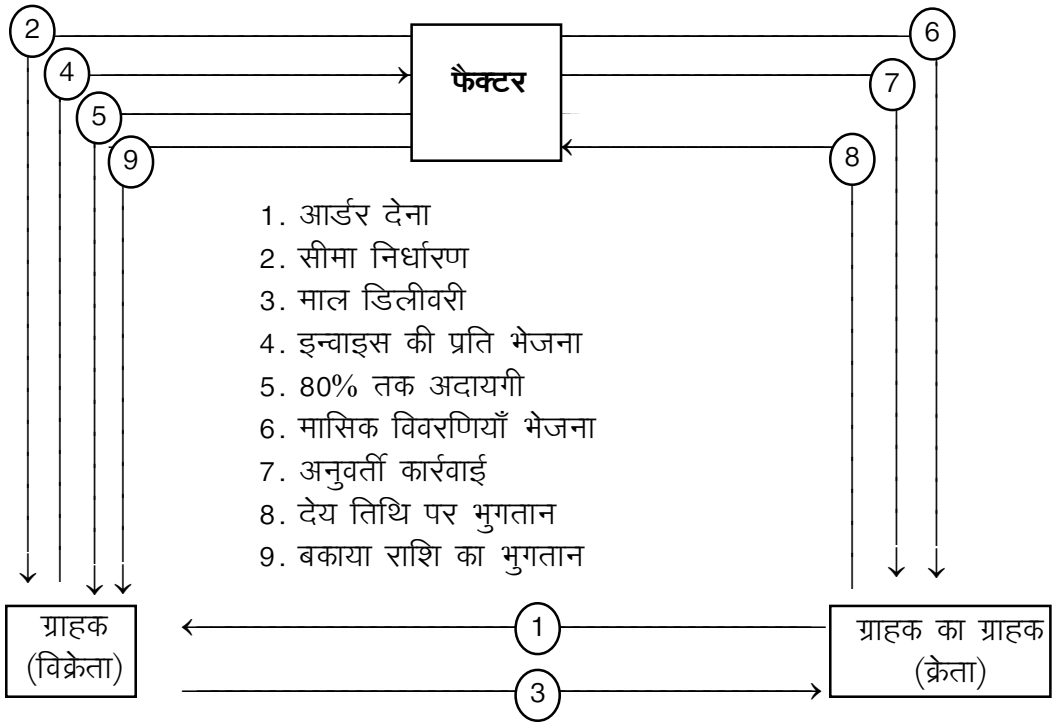

यहां यह कहना आवश्यक होगा कि फैक्टरिंग विनिमय बिलों के माध्यम से **वित्तपोषण** से भिन्न है। यह भिन्नता निम्न प्रकार से है :

बिल वित्तपोषण	फैक्टरिंग
1. बिल वित्तपोषण के माध्यम से उद्यमी को केवल ऋण ही दिया जाता है।	1. फैक्टरिंग का दायरा ज्यादा व्यापक है, जैसे - बिक्री बही खाता का प्रबंध, प्राप्य राशियों की वसूली आदि भी शामिल हैं।
2. बिल वित्तपोषण में ऋण बिलों को प्रतिभूति मानकर दिया जाता है।	2. फैक्टर द्वारा व्यापार प्राप्तियों को सीधा ही खरीद लिया जाता है।
3. कम्पनियों के मामले में कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास कम्पनी की सम्पत्तियों पर ऋण दाता का चार्ज दर्ज करवाया जा सकता है।	3. यह सुविधा फैक्टर को उपलब्ध नहीं।
4. हर बिल वित्तपोषण अपने आप में एक अकेला लेन-देन है। अतः ऋण दाता अदाकर्ता के आधार पर वित्तपोषण के लिए चयन कर सकता है।	4. फैक्टर को **सम्पूर्ण आवर्त** के सिद्धांत पर प्रायः सभी अदा-कर्ताओं को शामिल करना पड़ता है।
5. बिल वित्तपोषण ऋणी के तुलन-पत्र पर आता है।	5. फैक्टरिंग के माध्यम से ली गई राशि तुलन-पत्र पर देयता या परिसम्पत्ति के रूप में नहीं आती।

फैक्टरिंग सेवाओं पर शुल्क

फैक्टर द्वारा ग्राहक से प्रायः दो प्रकार के शुल्क वसूल किये जाते हैं।

(अ) बिक्री बही-खाता के प्रबंध पर, जिसे प्रायः कुल आवर्त के प्रतिशत के रूप में वसूल किया जाता है।

(ब) बट्टा शुल्क जो ग्राहक को तुरंत नकदी उपलब्ध कराने के लिए ब्याज दर की तरह लगाया जाता है।

फैक्टरिंग सेवाएं–लाभ

व्यापार, व्यवसाय या उद्योग को चलाए रखने में नकदी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सभी प्रकार की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नकदी की आवश्यकता पड़ती है किन्तु आज की तेज प्रतिस्पर्धा के दौर में माल/सेवा को नकदी में बेच पाना संभव नहीं हो पाता। इसका सबसे बुरा असर छोटे उद्यमियों पर पड़ता है। ऐसे लोग एक ओर तो स्टॉक के लिए बड़ी राशि निवेश नहीं कर पाते, वहीं वसूली के मामले में उन्हें ग्राहकों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। भुगतान प्राप्त करने के लिए विक्रेता (उद्यमी) द्वारा दबाव डाला जाता है तो इस बात का खतरा पैदा हो जाता है कि भविष्य में उन पार्टियों के आर्डर न मिलें। इस तरह की विषम परिस्थितियों से निबटने के लिए फैक्टरिंग की अहम् भूमिका है। फैक्टरिंग के प्रमुख लाभ निम्नप्रकार हैं :

1. **समय की बचत** - फैक्टरिंग के द्वारा ग्राहक के समय की काफी बचत होती है क्योंकि फैक्टरिंग अपनाने पर उद्यमी को ऋण विभाग की देख-रेख, बहियों के रखरखाव, मांग वसूली आदि का ध्यान नहीं रखना पड़ता इसलिए वह अपना ध्यान व्यवसाय पर केन्द्रित कर सकता है।

2. **लागत में कमी** - उद्यमियों को बिक्री के संचालन और उधार दिए गए माल की वसूली करने में बहुत-सा धन व्यय करना पड़ता है जबकि उद्यमी लगभग 2% राशि फैक्टर को देकर इस सारी समस्या से छुटकारा पा लेता है।

3. **लाभप्रदता में सुधार** - सामान्यतया उधार मामलों में ऋण के डूब जाने, पूरा पैसा वापस न मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है परंतु फैक्टरिंग के माध्यम से बेहतर तरीके से ऋण की वसूली होती है और ग्राहक (उद्यमी) की लाभप्रदता में सुधार आता है।

4. **तकनीकी लाभ** - फैक्टरिंग के माध्यम से ग्राहकों को न केवल वित्तीय लाभ प्राप्त होता है अपितु तकनीकी लाभ भी प्राप्त होते हैं । फैक्टरिंग से ग्राहकों को ऋण निर्णय लेने, अपने ग्राहक की ऋण योग्यता परखने, खातों की जांच पड़ताल करने, बाज़ार परिस्थितियाँ जानने तथा आर्थिक संभावनाओं जैसे तकनीकी मुद्दों पर मार्गदर्शन प्राप्त होता है ।

5. **नकदी में सुधार** - फैक्टरिंग से नकदी का एक नया स्रोत उपलब्ध होता है । पर्याप्त मात्रा में नकदी की उपलब्धता से परिचालन चक्र में कमी आती है और टर्नओवर बढ़ता है । इससे ग्राहक के कारोबार में वृद्धि होती है ।

6. **वित्तीयन का वैकल्पिक उपाय** - फैक्टरिंग के द्वारा ग्राहक को अपने ग्राहक की **अदायगी क्षमता** आंकने में मदद मिलती है जिससे उसे नकदी प्रबंधन में आसानी रहती है । ग्राहक यह भी जान लेता है कि कुल टर्नओवर में से उसके ग्राहक का हिस्सा कितने प्रतिशत रहा ।

7. **खरीदने/बेचने की शर्तें सरल होना** - चूंकि ग्राहक को फैक्टर से पर्याप्त नकदी प्राप्त हो जाती है इसलिए ग्राहक कच्चे माल को नकदी में खरीदकर अधिक लाभ उठा सकता है । दूसरी ओर चूंकि ग्राहक के ग्राहक को ऋण सुविधा उपलब्ध हो जाती है इसलिए उसे नकद भुगतान के लिए व्यापारिक छूट देने की जरूरत नहीं पड़ती ।

8. **उचित नियंत्रण** - यदि उद्यमी के पास पर्याप्त मात्रा में निधियाँ उपलब्ध रहेंगी तो वह उन्हें आसानी से सावधि आस्तियों में निवेशित कर देगा । इससे परिचालन नियंत्रण में मदद मिलती है । ग्राहक अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप निविष्टियाँ घटा बढ़ा सकता है ।

फैक्टरिंग की सीमाएँ - फायदों के साथ फैक्टरिंग की कुछ सीमाएं भी हैं । फैक्टर के लिए इसके जोखिम और व्यवस्था की कुछ अपनी कमजोरियाँ हैं ;

1. **ग्राहक की अवांछनीय संतुष्टि** - फैक्टरिंग से सुगम नकदी की प्राप्ति के कारण ग्राहक कुप्रबंध या क्षमता से अधिक व्यापार करने में लग जाएगा ।

2. **अप्रचलित** - भारत जैसे देश में फैक्टरिंग अभी भी प्रारम्भिक स्तर पर है । बैंक के संपर्क में रहनेवाले ग्राहक ऋण मामलों में परंपरागत तरीके अपनाना पसंद करते हैं । फैक्टरिंग प्रक्रिया और उसके फायदों से ग्राहक पूर्णतया परिचित नहीं है ।

3. **फैक्टर के लिए जोखिम** - ग्राहक द्वारा फर्जी **बीजक** या ऐसे बीजक जिनमें वास्तव में कोई वस्तुएं निहित नहीं हैं या वस्तुओं के प्रेषण से पहले ही बीजक तैयार करके फैक्टर को दे देना, जैसे धोखाधड़ियों का जोखिम फैक्टर के सामने हमेशा रहा है ।

4. **व्यापार ऋणों पर फैक्टर के अधिकार** - जबकि विनिमय पत्र के मामलों में यथा विधि धारकवाले अधिकार प्राप्त हैं, फैक्टरिंग में यह अधिकार इतने सुदृढ़ नहीं हैं । फैक्टरिंग में बट्टा और वापसियां जैसी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है ।

5. सभी कंपनियां फैक्टरिंग सुविधाओं के लिए सुयोग्य भी नहीं होती । जैसे कम आवर्त (टर्नओवर) वाली कंपनियां, कंपनियां जिनके कुछ ही ग्राहक हों या बहुत ज्यादा ग्राहक हों, कंपनियां जो सट्टेबाजीवाला व्यवसाय कर रही हों, या जिनका प्रबंध तंत्र कमजोर और अकुशल हो, इत्यादि ।

उपरोक्त से यह पता चलता है कि फैक्टरिंग के लाभ और नुकसान दोनो ही हैं । परंतु कुल मिलाकर यह नवोन्मेष बैंकिंग का एक सुदृढ़ हिस्सा है । भारत जैसी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए फैक्टरिंग का अपना महत्व है, जबकि फैक्टरिंग से ज्यादा लाभ ग्राहक को हैं, इसके नुकसान जोखिम दृष्टिकोण से फैक्टर को हैं परंतु कोई भी ऋण जैसी गतिविधि जोखिम से बच नहीं सकती । अतः जोखिम प्रबंध की फैक्टरिंग में अहम भूमिका है । फैक्टर अपना ग्राहक चुनते समय उसमें निहित जोखिम का अध्ययन करके अपना निर्णय ले सकता है । फैक्टर ऐसे उद्योगों को ग्राहक चुन सकता है जो प्रगति के स्तर पर हों, सुदृढ़ हों या ऐसे उद्योग जिनमें नकदी प्रबंध की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है ।

■

प्रयुक्त शब्दावली

बही ऋण	Book debt	अदायगी क्षमता	Paying Capacity
वित्तपोषण	Financing	बीजक	Invoice
सम्पूर्ण आवर्त	Whole Turnover		

अगले दशक में भारतीय बैंकिंग का स्वरूप *

श्री आर. एल. रेगर
भारतीय स्टेट बैंक
अहमदाबाद.

सिंहावलोकन :

अगर मैं आपसे यह कहूँ कि अपनी कार के बारे में या आप जो कुछ भी लेकर आये हैं, उसके बारे में एक अच्छी बात बताइये, तो आपके लिए यह एक चुनौती नहीं होगी । लेकिन आपसे कहा जाये कि अपने बैंक के बारे में मुझे एक अच्छी बात बताइये तो आप एकबारगी उलझन में पड़ जायेंगे । क्यों ? ऐतिहासिक रूप से प्रतिस्पर्धा के अभाव ने बैंकों में संतुष्टि उत्पन्न कर दी । बड़े बैंकों ने बैंकिंग बाज़ार को एक जैसे उत्पाद एवं सेवाएं देकर आपस में बांट लिया था । अधिकांश बैंकों ने उच्च लेकिन गिरता विश्वास, निम्न तथा गिरती हुई लोकप्रियता को हासिल किया । लेकिन समय के उतार-चढ़ाव ने उन्हें बीमा योजना कम्पनियों, बिल्डिंग सोसायटियों, विदेशी बैंकों और निजी बैंकों, वित्तीय संस्थानों इत्यादि की प्रतिस्पर्धा के सम्मुख ला खड़ा किया है । ग्राहक के दृष्टिकोण में इससे परिस्थिति में सुधार होना चाहिए था, लेकिन यह पूरा क्षेत्र बाज़ार भ्रमिता एवं उत्पादों की वरक की भांति पतली विभिन्नता से ग्रसित है ।

पहले ग्राहक बंधन लगभग स्वतः स्फूर्त था । अतः बैंकों में प्रतिस्पर्धा कार्यक्षमता, खज़ाना प्रबंधन एवं टेक्टीकल प्रमोशन जैसे ग्राहक रहित विषयों तक सीमित थी । प्रत्येक बैंक ने अपनी अधिकांश शक्ति युवा बाज़ार (यूथ मार्केट) पर केन्द्रित की थी, इस विश्वास के साथ कि 18 वर्ष का ग्राहक ताजिन्दगी उनके साथ रहेगा ।

आज सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया के चलते कालान्तर में वास्तविक प्रतिस्पर्धा उभरी है, जहां मुक्त बैंकिंग एक आदर्श बन गया है एवं लाभांश सिकुड़ गये हैं । ग्राहक बैंक बदलने के लिए तैयार है । अतः इस परिप्रेक्ष्य में विषय हैं - उन्हें मजबूत ग्राहक रिश्तों में कैसे बांध कर रखा जाए ताकि यह प्रक्रिया थम सके ।

भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का परिदृश्य :

बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था में जीवन रक्त की भांति होते हैं । यह सिद्धप्राय सत्य है कि जिन देशों में बैंकिंग प्रणाली सशक्त एवं सक्षम होती है, उन देशों की अर्थव्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ एवं प्रतिरोधी होती है एवं ऐसे देश किसी भी प्रकार के वित्तीय संकट से आसानी से एवं शीघ्रता से उबरने में सक्षम होते हैं ।

पहुँच एवं सघनता की दृष्टि से भारतीय बैंकिंग प्रणाली पूर्णतः विस्तार पा चुकी है ।

पिछले पांच दशकों में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में चार मुख्य मोड़ आये हैं, एवं प्रत्येक मोड़ इस प्रणाली के उत्कर्ष एवं अर्थव्यवस्था के विकास में इंजन की भांति कार्य करने में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर जैसा साबित हुआ है । सन् 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने भारतीय बैंकों के दायरे एवं पहुँच का अधिकाधिक विस्तार किया । यह एक महत्वपूर्ण घटना थी, जब 14 बड़े बैंक, जिनकी जमा राशियों का आधार 50 करोड़ तथा इससे ऊपर था, राष्ट्रीयकृत हुए । इस कदम का महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि ये सब साथ मिलकर करोड़ों लोगों का जीवन स्तर उच्च करते हुए, राष्ट्र की प्राथमिकताओं जैसे कृषि, उद्योग, नयी औद्योगिक इकाइयों एवं पिछड़े इलाकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे ।

इस प्रकार भारतीय बैंकिंग व्यवस्था ने स्वयं को दो उप भागों में विभाजित कर लिया, वे थे वाणिज्यिक बैंक तथा सहकारी क्षेत्र के बैंक । पूर्व प्रकार के बैंक स्वामित्व के आधार पर निम्न उप-वर्गों में बांटे जा सकते हैं :

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक,
(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक,
(3) निजी स्वामित्व के बैंक तथा
(4) भारत में स्थापित विदेशी बैंक

बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने अर्थव्यवस्था के विकास में उत्प्रेरक का कार्य किया । राष्ट्रीयकरण के पश्चात बैंकों की शाखाओं में सात गुना वृद्धि हुई और 90 के दशक में यह 60,000 तक पहुंच गई, तद्नुसार 1969 में जहां 65,000 की जनसंख्या पर एक शाखा थी वहीं आज यह संख्या

*भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए आयोजित अंतर-बैंक निबंध प्रतियोगिता, वर्ष 1998-99 में क्षेत्र `ख' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंध ।

घटकर 11,000 है । राष्ट्रीयकरण के समय बैंकों की जमाराशियां घरेलू उत्पाद का 11 प्रतिशत थी, यह वर्तमान में बढ़कर 40 प्रतिशत हो गयी है ।

अगर हम ऋण खातों पर एक नजर डालें तो पाते हैं कि राष्ट्रीयकरण के समय इन खातों की संख्या लगभग 4 मिलियन थी जो कि वर्तमान में 36 मिलियन है । लेकिन इस असाधारण बढ़त के युग में बैंकों का राजनीतिकरण भी हुआ जिसके तहत शुरुआत में ऋण मेले आयोजित किये गये एवं अन्ततः अधिकांश ऋणों को `राइट ऑफ' करना पड़ा । सौभाग्य से यह प्रक्रिया दूर तक नहीं चल पाई ।

विश्व की आर्थिक व्यवस्था के विचारों में परिवर्तनों के प्रभाव से हमारी अर्थव्यवस्था भी अछूती न रह सकी और यहां भी यह आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि हमारी आर्थिक व्यवस्था को शेष विश्व के साथ कैसे एकात्म किया जाये ।

इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में आमूल परिवर्तन किया जाए जिससे इसे विश्व स्तर पर हो रहे परिवर्तनों के समकक्ष रखा जा सके । इन सभी को परिलक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने `वित्तीय सेवाओं के लिए नरसिंहम आयोग' का गठन किया जिसका उद्देश्य था - भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के लिए सुझाव देना ताकि यह अपने आपको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे परिवर्तनों/सुधारों के अनुरूप ढाल सके ।

इसमें पूंजी पर्याप्तता, आय पर्याप्तता और बैंकों की वित्तीय रपटों की पारदर्शिता जैसे विषय समाहित थे । यह भी तय किया गया कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाये । फलतः भारतीय यूनिट ट्रस्ट, आईसीआईसीआई जैसे संस्थानों के `बैंकिंग आउटफिट्स' का प्रादुर्भाव हुआ । आज इन बैंकों के पास अत्याधुनिक तकनीकें हैं, जिससे ये अपने ग्राहकों को टेली बैंकिंग, ए.टी.एम. एवं वर्धित कार्य समय से अच्छी एवं शीघ्र सेवा प्रदान कर सकते हैं । इस प्रक्रिया ने सभी मौजूदा बैंकों को अपनी ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बाध्य कर दिया है । यह नये बैंकों की स्थापना का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण प्रभाव है तथा यह प्रभाव आनेवाले समय में भी बना रहेगा । `कहीं भी तथा किसी भी समय बैंकिंग' आनेवाले दशक में महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे ।

अगले दशक में भारतीय बैंकिंग का स्वरूप :
भविष्य विलोकन :

भारतीय वित्तीय प्रणाली जो अब एक परीक्षण के दौर से गुजर रही है और जिसे लगातार उन परिवर्तनों का सामना करना पड़ेगा जो कि एक व्यवहार्य एवं लचीली प्रणाली के रूप में इसकी प्रभावकारिता को बनाये रखने के लिए परिवेश में घटित हो रहे हैं । बैंकों को लगातार नये रास्ते खोजने होंगे और दोराहा आने पर सही रास्ता चुनना होगा । हमारी सेवाओं के क्षेत्र एवं पहुँच को अधिक व्यापक एवं समकालीन बनाना होगा तथा प्रत्येक बैंक को गुणवत्ता एवं लागत दोनों प्रकार से बेहतर होना होगा ।

बैंकिंग का स्वर्णिम युग जिसे अमेरिका में 3-6-3 बैंकिंग के रूप में जाना जाता था, यानि 3 प्रतिशत पर जमा राशियां स्वीकार करो, 6 प्रतिशत पर उधार दो और 3 बजे गोल्फ खेलने चले जाओ । भारत में भी उपरोक्त स्थिति परिरक्षित बाज़ार स्थिति एवं बैंक उत्पादों की निश्चित कीमतों का परिणाम थी । लेकिन आज नये बैंकों के प्रवेश का रास्ता साफ हो चुका है जिससे बैंकिंग व्यवस्था में `एक्सेस केपेसिटी' के संकेत सामने आ रहे हैं । यह तर्ज और तेज हो जायेगी जब अगली सदी के प्रारम्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वार विश्व व्यापार संगठन (डबल्यू.टी.ओ.) के वायदों के तहत खोल दिये जायेंगे । साथ ही नये अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस दौड़ में उतरने की तैयारी कर रहे हैं । ऐसा भी संभव है कि छोटे बैंकों एवं कमजोर बैंकों का मजबूत एवं बड़े बैंकों में विलय होकर वर्तमान संख्या घटकर केवल बड़े बैंकों की सीमित संख्या में परिवर्तित हो जाये । यह संभावना `दि बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट रिपोर्ट (1992)' बासले, में भी उद्भाषित की गई है । विलयीकरण की प्रक्रिया बैंकिंग व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन सकती है जिससे बैंकों की एक्सेस केपेसिटी, लघु पूंजी एवं नगण्य लाभ जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान हो सकेगा ।

केन्द्रीय बैंकिंग अथोरिटी, अपना ध्यान धीरे-धीरे बैंकों के सूक्ष्म-प्रबंधन से हटाकर, अधिकतम कार्य स्वतंत्रता, आस्तियों के प्रबंधन की स्वायत्तता एवं उत्पादों की कीमतों की स्वतंत्रता जैसे विषयों पर केंद्रित करेगी । पद्मनाभन समिति की रिपोर्ट के आधार पर बैंकों के निरीक्षण में रिज़र्व बैंक, `केमल्स' उपागम को कड़ाई से लागू करेगा ।

पूंजी खाता परिवर्तनीयता के क्षेत्र में भारत को क्रमिक रूप से बदलने के विषय में तारापोर समिति की रिपोर्ट की संस्तुतियों के फलस्वरूप गहन परिचर्चा की आवश्यकता है । सुझाई गई कुछ पूर्व शर्तें, अर्थात् राजकोषीय घाटा सकल देशीय उत्पाद का 3.5 प्रतिशत तक रखना, औसत मुद्रास्फीति को 3 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक ले आना, एक बड़ी चुनौती होगी ।

भारतीय बैंक जिस प्रकार से नई सहस्त्राब्दी के लिए स्वयं को तैयार कर रहे हैं, वर्तमान `मॉडल' में, उपरोक्त परिवर्तन अनुभव करेंगे। 21 वीं सदी `डार्विनियन बैंकिंग' की भोर देखने के लिए आतुर है। अतः केवल उन्हीं बैंकों का अस्तित्व बरकरार रहेगा जो समय परिवर्तन के साथ अपने बाजारों की मांगों का संतुष्टिकरण कर सकेंगे।

परिकल्पनाओं, तथ्यों, सार्वभौमीकरण की प्रक्रिया एवं वित्तीय क्षेत्र के पटल पर हो रही पुनर्संरचनाओं के आधार पर अगले दशक में भारतीय बैंकिंग का स्वरूप निम्न अनुच्छेदों में प्रस्तुत है।

भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता एवं अप्राक्कथनीयता ने बैंकों को अवसर एवं जोखिम दोनों उपलब्ध कराये हैं। वर्तमान में इन समष्टि - गतिशील गणनेतर कारकों के प्रति बैंकों द्वारा किये जा रहे कार्यनीतिक प्रतिसाद पर्याप्त नहीं हैं। जमाराशियों में भारी वृद्धि होने और औसत ऋणों में अनुकूलतम संवृद्धि नहीं होने के फलस्वरूप उत्पन्न असंतुलन एवं गिरती हुई ब्याज दर को उपयुक्त अंतर एवं आस्ति-देयता प्रबंधन तकनीकों के विवेकपूर्ण ढंग से कार्यान्वयन द्वारा तथा व्यापार आय में सुविचारित सुधारों के द्वारा नियंत्रित करना होगा, जिससे निवल ब्याज अंतर में भारी गिरावट न होने पाये। चलनिधि प्रबंधन का संचालन भी पर्याप्त कुशलता एवं दक्षता से करना होगा, विशेषकर तब, जब अल्पावधि राशियाँ लाभप्रदता के मानदण्डों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना समाप्त हो जायें ताकि यह अर्थव्यवस्था में होनेवाली अनिवर्ती हलचलों से उत्पन्न होनेवाली उच्चस्तरीय जोखिम संबंधी संवेदनशीलता से प्रभावित न हो सके।

आइये अन्य कारणों के संभावित स्वरूप को हम एक-एक करके देखें :

ऋण प्रबंधन

जोखिम प्रबंधन :

अगले दशक में बैंकों को एक ऐसी सुदृढ़ ऋण नीति एवं संस्कृति के प्रति वचनबद्ध होना पड़ेगा जो उच्च आस्ति गुणवत्ता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को मान्यता देती हो। एकाधिकार का युग लुप्तप्राय हो गया है। अतः प्रत्येक श्रेणी के विभिन्न उद्योगों को प्रदान किये जानेवाले ऋणों को समुचित स्तरों पर सीमित रखते हुए, बैंकों को अपने ऋण संविभागों को विविध रखना होगा, साथ ही विभिन्न उद्योगों को प्रदान किये गये उन ऋणों को समय-समय पर निर्धारित सीमाओं के अंदर रखना होगा, जिनका निर्धारण विभिन्न जोखिमों के प्रबंध के अधीन हो एवं जिन्हें गहन निगरानी में रखा गया हो।

ऋण नीति एवं कार्यविधि :

प्रतिवर्ती क्रिया जो, अनुमत बैंक वित्त (एम.पी.बी.एफ.) के नाम से जानी जाती है, परिवर्तनों के संभावित दौर से गुजर सकती है। अतः विभिन्न क्षेत्रों के लिए बैंकों की पैठ एवं उनके निवेश बढ़ाने की दृष्टि से व्यापार एवं सेवाओं का वित्त पोषण करने संबंधी दिशानिर्देशों को भी अधिक लचीला बनाया जा सकता है। आनेवाले दशक में सॉफ्टवेयर, परियोजना वित्त एवं शीघ्र चलने वाले पदार्थ बनाने वाली (एफ.एम.सी.जी.) कम्पनियों का बोलबाला रहेगा। बैंकों को ऐसे क्षेत्र को वित्त देने संबंधी तरीकों को विवेकपूर्ण ढंग से ईजाद करना होगा, जैसे फास्ट फन्डिंग इत्यादि।

अगले दशक में ऋण देने की प्रक्रियाओं में और परिवर्तनों की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर सिडबी ने लघु तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों में ऋण प्रवाह सरल करने के लिए इटली के बोलोग्नीया औद्योगिक क्षेत्र में प्रचलित ऋण प्रक्रिया के सदृश विधि अपनाने का निश्चय किया है। इसके तहत इस क्षेत्र में ऋण के लिए मुख्य अड़चनों जैसे अतिरिक्त सिक्योरिटी आदि विषयों का समाधान हो सकेगा। यह भी संभव है कि इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह प्रक्रिया में ग्राहक एवं बैंक सम्बन्ध प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रहे यानि मध्यस्थता की एक और परत बीच में आ जायेगी। ऐसे क्षेत्र में ऋण प्राप्तकर्ता अपनी प्रतिभूतियां बैंकों को गिरवी न रखकर, अपने औद्योगिक संगठनों को गिरवी करेंगे। ऐसे ऋणों की वसूली आदि का कार्य भी इन संगठनों द्वारा किया जायेगा।

बड़े ग्राहकों के लिए `रोकड़ प्रबंधन उत्पाद' (कॅश मैनेजमेन्ट प्रोडक्ट) एक मुख्य आकर्षण रहेगा जैसा कि कार्पोरेशन बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक ने इस दिशा में पहले से ही कार्य करना शुरू कर दिया है।

अलाभकारी आस्ति प्रबंधन :

अलाभकारी आस्तियों पर नियंत्रण करने हेतु निवारक एवं उपचारात्मक उपायों को शामिल करते हुए दूसरा दृष्टिकोण अपनाना होगा। अलाभकारी आस्ति बनने की संभावनावाले खातों की शीघ्रतापूर्वक पहचान करनी होगी ताकि सुधारात्मक उपाय शीघ्र किये जा सकें और ऋण खाता अलाभकारी आस्ति की श्रेणी में आने से रोका जा सके।

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास के लिए बैंकों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के साथ घनिष्ठ सहयोग से कार्य करना पड़ेगा । गोस्वामी समिति की हिदायतें अमल में लायी जाएंगी । ऋण पुनर्गठन उपायों को अधिकतम पारदर्शक बनाया जा सकता है । इस हेतु रिज़र्व बैंक, औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, वित्त मंत्रालय एवं बैंकों को साथ मिलकर एवं घनिष्ठता से कार्य करना होगा । ऋण वसूली ट्रिब्यूनलों की कार्यप्रणाली में उपस्थित खामियों को दूर करना भी एक मुख्य विषय होगा ।

बाज़ार जोखिम प्रबंधन एवं राजकोषीय परिचालन :

बैंकों के बाज़ार संबंधी जोखिमों के मूल्यांकन में आधुनिकतम प्रौद्योगिकियों का बोलबाला रहेगा जिसमें समय-विश्लेषण, जोखिम मूल्य प्रणाली की निगरानी करने संबंधी कार्य प्रणाली अपनाना और जोखिम सम्बद्धताओं का प्रबंध करने के लिए अंतर एवं अनुवृति अभ्यास करना आदि का समावेश हो सकेगा ।

कोष परिचालन :

ब्याज दर में बदलाव और चलनिधि की स्थिति पर आधारित आय के अवसरों को बढ़ाने के लिए अन्तरण, परिपक्वता सम्मिश्र में परिवर्तन तथा `राइडिंग दि ईल्ड कर्व' जैसे समुचित कार्यनीतिक उपाय प्रारम्भ किये जायेंगे । अगर वर्तमान में बैंकों के देशी एवं विदेशी कोष अलग-अलग हैं तो उन्हें एक साथ करना पड़ेगा जिससे भारत में धीरे-धीरे संघटित हो रहे विदेशी मुद्रा, प्रतिभूति और मुद्रा बाज़ारों से फायदा लिया जा सके ।

जमा राशियों की ब्याज दरें :

रिज़र्व बैंक ने पहले ही ब्याज दरों को स्वायत्तता दे दी है। इस संबंध में अन्य प्रतिबंध भी धीरे-धीरे हटा लिये जायेंगे । ये दरें प्रत्येक बैंक की क्षमता एवं उनकी कीमत और आय के अंतर के अनुसार निर्धारित होंगी ।

परियोजना वित्त :

उच्च मूल्यवाली आधारिक परियोजनाओं तथा विद्युत उत्पादन, दूर संचार, तेल एवं रिफाइनरी उत्पाद, पेट्रोरसायन, सड़क तथा बंदरगाह जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा । अतः बैंकों को ऐसे क्षेत्रों को वित्त देने सम्बन्धी विधियों का गहराई से अध्ययन कर आगे बढ़ना होगा । ऐसे क्षेत्रों को वित्त देने के लिए प्रतिस्पर्धा भी कठिन रहनेवाली है । इस क्षेत्र में वित्त संबंधी तरीकों एवं नीतिगत परिवर्तनों को, जो सतत परिवर्तन के दौर से गुजर रहे थे, ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक होगा ।

इस दिशा में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रिसर्जेन्ट इन्डिया बॉण्ड, जिसके द्वारा बैंक ने 17,500 करोड़ रुपये विदेशी निवेशकों से उगाहे हैं, एक महत्वपूर्ण प्रयास है । भविष्य में यू.टी.आई. द्वारा भी इस प्रकार के इन्डिया मिलेनियम स्कीम के अंतर्गत ऐसे बॉण्ड जारी हो सकते हैं । यह सारा धन परियोजना वित्त की तरफ प्रवाहित होगा जिससे आनेवाले दशक में भारत में आधारभूत सुविधाओं का अधिकतम विकास हो सकेगा ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र :

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिम प्रमुखतः कृषि, लघु उद्योगों एवं लघु व्यवसाय अग्रिमों की ओर निदेशित होते हैं । उच्च जोखिम और कम प्रतिफल इन क्षेत्रों की विशेषताएं हैं । प्राकृतिक परिवर्तनों, नीतिगत परिवर्तनों और विभिन्न क्षेत्रों में होनेवाले अन्य परिवर्तनों का इन कार्यकलापों पर सहज प्रभाव पड़ सकता है ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के ऋणों की वसूली पर सरकार को भी विशेष ध्यान देना होगा एवं इनकी वसूली में बाधित कतिपय कारणों जैसे -

(1) कानूनी अड़चनों के कारण उत्पन्न समस्याओं तथा
(2) तथाकथित `दबाव समूहों' के प्रभावों से कड़ाई से निपटना होगा ।

अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग :

निर्यात पर मिलनेवाले पुनर्वित्त की दरों में सतत कमी आयेगी और बैंकों को और अधिक विवेकपूर्ण ढंग से अपनी आस्तियों एवं देयताओं का प्रबंधन करना होगा । रुपये पर सतत बढ़ता दबाव इस क्षेत्र के वित्तपोषण में चुनौतियों भरा होगा ।

सहायक प्रणालियाँ :

यहाँ हम मानव संसाधन विकास, औद्योगिक संबंध, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा, राजभाषा एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे घटकों पर विचार करेंगे ।

मानव संसाधन विकास :

नये आर्थिक परिवेश ने बैंकों के समक्ष कई चुनौतियां प्रस्तुत की हैं । सामने आनेवाली चुनौतियों का सामना करने के लिए कर्मचारियों की क्षमता एवं विश्वास में वृद्धि करनी होगी। इसके तहत प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा एवं पुनर्संरचना समय-समय पर करनी होगी, ताकि उन कार्यक्रमों

को वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के लिए और अधिक युक्तिसंगत बनाया जा सके ।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की उत्पादकता वर्तमान में 4.82 रुपये है और आय में वृद्धि दर प्रचालन दरों में वृद्धि दर से नीचे है । इसका तात्पर्य यह कि इन बैंकों की `लेबर फोर्स' में निश्चित रूप से क्षमता का अभाव है, इसके विपरीत निजी क्षेत्र एवं विदेशी बैंकों में कुल आय में वृद्धि प्रचालन दरों में वृद्धि से कई गुना अधिक है ।

उपरोक्त उभरते चित्र के समक्ष आने वाले समय में इन बैंकों को अपने कर्मचारियों की उत्पादकता पर विशेष ध्यान देना होगा । संभवतया इनकी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी में कटौती करके, उपलब्ध राशियों को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करके उनकी उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी ।

औद्योगिक संबंध :

बैंकों को समय-समय पर विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित करके अपनी कार्य-संस्कृति को अधिक समृद्ध करते हुए ग्राहक सेवा, बैंकों की उत्पादकता और लाभ-प्रदता में सुधार करना होगा । विभिन्न क्षेत्रों में `कर्मचारी सुझाव' की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना पड़ेगा, ताकि सभी स्तरों पर योजनाओं के प्रति रूझान बढ़ सके ।

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा :

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभागों को अधिक सुदृढ़ बनाना होगा, ताकि निर्धारित कार्य प्रणाली एवं कार्यविधि, आस्तियों एवं देयताओं की गुणवत्ता एवं मूल्य और सांविधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालनों का सत्यापन विवेकपूर्ण ढंग से हो सके । साथ ही, धोखा-धड़ियों की घटनाओं को रोका जा सके । बैंकों में कम्प्यूटर प्रणालियों की प्रणाली, लेखा परीक्षा में अधिकाधिक सुधारों की संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता ।

राजभाषा :

हमारे जनमानस की भाषा हिन्दी है । अतः बैंकों को अपने उत्पादों का विपणन हिन्दी भाषा में अधिकाधिक करना होगा, ताकि प्रस्तावित एवं विद्यमान उत्पाद जन-मानस के दिलों में जगह पा जाये । हिन्दी की उपयोगिता को नकारना बैंकों के लिए, प्रतिस्पर्धा की इस दौड़ में दुखदायी हो सकता है ।

सूचना प्रौद्योगिकी :

आधुनिक बैंकिंग अपने अस्तित्व के साथ-साथ वृद्धि के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर अधिकतम निर्भर है । नये बैंक प्रारम्भ से ही बैंकिंग में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं । इस कारण सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए, जो इस प्रौद्योगिकी में पिछड़े हुए हैं, प्रतिस्पर्धा का कड़ा दौर शुरू हो चुका है । सूचना प्रौद्योगिकी सतत रूप से बैंकों के आस्ति प्रबंधन, निवेशन एवं आय की अधिकाधिक वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हो रही है । निर्णय प्रक्रिया में सूचनाओं का विश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो सार्वभौमीकरण के युग में निरंतर जटिल तथा मानवीय क्षमताओं से भी परे होती जा रही है । ऐसी वस्तुस्थिति में सूचना प्रौद्योगिकी की आवश्यकता अधिकाधिक बढ़ेगी । रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित किया जा रहा वीसैट तंत्रजाल बैंकों के लिए आनेवाले दशक में एक वरदान साबित होगा, क्योंकि इसके द्वारा बैंकों की सभी शाखाएं एक दूसरे से जोड़ी जा सकेंगी, मसलन शाखाओं के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी एवं टेली बैंकिंग, इन्टरनेट, ए.टी.एम. तथा ए.टी.एम. बूथों द्वारा ग्राहक संतुष्टिकरण बैंकों के प्रबंधकों के लिए मुख्य चुनौती रहेगी । इस प्रक्रिया में औद्योगिक सम्बन्धों संबंधी बाधाओं को विवेकपूर्ण ढंग से सुलझाना होगा एवं बैंकों को अपने सभी कर्मचारियों को प्रौद्योगिकी के उपरोक्त क्षेत्रों में दक्ष बनाना होगा । जो बैंक समय के साथ सजग रहेंगे उनका अस्तित्व समृद्धिपूर्ण एवं सतत रहेगा ।

उपसंहार

उपरोक्त विवरण से यह दिन के उज़ाले की तरह साफ है कि अगले दशक में भारतीय बैंकिंग के क्षितिज पर प्रतिस्पर्धा का वर्तमान की तुलना में अधिक कड़ा दौर आनेवाला है । वे ही बैंक समृद्ध रहेंगे जो अपने उद्देश्यों को ग्राहकों, शेयरधारकों एवं कर्मचारियों का भलीभांति ध्यान रखकर, अपनी विपणन दक्षताओं एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रणाली को समायोजित करके, परिभाषित करेंगे ।

21 वीं शताब्दी उन संगठनों के लिए होगी जो भविष्य दृष्टा, गतिशील और ग्राहक अनुकूल होंगे ।

■

बैंकों की लाभप्रदता एवं उनका सामाजिक दायित्व *

श्री हरभजन सिंह
लिपिक-सह-टंकक
यूको बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय
चंडीगढ़.

देश की कोई भी संस्था जो उत्पादन अथवा सेवा कार्य में लगी हो जैसे शैक्षणिक संस्था, समाज सेवी संगठन, सरकारी और अर्द्धसरकारी संगठन, व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक संस्थायें जैसे बैंक आदि अनेक छोटे और बड़े समूहों से मिलकर बने हैं । किसी संगठन की लाभ क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह अपने कार्य में मशीन और मानवीय शक्ति को किस प्रकार व्यवस्थित करती है । मशीन और मानवीय संसाधनों को सुव्यवस्थित करके ही बैंक जैसी संस्था अपने दायित्व का निर्वाह करती हुई अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त कर सकती है ।

बैंकों के दायित्व को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :

1. संस्थागत/व्यावसायिक दायित्व
2. सामाजिक दायित्व

दायित्व के निर्वाह में बैंक में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी का अपना एक विशेष स्थान होता है वह अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र में बंधा होता है । कोई भी कर्मचारी कार्य संपन्न करते समय अपने कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। कार्यक्षेत्र से बाहर कार्य करने पर कर्मचारी के विपरीत संस्थागत/व्यावसायिक दायित्व के नियम और उपनियम लागू हो जाते हैं जिन्हें वह मानने के लिए बाध्य होता है ।

बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्य-निष्पादन के लिए एक पद दिया गया होता है । पदानुसार वह अपने दायित्वों का निर्वाह करता है तथा उद्देश्यों को पाने के लिए कुछ प्राधिकार भी सौंपे जाते हैं । बैंक का कार्य पूंजी व्यापार करना है इसी के अनुसार इसका अपना एक संगठनात्मक रूप बना है तथा विभिन्न दायित्वों के पदों का कार्य-निष्पादन, दायित्व वहन तथा लाभार्जन के लिए क्रमबद्ध किया गया है । प्रत्येक कर्मचारी अपनी कार्यसीमा में ही कार्य करके अपने दायित्व का निर्वाह करता है ।

सामाजिक परिवर्तन में बैंकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है । राष्ट्रीयकरण से पूर्व बैंकों की सेवाएं कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित थीं तथा ऋण का लाभ बैंक चलाने वाले घरानों द्वारा ही उठाया जाता था और समाज का बड़ा भाग इससे अछूता रह जाता था । इस असंतुलन को दूर करने के लिए 19 जुलाई, 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और एक प्रभावशाली सामाजिक दायित्व का सूत्रपात हुआ ।

बैंक एक व्यापारिक संस्था है जो समाज के कुछ व्यक्तियों द्वारा समाज के धन से समाज के लाभ के लिए चलायी जा रही है । समाज और संस्था दोनों ही एक दूसरे के प्रतिरूप हैं तथा एक का प्रभाव दूसरे पर अवश्य ही प्रतिबिम्बित होता है । लाभार्जन तो इसका एक दूसरा भाग है। संस्था के व्ययों को पूरा करने के लिए लाभ का अर्जन करना ही होगा ।

राष्ट्रीयकरण के उपरान्त बैंक औद्योगिक घरानों के चंगुल से निकलकर जन साधारण की सेवा में समर्पित हुए तथा अल्पकाल में ही जनसाधारण की सेवा करने लगे। नित्य कर्मी (डेली लेबर) तक बैंकिंग सेवा का लाभ सहर्ष उठाने लगे । कहने का भाव था कि बैंकों ने सेवा शक्ति पर बल दिया लाभार्जन पर नहीं । बैंकों ने इस क्षेत्र में धन संग्रहण को बल देकर अपना सामाजिक दायित्व निभाया जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव समाज पर प्रतिलक्षित होने लगा ।

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों ने धन संग्रहण में ही नहीं ऋण देने में भी पूर्ण सामाजिक दायित्व का निर्वाह किया है। कुल ऋणों का 40 प्रतिशत भाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिया जाने लगा जिसमें खेती व्यवसाय में किसी भी प्रकार का ऋण जैसे मशीन क्रय, बीज, खाद, कीटनाशक, उत्पाद संग्रहण, दुग्ध व्यवसाय आदि तथा ऋण पर ब्याज

*भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए आयोजित अंतर - बैंक निबंध प्रतियोगिता, वर्ष 1999 - 2000 में क्षेत्र `ख' में प्रथम पुरस्कार प्राप्त निबंध ।

12.5 प्रतिशत लिया जाने लगा जिससे लाभार्जन कम हुआ। इतना ही नहीं बैंकों ने (डी आर आई) विभेदक ब्याज दर पर ऋण देकर छोटे से छोटे दस्तकार की भी सेवा की है तथा कुल ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज लगाया। यह एक व्यावसायिक संस्थान का समाज के लिए त्याग ही तो है। बैंक इस न्यूनतम दर पर ऋण देकर लाभार्जन कर सकते थे किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह तो बैंकों की सामाजिक सेवा का प्रथम चरण था। विभेदक ब्याज दर पर ऋण देना बैंकों की विवशता नहीं थी। बैंकों ने तो सामाजिक बचत को दूसरे रूप में समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया तथा अशिक्षित व्यक्ति की भी सेवा कर उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया। यह बैंकों के त्याग का परिचायक है। बैंक ही ऐसी संस्था है जिसने समाज सेवा को निभाने के लिए लाभप्रदता को नजरअन्दाज किया है। हमने समाज की घर बैठे ही सेवा नहीं की इसके विपरीत सामाजिक प्राणी के घर-घर जाकर सेवा करने का प्रयत्न किया है।

बैंक सामाजिक दायित्व वहन करते हुए किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रहे हैं, बैंकों ने शिक्षित को ही नहीं अशिक्षित व्यक्तियों को भी रोजगार प्रदान करने का प्रयत्न किया है। बैंकों की नीतियां औरों की तरह किताबों में ही बन्द हो कर नहीं रही हैं, बैंकों ने नीतियों और प्रयत्नों को साकार किया है। शिक्षित स्वरोजगार योजना में बैंकों ने प्रत्येक शिक्षित को उसकी योग्यतानुसार और कार्यप्रणालीनुसार एक लाख तक सामान्य ब्याज पर ऋण देकर उसे रोजगार उपलब्ध कराया है तथा समयानुसार ऋण वापस करने पर उसे एक चौथाई छूट (सब्सिडी) देकर लाभ पहुंचाया है। बैंकों ने सर्वप्रथम कम ब्याज पर ऋण प्रदान किया। दूसरे छूट भी दी तथा रोजगार भी उसी ग्राम / जिले में प्रदान कराया। क्या समाज बैंकों के त्याग को भूल सकता है। क्या समाज बैंक विहीन उन्नति कर सकता था। बैंक अपने दायित्व निर्वाह में और आगे भी गये, इन्होंने भूतल परिवहन के लिए भी शिक्षित रोजगार योजना में एक ट्रक पर 12.5 प्रतिशत पर ब्याज देकर अन्तरप्रांतीय व्यापार को भी बढ़ावा दिया। एक मालिक पर अधिक ट्रक होने पर हमने ब्याज की दर भी बढ़ा दी क्योंकि बैंकों की नीति अधिक से अधिक व्यक्तियों की सेवा करने की थी लाभार्जन की नहीं।

गत वर्ष देश ने स्वतन्त्रता की 50 वीं वर्षगांठ मनायी और इक्यावनवें साल में प्रवेश करते समय फिर समाज सेवा का बीड़ा उठाया और स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना और स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना समाज सेवा में प्रस्तुत की। छोटे ग्राम से लेकर महानगर / शहर तथा अशिक्षित से लेकर स्नातक / तकनीकी स्नातक तक रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयत्न किया। ऋण प्रदान कर पूर्व की भांति छूट भी देने की योजना बनाई। बैंकों ने छोटे / कुटीर उद्योगों, उत्पादन संस्थानों, खुदरा व्यापारियों को सामान्य ब्याज दर पर ऋण देकर रोजगार तो उपलब्ध कराया साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन पर भी रोक लगाई। शहरों की ओर उन्मुख व्यक्तियों को ग्रामों में रोका जा सका। बैंकों ने ऋण देकर प्रत्यक्ष प्रभावशाली दायित्व का निर्वहन तो किया जिससे पलायन जैसे अप्रत्यक्ष प्रभावशाली दायित्व उभर कर स्वयं सामने आ गये। इस प्रकार बैंक एक साथ दो सामाजिक दायित्वों के निर्वाह में सक्षम हुए।

1. प्रत्यक्ष प्रभावशाली दायित्व
2. अप्रत्यक्ष प्रभावशाली दायित्व

अस्सी के दशक में अभी जन-साधारण बैंकिंग सेवा का लाभ ले ही रहे थे कि अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का युग प्रारम्भ हो गया। देश का कोई भी संस्थान इसके प्रभाव से अछूता न रह सका। बैंकों पर भी इनका सीधा प्रभाव पड़ा और बैंकों में क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रारम्भ हो गये। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया ने बैंकों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में खरा उतरने के लिए बाध्य कर दिया। उदारीकरण ने सभी क्षेत्रों में कार्यकुशलता और उत्पादन वृद्धि का लक्ष्य रखा। इसमें खरा उतरने के लिए बैंकों की कार्यपद्धति में सुधार और नवीन पद्धति को स्थान देना पड़ा जिससे मशीनीकरण का युग प्रारम्भ हो गया।

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग शाखाओं में गुणात्मक वृद्धि हुई है। अब शाखायें शहरों तक ही सीमित न रहकर छोटे-छोटे गांवों तक फैल गयी हैं और बैंकिंग व्यापार में चहुंमुखी उन्नति हुई। स्पर्धा के युग में बैंकों की कार्यप्रणाली पूर्व की भांति नहीं रही। आज व्यवसाय मांग और पूर्ति के आधार पर है। आज के समाज की आवश्यकतायें पूर्व की भांति काफी व्यापक हो गई हैं और उन्हें पूरा करना इस बदलते परिवेश में शीघ्र, कम लागत पर, सन्तुष्टि पूर्ण और तर्कसंगत करना ही बैंकों का मुख्य लक्ष्य रह गया है। आज बैंक सेवा शक्ति के साथ-साथ लाभ अर्जन शक्ति पर विशेष बल दे रहे हैं।

बैंकों का मुख्य कार्य तो है राशियों का संग्रहण करना तथा उस पर नियमानुसार ब्याज प्रदान करना। इसके

विपरीत बैंक का दूसरा मुख्य कार्य है उद्यमियों और साहसियों को ऋण उपलब्ध कराना तथा उक्त ऋणों पर ब्याज अर्जन करना । यह बैंकों की एक चक्रीय प्रक्रिया है । यह क्रम लगातार चलता रहे इसके लिए परमावश्यक है कि ऋणों की वसूली समयबद्ध / निर्धारित समय पर होती रहे जिससे लाभ सुनिश्चित रहें । उदारीकरण के युग में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लाभ को मुख्य रखना ही होगा ।

बैंक तो सदा लाभ के लिए ही कार्य करते हैं हानि के लिए नहीं । बैंक को अपना व्यवसाय करते समय ऋण के डूब जाने का भय तो सदा बना ही रहता है तथा कुछ ऋण डूब भी जाते हैं । इन ऋणों की प्रतिपूर्ति के लिए लाभ में से डूबंत (बैड डेबिट) खाता संचय करना होता है इससे लाभप्रदता घटती है । यदि ऋण वसूली के लिए न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है तो अपव्यय बढ़ते हैं तथा समय और धन दोनों की हानि होती है । इस प्रकार ऋण वसूली में बहुत समय लगता है । इस स्थिति में यदि बैंक ऋण प्रदान न करता तो समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर पाता । यदि न्यायालय की शरण में जाता है तो संस्थागत दायित्व का निर्वाह करता है । हम किन्तु परन्तु के शब्दों में न उलझकर यह कहने का सामर्थ्य रखते हैं कि एक बैंक जैसी संस्था समाज सेवा करते हुए अपने हितों को अनदेखा नहीं कर सकती । हमारा कार्य है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय ।

ऋणों के डूबने का क्रम नब्बे के अर्धदशक में उभरकर अत्यन्त तेजी से सामने आया जिसका मुख्य कारण था खुली अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार प्रणाली । इस प्रणाली में विकसित देशों ने अर्धविकसित और अल्पविकसित राष्ट्रों में अपना उत्पाद विक्रय करना प्रारम्भ कर दिया । विकसित राष्ट्रों द्वारा विक्रय की जाने वाली वस्तु सुन्दर और अल्प कीमत की होने के कारण क्रेता उन्हें क्रय करने लगे और हमारे उद्योगों द्वारा उत्पादित सामान को विक्रय करने में कठिनाई आने लगी जिससे हमारे उद्योग बन्द होने की कगार पर आ गये अथवा बन्द हो गये जिससे ऋणों की वसूली रुक गई और न्यायालयीन प्रक्रियाएं बढ़ गईं । समय और धन का अपव्यय होने लगा और लाभ के बजाय हम अलाभकारी मदों से ग्रसित होने लगे ।

नब्बे के अर्धदशक में निजी बैंकों ने देश में कदम रखा । निजी बैंक नवीन प्रौद्योगिकी से सम्पन्न थे । इसके विपरीत भारतीय बैंक रूढ़िवादी तरीके से कार्य कर रहे थे । नवीन तकनीक से सम्पन्न बैंकों ने भारत के धनाढ्य वर्ग को आकर्षित किया । निजी बैंकों ने मशीनीकरण + सेवा + लाभार्जन शक्ति पर बल दिया । उनका मुख्य उद्देश्य तो सेवा कर लाभ अर्जन करना ही है सामाजिक दायित्व से उनको कुछ लेना-देना नहीं है । उन्होंने लाभार्जन हेतु ही भारत में श्रीगणेश किया है । उनका उद्देश्य सेवा कर लाभ कमाना ही है । इसी कारण वे लाभार्जन में भारतीय बैंकों को पीछे छोड़ गए । भारतीय बैंक एक रिक्शा चालक का 25 रुपये से बचत खाता खोलकर बचत को प्रोत्साहन देते हैं जबकि निजी बैंक 25000/- रुपये से बचत खाता खोलते हैं और अल्पग्राहकों से ही अधिक संग्रहण कर लेते हैं, जबकि भारतीय बैंक विशाल जन समूह की सेवा कर लक्ष्य प्राप्त करते हैं । कहने का मूल भाव है कि सामाजिक दायित्व और लाभप्रदता एक ही तराजू के दो पलड़े हैं । एक को अपनाने पर दूसरे का त्याग अति आवश्यक है, यदि हम दोनों में समानता रखें तो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे । उदारीकरण के युग में प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए हमें भी निजी बैंकों के समान सेवा + लाभ शक्ति पर बल देना ही होगा तभी अस्तित्व संभव है ।

बैंकों की लाभप्रदता को अनुत्पादक आस्तियों ने बहुत घटाया है क्योंकि संस्था का लाभ तो ऋण पर अर्जित ब्याज पर ही निर्भर करता है । सरकारी बैंकों ने ऋण देकर जमा संग्रहण के अनुसार ऋण अनुपात को तो पा लिया, परन्तु ऋण को समयबद्ध नियमानुसार वापस प्राप्त करने की अक्षमता ने अनुत्पादक आस्तियों को जन्म दे दिया और बढ़ते-बढ़ते वह 15 प्रतिशत और इससे भी अधिक पहुंच गयी । जबकि यह एक सामान्य बैंक में 2.5 से 5 प्रतिशत तक होनी चाहिए । क्या हम 3 गुना अधिक अनुत्पादक आस्तियां रखकर प्रतिस्पर्धा की दौड़ में प्रथम आ सकते हैं । यह तो बैंक कर्मी स्वयं ही निर्णय ले सकते हैं । यहां हमको यह भी निर्णय करना होगा कि भारतीय बैंकों में आनुपातिक आस्तियां इतनी अधिक होने के क्या कारण हैं । इसका मुख्य कारण है राजनीतिक लाभ के लिए बैंकों के ऋणों की माफी की घोषणा का किया जाना । जबकि वास्तविक रूप से ऋण किताबों में दिखाया जा रहा होता है और ऋणी किस्त का भुगतान रोक देते हैं तथा बैंक अधिकारियों द्वारा पत्राचार उपरान्त भी किस्त का भुगतान नहीं करते हैं । इसके विपरीत कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो ऋण प्रदान की गई इकाई में घाटा दिखाकर उदासीनता विवश अन्य इकाइयों से लाभार्जन करते रहते हैं तथा अधिकारियों के ऋण वसूली के प्रयत्नों के बाद भी धन जमा नहीं करते हैं और अन्त में ऋण

अनुत्पादक आस्तियों में बदल जाता है और बैंक को न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है ।

आज के युग में प्रतिस्पर्धा जीतने के लिए बैंकों को भी साम, दाम, दण्ड, भेद से कार्य करना होगा । मशीन और मानवीय शक्ति के उपयोग को ठुकराया नहीं जा सकता । मानवीय संसाधनों का तर्कसंगत उपयोग अति आवश्यक है । मशीनीकरण की भी एक सीमा है वह अपनी सीमा क्षेत्र में ही कार्य करेगी । मशीनों के संचालन हेतु कुशल चालक की भी अति आवश्यकता है तभी मशीन का पूर्ण उपयोग संभव है । बैंक केवल कम्प्यूटर लगाकर ही लाभ अर्जन नहीं कर सकता जब तक कुशल मानवीय शक्ति का अन्तिम क्षण तक पूर्ण उपयोग न हो । कम्प्यूटरीकरण ने मानवीय शक्ति को अधिक (सरप्लस) घोषित कर दिया है क्योंकि मशीन में अत्रुटिपूर्ण, असमय और अधिक गति से कार्य करने की क्षमता है । इस अद्‌भुत क्षमता ने इसे अपनाने को बैंकों को बाध्य कर दिया और बैंकों ने नवीन तकनीक अपनाने के लिए बड़े पूंजीगत व्यय भी किये । अतः कम्प्यूटरीकरण से भी बैंकों की लाभप्रदता पर कोई अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा । इसके विपरीत रखरखाव व्यय (मेन्टेनेन्स) भी बढ़े हैं । जहां निजी बैंकों ने अधिक मशीन प्रयोग + समुचित मानव शक्ति से अधिक लाभार्जन किया है वहीं भारतीय बैंक अधिक मानव शक्ति + मशीनीकरण से लाभ योजना बना रहे हैं ।

कम लाभार्जन शक्ति के कारण सरकारी बैंकों ने संस्थागत और व्यक्तिगत व्ययों को घटाने की योजना बनाई । संस्थागत व्ययों को घटाने के उद्‌देश्य से कम किराया दर पर भवन लिये जाने लगे जिससे हम नवीन व्यापारिक स्थलों पर तथा उच्च आय वर्ग की आबादी क्षेत्र में अपनी शाखा खोलने से वंचित रह गये वहां निजी बैंकों ने अपनी शाखाएं खोलकर व्यवसाय प्रारम्भ कर लाभ कमाया । उनके अधिक सेवा शुल्क पर भी भारतीय इनकी ओर अग्रसर हुए, इसका मुख्य कारण था अनुकूल शीघ्र सेवा । आयातकों एवं निर्यातकों को उनके द्वारा लिया जाने वाला शुल्क भी अल्प दिखाई देने लगा । दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाज़ार की सेवा भी वह पलक झपकते ही प्रदान करने में सक्षम थे जबकि भारतीय बैंक यह सेवा केवल दिल्ली और मुम्बई की शाखा से देने में सक्षम थे। इससे समय भी व्यर्थ व्यय होता था । अब स्वयं कल्पना की जा सकती है कि यदि एक बैंक कर्मी स्वयं भी ग्राहक हो तो किस बैंक में जाना पसन्द करेगा ।

अन्त में बैंकों की लाभप्रदता एवं सामाजिक दायित्व का आकलन करने के लिए एक तराजू के दोनों पलड़ों का आकलन करना होगा । जिस प्रकार एक पलड़े का वजन बढ़ने पर वह नीचे आ जाता है यदि वजन कम कर दिया जाए तो वह पलड़ा ऊपर उठ जाता है । यदि बैंक अपने लाभ प्रतिशत को कम कर सामाजिक दायित्व अधिक निभाते हैं तो घाटे में जाकर धीरे-धीरे अपना अस्तित्व ही खो देंगे । कोई भी संस्था एक मानव शरीर के समान होती है यदि मानव अपने भोजन में खाद्य पदार्थों को कम कर दे और इसके विपरीत अधिक परिश्रम करने लगे तो समयोपरान्त क्षीण होकर नष्ट हो जायेगा । इसी प्रकार बैंकों को भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लाभार्जन अति आवश्यक है चाहे वह सेवा के रूप में हो या शुल्क के रूप में ।

■

बैंकिंग परिदृश्य

इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स में शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति

एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने इंटरनेट सेवा देनेवाली कंपनियों में शत-प्रतिशत विदेशी ईक्विटी के लिए अनुमति दे दी है परंतु सैटेलाइट या सबमरीन गेटवे उपलब्ध करानेवाली कंपनियों के लिए ऐसी अनुमति नहीं है। उसमें कहा गया है कि डार्क फाइबर्स, इलेक्ट्रॉनिक और वॉइस मेल के जरिए मूलभूत संरचना उपलब्ध करानेवाली फर्मों, गेटवे प्रदान न करनेवाली इंटरनेट सेवा फर्मों में स्वचालित माध्यम से शत-प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जायेगी बशर्ते ऐसी फर्में लाइसेंसिंग और अन्य जरूरतों को पूरा करती हों।

तेज गति से चलनेवाला पेंटियम 4 लाइन

आप सोचते होंगे कि आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में अत्यावश्यक कंप्यूटिंग कार्य करने की पर्याप्त क्षमता है। परंतु चिप निर्माता इंटेल कारपोरेशन इससे सहमत नहीं है। 22 अगस्त 2000 को इस क्षेत्र की अति-विशाल कंपनी ने अपने माइक्रोप्रोसेसर की आगामी शृंखला की तकनीकी जानकारी दी जिसे पेंटियम 4 लाइन के रूप में जाना जाएगा । नया प्रोसेसर 1.4 गीगाहर्ट्ज और उससे भी तेज गति से कार्य करता है तथा उसमें 1995 के पेंटियम प्रो के दुगुने अर्थात् 42 मिलियन स्टैगरिंग ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। उनमें सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों का संग्रहण करनेवाली मेमरी चिप्स से तेजी से जुड़ने की क्षमता भी है। इन अतिरिक्त क्षमताओं से युक्त यह प्रोसेसर 3-डी ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया ऑडिओ और वीडिओ और डाटा गूढ़लेखन जैसे अनुप्रयोगों, जिनके लिए अधिकाधिक क्षमता की आवश्यकता होती है, का कार्य करने में सक्षम है। पेंटियम 4 पीसी पेंटियम III वर्ज़न से तेज होंगे। लेकिन वे सस्ते नहीं होंगे; इस वर्ष सर्दियों में आनेवाले ऐसे पहले पीसी की कीमत 2,500 डालर या उससे अधिक होगी।

माइक्रो-क्रेडिट में ईक्विटी

ग्रामीण ऋण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने देश में माइक्रो और ग्रामीण ऋण का कार्य करनेवाली कंपनियों में विदेशी ईक्विटी की अनुमति दी है। ये कंपनियां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में माइक्रो स्तर पर लघु उत्पादकों और लघु माइक्रो-उद्यमों को ऋण सुविधाएं प्रदान करेंगी। सरकार ने कहा है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अनुमोदित कार्यकलापों में विदेशी निवेश के लिए लागू मौजूदा दिशानिर्देश अब माइक्रो और ग्रामीण ऋण कार्यकलापों में विदेशी ईक्विटी सहभागिता पर भी लागू होंगे।

विश्वभर में सूचना प्रौद्योगिकी पर होनेवाला व्यय 2.6 ट्रिलियन डालर तक पहुंचने की संभावना

पालो एल्टो कैलिफोर्निया की एक आर्थिक सलाहकार कंपनी, एसपीएस (स्ट्रेटेज़िक प्लानिंग सर्विसेज़) / स्पेक्ट्रम इकॉनॉमिक्स की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार पूरे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी पर किये जानेवाले व्यय में आगामी पांच वर्षों में तीव्र वृध्दि होने की संभावना है। यह राशि इस वर्ष के अनुमानित 1.4 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2003 में 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो जाएगी। वर्ष 2005 तक पूरे विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं पर किया जानेवाला व्यय 2.6 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जायेगा।

एसपीएस/ स्पेक्ट्रम द्वारा ``ग्लोबल इकॉनॉमिक एण्ड इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी मार्केट फोरकास्ट्स 2000-2005'' शीर्षक से जारी अध्ययन में कहा गया है कि अब से 2005 के बीच सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विश्वव्यापी उद्योग और सरकारी वार्षिक व्यय की वार्षिक वृध्दि दर प्रतिवर्ष 13 प्रतिशत रहेगी।

स्पेक्ट्रम इकॉनॉमिक्स के अध्यक्ष रिचर्ड कार्लसन का कहना है कि लैटिन अमेरिका सबसे अधिक तेजी से विकसित होनेवाला क्षेत्र है। एशिया में सबसे अधिक तेजी से विकसित होनेवाला बाज़ार है भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया। तथापि, विश्वभर में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में धीमे देशों की सूची में जापान सबसे आगे है। कार्लसन का मानना है कि जापान की अर्थव्यवस्था अगाध है और फिर भी यह हैरानी की बात है कि वह अब भी इंटरनेट और टेलिकम्युनिकेशन्स जैसे सूचना प्रौद्योगिकी के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पीछे है।

सूचना प्रौद्योगिकी कर्मियों का पलायन

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कुशल कर्मियों की बढ़ती मांग को पूरा करने में देश की क्षमता को ध्यान में रखते हुए सरकार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कर्मियों के अंतर्राष्ट्रीय पलायन पर निगरानी रखने और सूचना प्रौद्योगिकी के व्यावसायिकों के लिए एक सामान्य डेटाबेस स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है। उपर्युक्त डेटाबेस स्थापित करने का प्रस्ताव भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपलब्ध कर्मियों की गुणवत्ता के स्तर पर प्रकट की गयी गंभीर चिंता के परिप्रेक्ष्य में, प्रधानमंत्री द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के लिए गठित कार्यदल की सिफारिशों का एक हिस्सा है। कार्य दल की बैठक में सदस्यों ने भारत की बढ़ती श्रमशक्ति आवश्यकताओं से संबंधित कई चिन्ताजनक पहलुओं पर चर्चा की। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार भारत को 2.36 मिलियन सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों; सॉफ्टवेयर उत्पाद के लिए 200,000; सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं और ई-व्यापार के लिए 5,77,000 तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए 1.29 मिलियन-की आवश्यकता होगी। इसमें से लगभग 20 प्रतिशत भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों की अंतर्राष्ट्रीय मांग को पूरा कर सकेंगे।

800 अरब रुपये के लागत की ग्रामीण सड़कों के लिए नया निकाय

प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी द्वारा घोषित महत्वाकांक्षी ग्रामीण सड़क निर्माण योजना का कार्यान्वयन एक नया स्वायत्त प्राधिकरण करेगा जो भारत के 670,000 ग्रामों में से प्रत्येक ग्राम को ``सभी मौसमों'' के अनुकूल पक्की सड़क से जोड़ेगा। जल्द ही केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस सांविधिक प्राधिकरण के गठन के लिए औपचारिक अनुमोदन मिलने की संभावना है। यह योजना महात्मा गांधी के जन्म दिन 2 अक्तूबर से शुरू की जायेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस प्राधिकरण को योजना का केवल कार्यान्वयन ही नहीं बल्कि परियोजना की 800 अरब रुपये की कुल लागत के लिए बाह्य संसाधन जुटाने की भी जिम्मेदारी सौंपी जायेगी। आज भारत के केवल आधे गांव ही पक्की सड़क से जुड़े हुए हैं जिसकी कुल लम्बाई 1 मिलियन किमी है। उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित कई राज्यों में आधी से भी कम सड़कें पक्की हैं जबकि केवल केरल में शत-प्रतिशत ग्रामीण सड़कें पक्की हैं। इस योजना के लिए मंत्रालय के बजट आबंटन में से या सरकार द्वारा कोई निधि नहीं उपलब्ध कराई जायेगी, परंतु बेचे गये डीज़ल पर प्रति लिटर 1 रुपये की दर से लगाये गये उपकर से प्राप्त मौजूदा राजस्व में से वार्षिक 25 अरब रुपये प्रदान किये जायेंगे।

वर्ष 2003 तक महत्वपूर्ण चौतरफी सड़क परियोजना

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना के पहले चरण का कार्य जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता इन चार महानगरों को जोड़नेवाली चार/छः लेनवाली चौतरफी सड़क परियोजना का समावेश है, अपने पूर्व निर्धारित समय, अर्थात् 2005 से दो वर्ष पहले ही पूर्ण होने की संभावना है। भूतल परिवहन मंत्री का कहना है कि ``बुनियादी संरचना पर गठित कार्य दल ने लगभग 6,000 किमी लंबी इस महत्वपूर्ण चौतरफी सड़क परियोजना को पूर्ण करने का निर्णय लिया है। तथापि, हम आशा करते हैं कि यह परियोजना समय से पहले ही वर्ष 2003 तक पूरी हो जाएगी।''

इस राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना में उच्च सघनतावाले 13,252 किमी लंबे राष्ट्रीय महामार्ग को चार लेनवाला बनाना शामिल है। लगभग 1,500 किमी का कार्य पूरा हो चुका है या पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। उन्होंने यह भी बताया कि 3,000 किमी से अधिक के लिए संविदाएं इस राजकोषीय वर्ष में दिये जाने की संभावना है और शेष 1,500 किमी के लिए संविदाएं वर्ष 2001-02 में दी जायेंगी। निजी क्षेत्र की सहभागिता के संबंध में उन्होंने बताया कि 1,500 करोड़ का निवेश पहले ही प्राप्त हो चुका है और निर्माण कार्य निजी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है।

सामान्य मानसून

कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि इस वर्ष देश के अधिकांश भागों में मानसून सामान्य रहा है केवल

सोयाबीन और मूंगफली उगानेवाले क्षेत्रों में से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अधिक वर्षा की गुंजाइश है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बैठक में कृषि सचिव श्री भास्कर बरुआ ने संवाददाताओं से कहा कि, ``बरसात लगभग सामान्य रही है और मौजूदा संकेतों के अनुसार फसल अच्छी होगी।'' परंतु देश के सोयाबीन बेल्ट, मध्यप्रदेश के कुछ भागों और मूंगफली उगानेवाले गुजरात राज्य में जून-सितंबर की दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी वर्षा कम हुई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 1,000 रुपये के नोट जारी

भारतीय रिजर्व बैंक ने गुरुवार 12 अक्तूबर 2000 को महात्मा गांधी शृंखला में 1,000 रुपये के नोट जारी किये। बहुत कुछ 500 रुपये के नोट जैसे दिखनेवाले इस नोट की भारी मांग है क्योंकि इससे बड़ी मात्रा में नकद भुगतान सुलभ हो जाएगा।

दो अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार

अमेरिका के अर्थशास्त्री जेम्स हेकमैन और डॅनियल मैकफेडन ने पारिवारिक, व्यक्तिगत और घरेलू निर्णयन प्रक्रिया की अध्ययन पध्दतियों को विकसित करने के लिए बुधवार 11 अक्तूबर 2000 को वर्ष 2000 का अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार प्राप्त किया। लोग कितने समय के लिए और क्यों कार्य करने का निर्णय लेते हैं तथा आर्थिक प्रोत्साहन कैसे उनकी शिक्षा, व्यवसाय और आवास के चयन को प्रभावित करता है; इन सबके अध्ययन की विधियां खोज निकालने के कार्य के लिए 56 वर्षीय हेकमैन और 63 वर्षीय मैकफेडन को यह साझा पुरस्कार मिला है।

भारत का पहला आभासी (वर्चुअल) चिकित्सा विश्वविद्यालय

भारत का पहला आभासी चिकित्सा विश्वविद्यालय आरंभ हो चुका है जो चिकित्सा छात्रों को वेब आधारित ई-अध्ययन करने की सुविधा के साथ ही स्वास्थ्य चिकित्सकों को चिकित्सा ज्ञानार्जन जारी रखने की सुविधा प्रदान करेगा। अपोलो अस्पताल समूह और एनआईआईटी का संयुक्त उद्यम, यह चिकित्सा विश्वविद्यालय आभासी चिकित्सा महाविद्यालय के माध्यम से एक व्यापक और पारस्परिक मंच प्रदान करेगा जो देश की मौजूदा चिकित्सा शिक्षा की बुनियादी व्यवस्था का पूरक होगा।

बीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वतन्त्र मंजूरी

सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए आवश्यक बहुविध मंजूरियों को 21 अक्तूबर 2000 से हटा दिया है। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को स्वयमेव अनुमोदन देकर ऐसा किया गया है। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए निर्धारित 26 प्रतिशत की सीमा पहले की तरह लागू रहेगी परंतु इनके लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से मंजूरियां लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बड़े ऋणों को अधिक महंगा बनाया

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने शुक्रवार 15 सितंबर 2000 को अपनी उधार देने की पध्दति में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की जिसमें आकस्मिक ऋण का कभी भी उपयोग न करनेवाले देशों की लागतों में कमी करने और समय से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ऋण चुकाने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहन देने की बात कही गयी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यपालक बोर्ड में चली लंबी चर्चा के बाद किये गये इन परिवर्तनों से छोटे ऋणों की तुलना में बड़े ऋण अधिक महंगे होंगे तथा अब कोष से उधार न लेनेवाले देशों पर सक्रिय निगरानी रखी जा सकेगी। यह प्रयास सात औद्योगीकृत देशों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सबसे बड़े शेयरधारक अमेरिका द्वारा की गयी मांग को पूरा करता है।

(राशि करोड़ रुपयों में)

चयनित संकेतक*		**13 अगस्त 1999**	**11 अगस्त 2000**
1. कुल जमाराशियाँ	:	7,43,963	8,56,806
2. बैंक ऋण	:	3,73,244	4,57,709
3. ऋण-जमा अनुपात	:	50.17%	53.42%
4. नकद-जमा अनुपात	:	9.71%	7.98%
5. निवेश-जमा अनुपात	:	38.04%	38.63%

(राशि करोड़ रुपयों में)

चयनित संकेतक**		**5 नवंबर 1999**	**3 नवंबर 2000**
1. कुल जमाराशियाँ	:	7,69,274	8,87,995
2. बैंक ऋण	:	3,93,987	4,78,359
3. ऋण-जमा अनुपात	:	51.22%	53.87%
4. नकद-जमा अनुपात	:	9.91%	8.82%
5. निवेश-जमा अनुपात	:	37.88%	37.54%

टिप्पणी :

***** मद सं. 1 से 5 में दिये गये आंकड़े 13 अगस्त 1999 और 11 अगस्त 2000 की स्थिति दर्शाते हैं। ये आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के दिनांक 28 अगस्त 1999 और 26 अगस्त 2000 के `वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट' से लिये गये हैं तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबंधित हैं।

****** मद सं. 1 से 5 में दिये गये आंकड़े 5 नवंबर 1999 और 3 नवंबर 2000 की स्थिति दर्शाते हैं। ये आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के दिनांक 27 नवंबर 1999 और 25 नवंबर 2000 के `वीकली स्टेटिस्टिकल सप्लीमेंट' से लिये गये हैं तथा अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से संबधित हैं।

कंप्यूटर परिभाषा कोश*

Head – शीर्ष : चुंबकीय माध्यमों, जैसे हार्ड एवं फ्लॉपी डिस्क, टेप ड्राइव और कंप्यूटर डिस्क से जानकारी के पठन एवं लेखन के लिए शीर्ष (हेड) का प्रयोग किया जाता है। शीर्ष पठित जानकारी को विद्युत-स्पंदन (electrical pulses) के रूप में बदलकर संसाधन के लिए कंप्यूटर को भेज देता है। इसे Read/Write Head भी कहते हैं।

Hertz – हर्ट्ज़ : इसे संक्षेप में Hz लिखते हैं। यह आवृत्ति मापने की इकाई है। एक हर्ट्ज़ का मतलब होता है एक चक्र प्रति सेकंड।

Hexadecimal – षड्दशमिक : यह 16 अंकीय प्रणाली (base - 16 numbering system) 0-9, तत्पश्चात A से F तक के अंग्रजी वर्णाक्षरों (10 से 15 तक के दशमिक अंकों के समतुल्य) का प्रयोग करती है। कंप्यूटरों में बाइनरी संख्याओं को प्रस्तुत करने के लिए `हेक्स' काफी सुविधाजनक है, क्योंकि यह 8 बिट बाइट में उपयुक्त बैठता है। O - F तक की सभी `हेक्सा' संख्याओं को चार बिट द्वारा दर्शाया जा सकता है और इस प्रकार `2 हेक्सा' संख्याओं (4 बिट वाले प्रत्येक सेट के लिए एक अंक) को एकल बाइट (single byte) में संगृहीत किया जा सकता है। इस प्रकार 0 से FF के बीच किसी भी एक हेक्सा संख्या को (256 में से) एक बाइट में रखा जा सकता है। हेक्सा संख्याओं को अंग्रेजी के छोटे एच (h) अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे -1234 h, ताकि इन्हें दशमिक संख्याओं से अलग पहचान मिल सके। जैसे 10H, जो कि दशमलव पद्धति में 16 है, 100H = दशमिक 16^2 = दशमिक 256. B5H = दशमिक 181।

High Resolution – उच्च रिजोल्यूशन : मॉनिटरों एवं मुद्रकों द्वारा चित्र की चटक, सुस्पष्टता एवं चित्र की हर चीज का उभरकर दिखना ही चित्र / तस्वीर की उच्च कोटि की गुणवत्ता माना जाता है। किसी निर्धारित क्षेत्र में अधिक से अधिक कणिकाएं समाविष्ट करने से उच्च रिजोल्यूशन प्राप्त होता है। वास्तव में चित्र का उच्च रिजोल्यूशन देखने वाले की दृष्टि पर भी निर्भर करता है। एक व्यक्ति की नजर में किसी चित्र का उच्च रिजोल्यूशन चित्र की गुणवत्ता हो सकता है, परंतु दूसरे व्यक्ति के लिए वह संभवतः न हो। 12 इंच के मॉनिटर पर किसी चित्र को वास्तविक रूप में दिखने के लिए 1000 × 1000 कणिकाओं (pixels) वाली जाली (grid) की आवश्यकता पड़ती है। लेज़र प्रिंटर इस स्पष्टता को 300 से 600 डीपीआइ तक देने में समर्थ हैं। परंतु लाइनोट्रॉनिक टाइपसेटर द्वारा 2540 जीपीआइ तक का मुद्रण किया जा सकता है।

HMA (High Memory Area) – उच्च स्मृति क्षेत्र : आइ बी एम संगत (compatible) कंप्यूटरों में 1 मेगाबाइट की सीमा से अधिक की प्रथम 64 किलोबाइट स्मृति को उच्च स्मृति क्षेत्र कहते हैं। जो प्रोग्राम विस्तारित स्मृति विशिष्टता (extended memory specification) के अनुकूल होते हैं वे ही पारंपरिक स्मृति के विस्तार के रूप में इस उच्च स्मृति का प्रयोग कर सकते हैं, हालांकि एक बार में केवल एक ही प्रोग्राम; डॉस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या कोई अनुप्रयोग (application) उच्च स्मृति क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। यदि उच्च स्मृति क्षेत्र में डॉस लोड किया जाये तो पारंपरिक स्मृति का लगभग 50 किलोबाइट प्रोग्राम के लिए उपलब्ध हो सकता है।

Home – मूल स्थान, होम : एक बटन / कुंजी / आदेश, जो मूल स्थान पर पहुंचा देता है, जैसे (पृष्ठ, पाठ, पंक्ति आदि का प्रारंभिक बिंदु)।

Home Computer – घरेलू कंप्यूटर : घरेलू कार्यों के लिए बनाये गये कंप्यूटरों को घरेलू कंप्यूटर कहते हैं। मूलतः इनका प्रयोग कंप्यूटर खेलों, शिक्षा एवं वित्तीय प्रबंधन के लिए किया गया था और ये व्यावसायिक कंप्यूटरों से कम शक्तिशाली होते थे। परंतु अब घरेलू प्रयोगकर्ता भी कार्यालय की प्रणालियों की तरह शक्तिशाली, उच्चगति एवं सुविधाओं वाले कंप्यूटर चाहते हैं। अतः अब घरेलू कंप्यूटरों का प्रयोग कार्यालय-प्रणाली के विस्तार के रूप में किया जाता है। इनके द्वारा मॉडेम तथा टेलीफोन एवं समुचित कनेक्शन उपलब्ध होने पर इंटरनेट तक पहुंच भी की जा सकती है।

IC (Integrated Circuit) – आइ सी, एकीकृत परिपथ : इसे चिप भी कहते हैं। यह एक अर्द्धचालक (सेमीकंडक्टर) परिपथ होता है। जिसमें अनेक विद्युत-अवयव लगे होते हैं। सिलिकन चिप पर बना विद्युत परिपथ, जिस पर सामूहिक रूप से कई ट्रांजिस्टर एवं अन्य पुर्जे लगे होते हैं। कंप्यूटर पर कार्य के समय इलेक्ट्रॉनिक संकेत इसी परिपथ पर चलते हैं।

---

* `कंप्यूटर परिभाषा कोश' भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, मुंबई - 400 005 द्वारा प्रकाशित कोश है। यहाँ पर उक्त कोश में से कतिपय चयनित शब्दों को लिया गया है।

Image Processing – चित्र संसाधन : कंप्यूटर द्वारा रेखाचित्र / चित्रों के संसाधन को चित्र संसाधन कहते हैं। इन संसाधनों में चित्र की स्कैनिंग और विषमता घटाने या बढ़ाने के लिए विषमता नियंत्रण, रंगों का संतुलन, एक्सपोजर नियंत्रण और वस्तुओं का खाका खींचना एवं रूपरेखा तैयार करना शामिल होता है। कृत्रिम बुद्धि (artificial intelligence) में चित्र संसाधन का प्रयोग `रोबो' या कंप्यूटरविजन और स्वरूप अभिज्ञान अनुप्रयोगों (pattern recognition applications) के लिए भी किया जाता है।

Ink-Jet Printer – इंक जेट प्रिंटर : इन मुद्रकों में छवि / तस्वीर मुद्रक शीर्ष (प्रिंटर हेड) में लगे छोटे-छोटे छिद्रों से स्याही के छिड़काव से बनती है। डॉट मैट्रिक्स मुद्रकों में 9 से 12 पिन होते हैं। जबकि इंक जेट प्रिंटरों में मुद्रक शीर्षों की संख्या 30 से 60 के बीच होती है। इसलिए मुद्रक शीर्ष जब कागज़ पर से गुजरता है तो एक बार ही स्याही की फुहार से उच्च कोटि की स्पष्टता वाली छवि का निर्माण होता है। इंक जेट प्रिंटर रंगीन एवं श्वेत-श्याम दोनों ही रूपों में उपलब्ध है।

Insert Key – निवेशन कुंजी : इस कुंजी का कार्य आप द्वारा प्रयोग किये जा रहे प्रोग्राम पर निर्भर करता है। कुछ प्रोग्रामों में यह कर्सर के स्थान पर अन्य संकेतों के मध्य किसी भी संकेत / अक्षर (कैरेक्टर) के निवेशन की सुविधा प्रदान करता है। जबकि कुछ प्रोग्रामों में यह अंकित अक्षरों या संकेतों पर पुनः टंकण की सुविधा उपलब्ध कराता है।

Instruction – निर्देश : कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का कोई भी सही कथन निर्देश कहलाता है।

Instruction Set – निर्देश समूह : मशीनी भाषा निर्देश (machine language instructions), जिन्हें संसाधक (प्रोसेसर) पहचानता है और उसके अनुरूप कार्य करता है। रिस्क कंप्यूटर (Reduced Instruction Set Computer) के लिए बनाये गये निर्देश समूह में निर्देशों की संख्या बहुत कम होती है, जबकि सिस्क कंप्यूटर (Complex Instruction Set Computer) के निर्देश समूह में काफी ज्यादा निर्देश होते हैं।

Interface – इंटरफेस, अंतरापृष्ठ : यह वह बिंदु है, जहां दो उपक्रमों के बीच संपर्क स्थापित होता है। जैसे प्रयोक्ता और प्रोग्राम या परिचालन प्रणाली या दो प्रोग्रामों के बीच संबंध। हार्डवेयरों में इंटरफेस तार्किक और भौतिक (logical and physical) संबंधों की व्याख्या करता है, जैसे RS-232-C और इसे `पोर्ट' के समानार्थी माना जाता है। प्रयोक्ता इंटरफेस में वे सभी उपाय उपलब्ध होते हैं, जिनसे प्रयोक्ता प्रोग्राम से संपर्क स्थापित करता है। इनमें आदेश रेखा, सूची, डायलॉग बॉक्स, कार्य के दौरान मदद प्रणाली (on line help system) आदि उपलब्ध होती है। प्रयोक्ता इंटरफेस को अक्षर आधारित `मेनू प्रचालित' या रेखाचित्र के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर इंटरफेस अनुप्रयोग प्रोग्राम इंटरफेस होते हैं। प्रोग्राम द्वारा प्रयोग किये जाने वाले `कूट' एवं संदेशों को आंतरिक संकेतों को संप्रेषित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

Interrupt – व्यवधान, इंटरप्ट : संसाधक के नियंत्रणाधीन उपकरण द्वारा उत्पन्न संकेत, जो सामान्य संसाधन में अवरोध उत्पन्न करता है। अवरोध इस बात की सूचना देता है कि कुछ विशेष परिस्थितिवश संसाधक (प्रोसेसर) को अपनी वर्तमान गतिविधि को बीच में ही छोड़कर अवरोध सेवा की ओर ध्यान देना है। अतः संसाधक यह ज्ञात करता है कि यह अवरोध प्रणाली घड़ी (system clock), कुंजियों से या माउस, किसके प्रयोग से उत्पन्न हुआ है। अवरोध सेवा पूरी होने के बाद संसाधक पुनः अपनी अधूरी प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। पर्सनल कंप्यूटरों में इसे तीन भागों में बांटा गया है, अर्थात् आंतरिक हार्डवेयर, बाह्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवरोध के रूप में। इंटेल 80 x 86 परिवार के संसाधक 256 प्राथमिकता अवरोध सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें से पहली 64 सेवाएं प्रणाली हार्डवेयर या डॉस के लिए सुरक्षित होती हैं।

Interrupt Controller – अवरोध नियंत्रक : यह एक प्रकार का चिप है, जो हार्डवेयर अवरोधों को संसाधित कर उन्हें प्राथमिकता प्रदान करता है। आइ बी एम संगत कंप्यूटरों में इंटेल 8259-A प्रोग्रामयोग्य अवरोध नियंत्रक (programmable interrupt controller) प्रत्येक हार्डवेयर अवरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर मुख्य संसाधक (प्रोसेसर) को भेजता है।

I/O (Input / Output) – निविष्टि एवं प्राप्ति : कंप्यूटरों और उपकरणों, डिस्क, टर्मिनलों और मुद्रकों के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान एवं अंतरण को निविष्टि एवं प्राप्ति कहते हैं।

Joystick – जॉयस्टिक, खेल दण्ड : यह एक लोकप्रिय बहु दिशा-निर्देशीय उपकरण है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर खेलों और व्यावसायिक प्रयोगों, जैसे कंप्यूटर जनित डिजाइन (Computer Aided Design) आदि में किया जाता है।

KPBS (Kilo Bits Per Second) – किलोबिट प्रति सेकंड : प्रति सेकंड संप्रेषित होने वाली बिट संख्याओं को 1024 बिट प्रति सेकंड के गुणकों में मापा जाता है, इसे संचार संप्रेषण दर के रूप में प्रयोग किया जाता है।

Kernel – कर्नेल : यह परिचालन प्रणाली का मूलभूत अंग है। कर्नेल हमेशा स्मृति में रहता है और उपयोगकर्ता को इसकी जानकारी नहीं होती है। यह परिचालन प्रणाली की स्मृति, फाइल प्रणाली और डिस्क प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है।

Key – की : इस की का अर्थ कीबोर्ड की *की* से भिन्न है। 1. डाटा प्रबंधन प्रणाली (Data Base Management System) में एक या अनेक फील्डों का प्रयोग अभिलेख के पहचान के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए खाता कूट (कोड), क्रम संख्या, अंतिम एवं पहला नाम सभी महत्वपूर्ण कुंजी हैं। प्रत्येक रिकार्ड के लिए एक ही *की* मान होना चाहिए। 2. *की* का प्रयोग किसी महत्वपूर्ण डाटा को गुप्त रखने या ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है।

Key Board – कुंजी पटल : कुंजियों की एक व्यवस्था, जिससे डाटा भरने और आदेश (कमांड) देने का कार्य किया जाता है। यह टाइप राइटर की तरह कुंजियों का समूह होता है, जो कंप्यूटर में डाटा भरने और नियंत्रण आदेशों (कमांडों) को अंकित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अधिकांश कुंजी पटल क्वेर्टी (QWERTY) लेआउट (विन्यास) का प्रयोग करते हैं। इनमें एक ओर कंप्यूटर की तरह अंक वाली कुंजियां होती हैं। साथ ही कर्सर की गति के लिए भी कुंजियां होती हैं।

Key Board Buffer – कुंजीपटल / कीबोर्ड बफर : प्रणाली स्मृति का छोटा अंश, जो कुंजियों से हाल ही में टाइप किये गये डाटा को स्मृति में संग्रहीत करके रखता है। इसे टाइप अहेड बफर (type ahead buffer) के नाम से जाना जाता है। कुछ उपयोगिता प्रोग्राम विभिन्न कुंजियों और आदेशों को संग्रहीत कर लेते हैं और उनके पुनः उपयोग की सुविधा प्रदान करते हैं।

Key Board Layout – कुंजीपटल विन्यास : अधिकांश कंप्यूटर क्वेर्टी टाइपरायटर के कुंजीपटल पर आधारित बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आइ बी एम पी सी एवं डॉस कंप्यूटरों में साधारणतया 101 कुंजियोंवाले बोर्ड का इस्तेमाल होता है, जिसमें 12 विशिष्ट कुंजियां भी होती हैं। मैंकिटॉश कंप्यूटर जो एपल डेस्कटॉप बस का प्रयोग करते हैं वे या तो 81 कुंजियों वाले एपल कुंजीपटल या 105 कुंजियों वाले कुंजीपटल का इस्तेमाल करते हैं। पोर्टेबल कंप्यूटरों में विशेष कुंजियों को कुंजीपटल में अपेक्षित आकार में रखा जाता है, ताकि वे कंप्यूटर केस में आसानी से समा सकें।

Laptop Computers – अंकशायी / लैपटॉप कंप्यूटर : यह छोटा एवं हलका तथा आसानी से कहीं भी ले जाया जाने वाला कंप्यूटर है। इसका चपटा स्क्रीन और कुंजी पटल आपस में मुड़कर छोटे ब्रीफकेस जैसा आकार ग्रहण कर लेते हैं। ये कंप्यूटर बैटरी से चलते हैं। इनमें अक्सर पीछे या किनारे की ओर से प्रकाशित पतला-सा एल सी डी डिस्प्ले स्क्रीन (LCD display screen) होता है। कुछ मॉडलों में पूर्ण आकार की डेस्कटॉप प्रणाली उपलब्ध होती है। बैटरी की उन्नत तकनीक के कारण ये घंटों तक चल सकते हैं और कुछ मॉडलों के केवल पठनीय स्मृति (ROM) में व्यावसायिक अनुप्रयोग (application) प्रोग्राम भी लगे होते हैं।

Laser Printer – लेजर मुद्रक : यह उच्च रिजोल्यूशन वाला आघात विहीन (high resolution non impact) प्रिंटर है। यह फोटो कॉपी मशीन की तरह अक्षरों एवं रेखाचित्रों को कागज पर मुद्रित करने के लिए इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक विधि का प्रयोग करता है। लेजर किरणों को प्रकाश संवेदी ड्रम (photo sensitive drum) पर परावर्तित करने के लिए घूमनेवाले डिस्क का प्रयोग किया जाता है, जहां पर पृष्ठ की छवि विद्युत स्थैतिक आवेश (electro static charge) के रूप में परिवर्तित होती है। जो टोनर (toner) को आकर्षित एवं धारण करती है। इसके बाद चार्ज किये गये कागज को ड्रम पर घुमा दिया जाता है, ताकि छवि उस पर उतर जाये और गर्मी के प्रयोग से टोनर (toner) एवं कागज़ को जोड़ कर लचीलापन दिया जाता है, ताकि छवि पूर्ण रूप से कागज़ पर अंकित हो जाये। लेज़र प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स (dot matrix) मुद्रकों के समान कागज के उपयोग तो उपलब्ध नहीं कराते, परंतु लेज़र मुद्रक शांत, उच्च गति, साफ एवं बेहतर मुद्रण प्रदान करते हैं। वर्तमान में कार्यालयों में उपयोग होने वाले लेज़र मुद्रकों की सुस्पष्टता 300-600 डी पी आइ है। हालांकि कुछ उच्च गति वाले मुद्रक इससे भी बेहतर कार्य तेज गति से कर सकते हैं। मुद्रक की गति पृष्ठ प्रति मिनट के द्वारा व्यक्त की जाती है। परंतु प्रिंटरों की गति पाठ एवं जटिल रेखा-चिह्नों को मिलाकर मुद्रित करने पर कम हो जाती है।

LCD (Liquid Crystal Display) – एल सी डी, द्रव मणिभ प्रदर्शन : पोर्टेबल कंप्यूटर पर प्रदर्शन की तकनीक, जिसमें विशेष द्रव में डूबे हुए मणिभों के संरेखण से एल सी डी पैनेल पर चित्र बनता है। सूक्ष्म छड़ों के आकार के मणिभ (rod shaped crystal) समानांतर पारदर्शी विद्युत इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित रहते हैं। इस प्रदर्शन तकनीक में पोर्टेबल कंम्प्यूटरों में विशेष द्रव में डूबे स्फटिकों को यथास्थान करने के लिए विद्युत प्रवाह का प्रयोग किया

जाता है । विद्युत प्रवाहित होने पर मणिभ अपनी दिशा बदलते हैं तथा काले या श्वेत क्षेत्रों को जन्म देते हैं, जिससे पटल पर अक्षर या छवि बनती है । अनेक एल सी डी वाले स्क्रीन में प्रकाश पीछे या किनारे से दिया जाता है, ताकि चित्र अधिक स्पष्ट हो सके और उन्हें देखने पर आंखों पर प्रभाव कम पड़े ।

Machine Language – मशीनी भाषा : यह बाइनरी संख्याओं की समवर्गी भाषा है । इसे कंप्यूटर द्वारा आंतरिक प्रयोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है । इसे मनुष्य आसानी से पढ़ या समझ नहीं सकता । इसे मशीन कूट (कोड) भी कहते हैं । प्रोग्राम बनानेवाले उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग कर प्रोग्राम बनाते हैं । इनका असेंब्लर, कंपाइलर या अनुवाचक (interpreter) के द्वारा मशीनी भाषा में अनुवाद किया जाता है, जिसे कंप्यूटर समझता है ।

Macro – मैक्रो : यह विभिन्न कुंजियों और निर्देशों का समूह होता है, जिसे पुनः प्रयोग कर जटिल या क्रमिक प्रयोगों को कम समय में किया जा सकता है । लगभग सभी स्प्रेडशीट, शब्द संसाधन, डाटा बेस प्रोग्रामों में मैक्रो तैयार करने और उनमें संशोधन करने की सुविधा होती है । इससे कार्य की गति बढ़ जाती है । इनमें से कुछ प्रोग्राम की बनावट को नियंत्रित करने के लिए विवरणों में *DO/WHILE Loops* और *IF/THEN* आदि कमांडों की सुविधा भी प्रदान करते हैं।

Magnetic Disk – चुंबकीय डिस्क : आम तौर पर इसे फ्लॉपी कहते हैं । कंप्यूटर पर किये गये कार्य को फ्लॉपी पर लेकर सुरक्षित रखा जाता है, ताकि यदि किसी कारण कंप्यूटर में कोई खराबी आ जाये तो डाटा को कोई हानि न हो । इससे कंप्यूटर फाइलों को अन्यत्र ले जाना भी आसान होता है ।

Magnetic Tape – चुंबकीय टेप : प्लास्टिक के लचीले टेप पर चुंबकीय पदार्थ (आयरन आक्साइड) का लेप कर दिया जाता है । यह टेप आधा इंच चौड़ा और अलग-अलग लंबाई में होता है । इसका उपयोग आंकड़ों के संग्रहण के लिए किया जाता है । टेप पर चौड़ाई में चुंबकीय बिंदुओं के कतारों के रूप में डाटा रिकॉर्ड किये जाते हैं । स्थान का विभाजन स्तंभों में होता है । बाइनरी 1 को कतारों के रूप में और बाइनरी 0 को कतारों में छोड़े गये रिक्त स्थान के रूप में इंगित किया जाता है । रिकॉर्डिंग के लिए आस्की और एबसीडिक कूटलेखन योजना अपनायी जाती है ।

Mainframe Computer – मेनफ्रेम कंप्यूटर : यह काफी बृहत्, अति उच्च गति वाला और बहुप्रयोगकर्ता कंप्यूटर है । यह बड़े पैमाने पर आंकड़े संसाधन और जटिल गणना कार्यों को सरलता से करता है । इसका उपयोग बड़े कार्यालयों/संगठनों, विश्वविद्यालयों और सेना संगठनों में किया जाता है । इनका उपयोग हजारों प्रयोगकर्ताओं द्वारा एक साथ किया जा सकता है ।

M bit (Megabit) – मेगाबिट : यह 10,48,576 बाइनरी डिजिटों (बिटों) की इकाई होती है । इसे साधारणतः 10 लाख बिट के समतुल्य माने जाने के कारण मेगाबिट कहा जाता है ।

M byte (Megabyte) – मेगाबाइट : यह 10,48,576 बाइट की इकाई होती है । कंप्यूटर की स्मृति या हार्ड डिस्क की संग्रहण क्षमता को व्यक्त करने के लिए मेगाबाइट का प्रयोग किया जाता है ।

MBPS (Mega Bits Per Second) – मेगा बिट प्रति सेकंड : इसके द्वारा किसी नेटवर्क या सूचना प्रणाली पर प्रति सेकंड संचालित होने वाले आंकड़ों को मापा जाता है । इसे 1,048,576 बिट के गुणकों में मापा जाता है ।

Megahertz – मेगाहर्ट्ज़ : इसे संक्षेप में MHz लिखते हैं । इसका अर्थ 10 लाख चक्र प्रति सेकंड (1 million cycles per second) है । किसी संसाधक की घड़ी की गति `मेगाहर्ट्ज़' में व्यक्त की जाती है । मूल आइ बी एम व्यक्तिगत कंप्यूटर (IBM PC) 8088 के चलने की गति 4.77 मेगाहर्ट्ज़ है । आधुनिकतम पेंटियम संसाधक के विभिन्न संस्करण (pentium processor) 400-550 मेगाहर्ट्ज़ की गति से चलते हैं ।

Memory – स्मृति : एक ऐसी युक्ति या माध्यम, जिसमें बाद में उपयोग के लिए सूचना भंडारित रहती है । वस्तुतः यह कंप्यूटरों में स्थापित प्राथमिक एकाएक पहुंच स्मृति (primary RAM) है । परिचालन प्रणाली अनुप्रयोग प्रोग्रामों को हार्ड डिस्क से नकलकर स्मृति में संग्रह कर लेती है और यहां सभी प्रोग्रामों का निष्पादन एवं आंकड़ों का संसाधन होता है । तत्पश्चात परिणाम को पुनः हार्ड डिस्क में लिया जाता है । कंप्यूटर की स्मृति की मात्रा प्रोग्रामों के आकार और उनकी संख्या और बृहद्तम आंकड़ा फाइल के आकार का निर्धारण करती है ।

Memory Address – स्मृति पता : स्मृति में वह विशिष्ट स्थान, जहां पर विशेष आंकड़े या प्रोग्राम निर्देश संग्रहीत रहते हैं ।

Memory Capacity – स्मृति-धारिता, स्मृति-क्षमता : भंडारण एकक में आ सकनेवाले कुल डाटा की बाइट में क्षमता, जो संख्यात्मक होती है ।

(अगले अंक में जारी)

चेकों के लिए इमेज प्रोसेसिंग

इमेज टैक्नॉलोजी चार महानगरीय माइकर एनसीसी केन्द्रों पर स्थापित की गयी नयी प्रणालियों में चेक/प्रलेख प्रोसेसिंग वातावरण में सबसे नयी गतिविधि है। इमेजिंग के अन्तर्गत डॉक्यूमेंट रीडर सोर्टर सिस्टम में से गुजरने पर चेकों की छवि (इमेज) अंकित होती चलती है। ये छवियाँ बाइ-टोनल (काला और सफेद) मोड अथवा ग्रे स्केल (कलर) मोड दोनो में अंकित हो सकती हैं। ग्रे स्केल कलर के मामले में स्टोरेज आवश्यकता बाइ-टोनल कल्चर की तुलना में बहुत अधिक होती है। यह प्रति इमेज 20 केबी से 50 केबी के बीच हो सकती है। स्टोरेज आवश्यकता रंगों के अलग-अलग कम्बीनेशन के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

चेकों के आगे और पीछे, दोनों तरफ की इमेज कैप्चर की जाती है अथवा केवल आगे की, अथवा केवल पीछे की तरफ की इमेज कैप्चर की जाती हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए इमेजिंग मॉड्यूल में केवल एक इमेज स्कैनर/कैमरा अथवा दो इमेज स्कैनर/कैमरा लगाये जायेंगे। चेक इमेज का कोई भी हिस्सा, उदाहरण के लिए सामने की तरफ हस्ताक्षर, पीछे की तरफ पृष्ठांकन, माइकर कूट लाइन का कोई फील्ड इत्यादि बड़ा (जूम) किया जा सकता है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक चेक इमेज को आवश्यकतानुसार घुमाया (रोटेट) जा सकता है, उसकी पृष्ठभूमि की तुलना में कन्ट्रास्ट/उजलापन(ब्राइटनेस) बढ़ाया जा सकता है। चेक इमेज को कैप्चर करने से डॉक्यूमेंट प्रोसेसर रीडर सॉर्टर प्रणाली की निष्पादकता कम नहीं होती।

इमेज कैप्चर प्रक्रिया के अन्तर्गत विलेख पर आने वाली सभी जानकारी/ब्यौरे और साथ ही पृष्ठभूमि पर मौजूद पिक्सेल डिजिटल रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दरअसल ये चेकों को इलेक्ट्रानिक इमेज में डिजिटाइज़ कर देता है, जिन्हें कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्टोर, रिट्राइव या प्रदर्शित किया जा सकता है अथवा मुद्रित और फैक्स किया जा सकता है।

जैसाकि विक्रेताओं द्वारा बताया गया है, इमेज स्कैनर/कैमरा द्वारा 256 रंग कम्बीनेशन कैप्चर किये जा सकते हैं। कैप्चर की गयी इमेज की शार्पनेस/स्पष्टता कलर कन्ट्रास्ट, रिजोल्यूशन तथा प्रयोग में लायी गयी कम्प्रैसन तकनीक के प्रकार पर निर्भर करेगी। कैप्चर की गयी इमेज को कॉल एण्ड डिमांड आधार पर स्टोर किया जा सकता है और फिर से रिट्राइव किया जा सकता है। इन्हें डेटा कम्यूनिकेशन लाइनों पर/वीसैट नेटवर्क/ट्रांसमिशन के अन्य साधनों द्वारा स्थानांतरित/ट्रांसमिट किया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि सदस्य बैंकों के पास कौन-सी आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं। वे इन इमेजों को समायोजन (रीकंसिलिएशन) प्रयोजनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण के रूप में और यहां तक कि 'स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग' के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं।

शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम (एसपीएनएस)

भारतीय बैंक संघ द्वारा स्थापित शेयर्ड पेमेंट नेटवर्क सिस्टम, जिसे स्वधन कहते हैं, मुंबई में इसके सदस्य बैंकों के ऐटोमेटेड टेलर मशीनों का नेटवर्क है। फरवरी 1997 से चल रहे नेटवर्क का उद्देश्य मुंबई शहर में कहीं भी सदस्य बैंक के किसी भी ग्राहक को 24 घंटे, वर्ष में 365 दिन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराना है। इसका प्रबंध भारतीय बैंक संघ देखता है। सदस्य बैंक जो नेटवर्क में हिस्सा लेते हैं, स्वधन नेटवर्क में लेनदेन करने के लिए अपने ग्राहकों को कार्ड जारी करते हैं। किसी भी बैंक का ग्राहक सदस्य बैंकों के किसी भी एटीएम से अपने लेनदेन कर सकता है। इस तरह, मान लीजिए, केनरा बैंक का एटीएम कार्ड धारक नेटवर्क में किसी भी बैंक के, उदाहरण के लिए इंडियन बैंक के एटीएम का उपयोग कर सकता है। एसपीएनएस के अंतर्गत जो सेवाएँ उपलब्ध करायी जाती हैं, उनमें नकद पैसे निकालना, शेषराशि की पूछताछ, नकदी / चेक जमा करना, निधियों का अंतरण, चेक बुक के लिए अनुरोध, स्थायी अनुदेश और खाते का विवरण तथा पीआइएन में परिवर्तन शामिल हैं । सदस्य बैंकों के एटीएम, एमटीएनएल से लीज पर ली गयी लाइनों के जरिये एक केंद्रीय स्विच से जुड़े हुए हैं। केंद्रीय स्विच का रखरखाव सेवा प्रदान करने वाली इंडिया स्विच कंपनी करती है। स्वधन में सभी अंतर-बैंक लेनदेनों के लिए बैंक ऑफ इंडिया समायोजन बैंक के रूप में कार्य करता है। 30 जून 2000 की स्थिति के अनुसार नेटवर्क पर 33 बैंकों के 145 एटीएम कार्य

कर रहे थे। किये जा रहे लेनदेनों की संख्या वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाती है। भावी योजनाओं में अगले 5 वर्षों में नेटवर्क में विस्तार कर के 500 और एटीएम जोड़ना, प्रतिदिन प्रति एटीएम में लेनदेनों की संख्या बढ़ाना, व्यापारिक संस्थानों और साथ ही साथ वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्कों के साथ संबंध स्थापित करना आदि शामिल हैं। यह भी योजना है कि इस नेटवर्क का देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी विस्तार किया जाये।

एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि यह हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा सामने आयी है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ अब अत्याधुनिक स्मार्ट कार्ड टैक्नॉलोजी सामने आई है। स्मार्ट कार्ड के उपयोग पर आइआइटी, मुंबई ने आइडीआरबीटी, हैदराबाद, कुछ बैंकों तथा विक्रेताओं के साथ मिलकर एक पाइलट परियोजना शुरू की थी । परियोजना टीम की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की जा चुकी है और स्मार्ट कार्ड के मानक भारतीय मानक ब्यूरो को राष्ट्रीय मानकों के रूप में अपनाने के लिए भेजे गये हैं।

भाविनेट (इन्फिनेट)

भारत में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन क्षेत्र की प्रमुख अड़चन विश्वसनीय संचार माध्यम का उपलब्ध न होना है। इस समस्या से पार पाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान को वीसैट प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल नेटवर्क पर आधारित वाइड एरिया विकसित करने का कार्य सौंपने के लिए पहल की है। भारतीय वित्तीय नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द `इन्फिनेट' एक ऐसा नेटवर्क है जो भारत के वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न सहभागियों को लेकर बनाये गये क्लोज्ड यूज़र ग्रुप के लिए तैयार और विकसित किया गया है।

इस नेट वर्क का हब और नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली, बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद में स्थापित की गयी है। प्रथम चरण में यह नेटवर्क सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों और रिज़र्व बैंक के लिए उपलब्ध कराया गया है। इन्फिनेट नेटवर्क ने 19 जून 1999 को काम करना शुरू किया। प्रारंभ में यह नेटवर्क उसके लिए आबंटित 1/8 ट्रान्सपॉंडर पर चलाया गया था। दूरसंचार विभाग द्वारा सैटेलाइट इनसैट 3-बी पर एक ट्रान्सपॉंडर स्पेस आबंटित किये जाने से रिज़र्व बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालय और वित्त मंत्रालय सहित सभी सदस्य बैंकों (कुल 442) के लिए अब इसने कार्य शुरू कर दिया है।

भारत सरकार द्वारा इनसैट 3बी पर इन्फिनेट को एक ट्रान्सपॉंडर का आबंटन किये जाने के कारण बड़ा बैंडविड्थ उपलब्ध हो गया है, इसे देखते हुए अधिक बड़े क्षेत्रीय कार्यालयों में डीएएमए वीसैट को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि टेलि-कॉन्फरेंसिंग और वीडिओ-कॉन्फरेंसिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके। तब टीडीएमए वीसैट को अन्य कार्यालयों/प्रशिक्षण संस्थाओं में लगा दिया जायेगा जिससे रिज़र्व बैंक की सभी इकाइयां इन्फिनेट के माध्यम से आपस में जुड़ जायेंगी। विक्रेता को तदनुसार सूचित किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में डीएएमए वीसैट स्थापित करे और मौजूदा टीडीएमए वीसैट नये स्थानों पर लगा दे।

आइडीआरबीटी ने इन्फिनेट पर मेल मैसेजिंग के लिए प्लेटफार्म के रूप में एमएस एक्सचेंज को निर्धारित किया है। इस समय सदस्य बैंक नेटवर्क का इस्तेमाल ई-मेल के आदान प्रदान, फ्लैट फाइल ट्रान्सफर और आंतर-शाखा आंकड़ों के मिलान के लिए करते हैं। रिज़र्व बैंक के लिए शुरू किये गये कॉर्पोरेट ई-मेल का कार्य भी इन्फिनेट के माध्यम से किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड फाइनान्शियल मैसेजिंग सिस्टम समाधान स्विफ्ट जैसे मैसेज फॉर्मेट्स पर आधारित है। इसकी सिफारिश अंतर/अंतरा-बैंक कार्यों के लिए मैसेज फॉर्मेट का डिज़ाइन बनाने और उसे विकसित करने के लिए गठित उप-समूह द्वारा की गयी थी। इन फार्मेटों के आधार पर बैंकों के पास टेम्पलैट्स के साथ फ्रंटएंड होंगे। टैम्पलैट्स में यदि कुछ जोड़ा/हटाया जाना हो तो उसे केवल हब साइट पर ही किया जा सकेगा। दि स्ट्रक्चर्ड फाइनान्शियल मेसेजिंग सिस्टम (एसएफएमएस), पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर - सिक्युर्ड एन्वायरनमेंट का इस्तेमाल करते हुए लागू किया जायेगा। इससे विकसित समाधान एनटी आधारित होगा और बैंक के स्वयं के आंतरिक सॉफ्टवेअर के एकीकरण के लिए एपीआइ का प्रावधान करेगा, जिससे स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग आसान हो जायेगी। इंटरफेस सॉफ्टवेअर उपभोक्ताओं को खुद विकसित करने होंगे।

(स्रोत : रिज़र्व बैंक न्यूज़ लेटर के 15 अक्तूबर, 2000 अंक से साभार)

परिचालनगत दिशानिर्देश

समीक्षा के उपरांत रिज़र्व बैंक ने कई परिचालनगत दिशानिर्देश जारी किये। दिशानिर्देशों का सार यहां दिया जा रहा है ।

वाणिज्यिक पत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश

पात्रता : कार्पोरेट, प्राथमिक व्यापारी, सेटेलाइट व्यापारी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं; कार्पोरेट की पात्रता के लिए (क) भौतिक निवल मूल्य 4 करोड़ रुपये, (ख) किसी बैंक/वित्तीय संस्था से स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमा; तथा (ग) उधारी खाता, मानक-परिसंपत्ति वाला हो ।

क्रम-निर्धारण (रेटिंग) अपेक्षाएं : न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग क्राइसिल की पी-2 अथवा अन्य अनुमोदित एजेंसी की समतुल्य रेटिंग हो ।

परिपक्वता : न्यूनतम 15 दिन और अधिकतम एक वर्ष तक ।

मूल्यवर्ग : न्यूनतम 5 लाख रुपये और उसके गुणजों में।

सीमा और राशि : वाणिज्यिक पत्र `स्टैण्ड अलोन' प्रोडक्ट के रूप में जारी किया जा सकता है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को छूट होगी कि वे कंपनी के वाणिज्यिक पत्रों सहित उनके वित्तपोषण के संसाधन-पैटर्न को विधिवत ध्यान में रखते हुए कार्यशील पूंजी सीमा निर्धारित करें।

जारीकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट (आईपीए) : केवल अनुसूचित बैंक आईपीए के रूप में कार्य कर सकते हैं।

वाणिज्यिक पत्र में निवेश : वाणिज्यिक पत्र कोई व्यक्ति, बैंक, कार्पोरेट, अनिगमित निकाय, अनिवासी भारतीय और विदेशी संस्थागत निवेशक रख सकता है।

जारी करने की विधि : वाणिज्यिक पत्र एक वचनपत्र के रूप में या डीमैट रूप में जारी किया जा सकता है। हामीदारी की अनुमति नहीं है।

डीमैट को वरीयता : जारीकर्ताओं और ग्राहकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे खास तौर से इसके डीमैट रूप पर निर्भरता को तरजीह दें। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, प्राथमिक व्यापारियों, सेटेलाइट व्यापारियों को सूचित किया जाता है कि वे व्यवस्था लागू होते ही केवल अमूर्त रूप में निवेश करें।

आपाती (स्टैण्ड-बाइ) सुविधा : बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए अनिवार्य नहीं है कि वे आपाती सुविधा उपलब्ध करवाएं। उन्हें यह छूट है कि वे विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन ऋण विस्तार सुविधा उपलब्ध करवाएं।

भूमिका और दायित्व : ये दिशानिर्देश जारीकर्ता, आईपीए एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की भूमिका और उनके दायित्व निर्धारित करते हैं। फिमडा (एफआइएमएमडीए), स्वनियंत्रक संगठन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप मानकीकृत क्रियाविधि एवं प्रलेखन का निर्धारण कर सकते हैं। तब तक भारतीय बैंक संघ द्वारा निर्धारित क्रियाविधि/प्रलेखन अपनाया जाए।

बैंक निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन

पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानन आवश्यकता पर विवेकपूर्ण मानदंड जारी किये जाने से पिछले कुछ वर्षों में भारतीय बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। इसी तरह आवर्त और परिपक्वता अवधि को देखते हुए प्रतिभूति बाज़ार के व्यापार में भी सुधार हुआ है। इन गतिविधियों और उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को देखते हुए, रिज़र्व बैंक ने संविभाग निवेशों के वर्गीकरण और मूल्यांकन के अपने मौजूदा अनुदेशों की समीक्षा की है। संशोधित दिशानिर्देश 30 सितंबर 2000 को समाप्त छमाही से प्रभावी कर दिये गये हैं।

मुख्य-मुख्य बातें :

बैंकों को चाहिए कि वे 30 सितंबर 2000 तक अपने समग्र संविभाग निवेशों को तीन श्रेणियों अर्थात् `परिपक्वता अवधि के लिए रखे गये', `बिक्री के लिए उपलब्ध' और `व्यापार के लिए रखे गये' में वर्गीकृत करें।

तुलन-पत्र में मौजूदा छह वर्गीकरणों के अंतर्गत निवेशों को दर्शाया जाता रहेगा, जैसे (i) सरकारी प्रतिभूतियां (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां (iii) शेयर (iv) डिबेंचर और बांड (v) सहायक/संयुक्त उद्यम (vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, पारस्परिक निधियों की इकाइयां, आदि)

`बिक्री के लिए उपलब्ध' और `व्यापार के लिए उपलब्ध' इन श्रेणियों के अंतर्गत आनेवाले निवेशों को आवधिक रूप से या कम अंतरालों पर बाज़ार के लिए अंकित किया जाना चाहिए। `परिपक्वता अवधि के लिए रखे

गये' की श्रेणी के अंतर्गत आनेवाले निवेशों को इस समय `स्थायी' प्रतिभूतियों के अनुसार, बाज़ार के लिए अंकित किये जाने की जरूरत नहीं है। निवेशों के वर्गीकरण, तीन श्रेणियों में निवेशों का अंतरण, निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों की बिक्री पर लाभ/हानि दर्ज करने की प्रणाली और मूल्यह्रास की व्यवस्था निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए।

इस समय विभिन्न प्रतिभूतियों की जोखिम भारिता, इसमें बाज़ार जोखिम का भी समावेश है, अपरिवर्तनीय रहेगी। तीन श्रेणियों में मौजूदा निवेशों का वर्गीकरण संबंधित प्रतिभूतियों के 30 सितंबर 2000 तक के अंकित मूल्य पर किया जाना चाहिए। `व्यापार के लिए रखी गयी' और `बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत आनेवाली प्रतिभूतियों का अनुवर्ती मूल्यांकन संशोधित दिशानिर्देश के अनुसार किया जाए।

इस तरह का पहला पुनर्मूल्यांकन `व्यापार के लिए रखी गयी' श्रेणी के अंतर्गत आनेवाली प्रतिभूतियों के संबंध में 30 सितंबर 2000 तक के लिए किया जाए। `बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत आनेवाली प्रतिभूतियों का भी उस तारीख तक उस स्थिति में पुनर्मूल्यांकन किया जाये यदि बैंक `वार्षिक' अंतरालों से अधिक अंतरालों पर इस श्रेणी का पुनर्मूल्यांकन करना चाहता हो।

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत वर्गीकरण निवेशों का अंतरण और मूल्यांकन संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान रखने के लिए अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से एक निवेश नीति तैयार करें। यह नीति ऐसी हो, जिससे जोखिम प्रबंधन संबंधी पहलुओं का पर्याप्त रूप से निराकरण होता हो, तथा यह भी सुनिश्चित हो कि संशोधित दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंकों द्वारा अपनायी गयी क्रियाविधियां अनुरूप, पारदर्शी और अच्छी तरह से प्रलेखित हों, जिससे निरीक्षक और सांविधिक लेखा-परीक्षक उनका सत्यापन आसानी से कर सकें।

परिभाषा :

बैंकों द्वारा परिपक्वता तक रखे जाने के आशय से प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को परिपक्वता तक धारित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। बैंकों द्वारा अल्पकालीन मूल्य/ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के फायदे उठाने के लिए व्यापार करने के आशय से प्राप्त की गई प्रतिभूतियों को व्यापार के लिए धारित के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसी प्रतिभूतियां जो उक्त दो वर्गों में नहीं आती हैं, उन्हें विक्रय के लिए उपलब्ध के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

मानक आस्तियों पर प्रावधान

अपनायी जा रही श्रेष्ठतम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि `मानक आस्तियों पर सामान्य प्रावधानों' को स्तर- II (टियर II) की पूंजी में शामिल करने की बैंकों को अनुमति दी जाये। तथापि मानक आस्तियों पर उक्त प्रावधानों को अन्य `सामान्य प्रावधानों / हानि के लिए प्रारक्षित निधियों' के साथ कुल जोख़िम भारित आस्तियों के अधिकतम 1.25 प्रतिशत तक को ही स्तर-II (टियर II) की पूँजी के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

इससे पहले के अनुदेशों के अनुसार मानक आस्तियों पर प्रावधान स्तर - II (टीयर II) की पूंजी में शामिल किये जाने के लिए पात्र नहीं था।

सहायक कंपनियों के तुलनपत्र

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के तुलनपत्रों में अधिक पारदर्शिता लाने और सुदृढ़ पर्यवेक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हुए तथा अतिरिक्त जानकारी प्रकट करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 2001 में समाप्त वर्ष से प्रारंभ करके सरकारी क्षेत्र के बैंक भी अपनी प्रत्येक सहायक कंपनी का तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता, निदेशक मंडल की रिपोर्ट और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट अपने स्वयं के तुलनपत्रों के साथ मिलायें।

बैंकों को पहले सूचित किया गया था कि वे मार्च 2001 को समाप्त वर्ष से आरंभ करते हुए चरणों में बैंक की अपनी आस्तियों पर लागू जोख़िम भारों के समान अपनी सहायक कंपनियों के जोखिम भारित घटकों को काल्पनिक आधार पर अपने स्वयं के तुलन-पत्र में स्वेच्छा से शामिल करें तथा अपनी बहियों में अतिरिक्त पूंजी निर्दिष्ट करें।

इस समय सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए यह अपेक्षित नहीं है कि वे अन्य बैंकिंग कंपनियों की तरह अपने तुलन-पत्र के साथ सहायक कंपनियों के तुलनपत्र संलग्न करें । अन्य बैंकिंग कंपनियों को कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसा करना पड़ता है ।

आस्ति वर्गीकरण–`अतिदेय' (पास्ट ड्यू)

बैंकों को 1992 से सूचित किया गया है कि देय तारीख के बाद 30 दिन तक कोई राशि बकाया रहे तो उसे `अतिदेय' (पास्ट ड्यू) माना जाना चाहिए।

भुगतान और निपटान प्रणाली, वसूली माहौल में सुधार, बैंकिंग प्रौद्योगिकी में उन्नयन आदि के कारण यह संकल्पना बेकार हो गयी है। अतएव 31 मार्च 2001 से `अतिदेय' (पास्ट ड्यू) `अवधारणा' समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार उक्त तारीख से अनर्जक आस्ति ऐसा अग्रिम होगा जहाँ

i) मीयादी ऋण के संबंध में ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 180 दिन से अधिक समय के लिए बकाया रहे,

ii) ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) के संबंध में खाता 180 दिन से अधिक अवधि के लिए `अव्यवस्थित' (आउट ऑफ आर्डर) रहे,

iii) खरीदे गये और बट्टाकृत बिलों के संबंध में बिल 180 दिन से अधिक समय के लिए बकाया हो,

iv) कृषि प्रयोजनों के लिए मंजूर किसी अग्रिम के मामले में ब्याज और/या मूलधन की किस्त दो फसल मौसमों के लिए बकाया रहे, परंतु वह दो छमाहियों से अधिक समय के लिए बकाया नहीं हो और

v) अन्य खातों के मामले में प्राप्य कोई राशि 180 दिन से अधिक समय के लिए बकाया रहे।

दंडात्मक ब्याज लगाना

बैंकों को और अधिक परिचालनात्मक स्वायत्तता देने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि अब वे अपने बोर्डों के अनुमोदन से, दंडात्मक ब्याज-दरें लगाने के लिए पारदर्शी नीति बना सकते हैं। यह नीति पारदर्शिता, ईमानदारी, ऋण के शोधन के लिए प्रोत्साहन और ग्राहकों की वास्तविक कठिनाइयों का उचित रूप से ध्यान रखने के स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा भली-भांति नियंत्रित होनी चाहिए।

इससे पहले भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा लगाये जानेवाले समग्र दंडात्मक ब्याज/अतिरिक्त ब्याज संबंधित उधारकर्ताओं के लिए लागू/सामान्यत: प्रभारित ब्याज-दर से ऊपर 2 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता था।

मुक्त विक्रय चीनी के लिए मार्जिन

बाज़ार की स्थितियों की समीक्षा करने पर तथा मार्जिन निर्धारित करने में बैंकों को लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, मुक्त विक्रय वाली चीनी पर चयनात्मक ऋण नियंत्रण के अंतर्गत मौजूदा निर्धारित शर्तों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। बैंक अब मुक्त विक्रय वाली चीनी के संबंध में मार्जिन का निर्णय अपने वाणिज्यिक विवेक के आधार पर कर सकते हैं। लेवी स्टॉक के लिए पहले न्यूनतम मार्जिन 10 प्रतिशत थी, जबकि मुक्त विक्रय वाली चीनी 15 प्रतिशत के मार्जिन के अधीन थी और सुरक्षित भंडार (बफ़र स्टॉक) पर कोई मार्जिन नहीं था।

सरकारी प्रतिभूतियां आबंटन के बाद बेची जा सकती हैं

अब बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों को कुछ नियमों एवं शर्तों के अधीन, प्राथमिक नीलामियों में सरकारी प्रतिभूतियों के आबंटन के बाद उनकी बिक्री के लिए अनुमति दी गयी है। इस प्रकार जो बैंक सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम की नीलामी में सफल होते हैं वे निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार, आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री कर सकते हैं। अलबत्ता, प्राथमिक नीलामी में आबंटित प्रतिभूतियों को छोड़कर, बैंक अपने निवेश खाते में सरकारी प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष धारित किये बिना उनकी बिक्री न करें। अर्थात, किसी भी परिस्थिति में, बैंक किसी भी प्रतिभूति में अधिविक्रित (ओवरसोल्ड) स्थिति न रखें।

इससे पूर्व, कोई भी बैंक प्रतिभूति की बिक्री के समय अपने निवेश खाते में प्रतिभूतियों को प्रत्यक्ष धारित किये बिना बिक्री लेनदेन नहीं कर सकते थे। इस प्रतिबंध के कारण बैंक नीलामी के दिन प्राथमिक निर्गमों की नीलामियों में आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री नहीं कर सकते थे।

प्रारक्षित निधियों में अंतरण

अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाएं लागू होने से, प्रतिधारित आमदनी के माध्यम से स्थायी पूंजी को मजबूत किये जाने का महत्व और बढ़ गया है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि भारत में कार्यरत सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (विदेशी बैंकों सहित) को चाहिए कि वे 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष से `शुद्ध लाभ' का कम से कम 25 प्रतिशत (विनियोग के पहले) प्रारक्षित निधि को अंतरित करें। इसके अलावा, प्रारक्षित निधियों को अंतरण `स्टाफ को बोनस हेतु समायोजन/प्रावधान के बाद' किया जाये।

वर्तमान अनुदेशों के अनुसार सभी भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से अपेक्षित था कि वे (स्टाफ को बोनस के लिए समायोजन/प्रावधान करने के पहले) घोषित लाभ का

एक अंश, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17(1) में निर्धारित 20 प्रतिशत के स्तर के मुकाबले कम से कम 25 प्रतिशत अंश प्रारक्षित निधि को अंतरित करें। इसके अलावा, कुछ बैंक ऐसे लाभ के केवल 20 प्रतिशत के सांविधिक न्यूनतम स्तर के बराबर राशि प्रारक्षित निधि को अंतरित कर रहे थे। इसके अलावा वर्तमान अनुदेशों के अनुसार प्रारक्षित निधियों में इस प्रकार का अंतरण `स्टाफ को बोनस हेतु समायोजन/प्रावधान करने के पहले' किया जाना अपेक्षित था।

ईक्विटी और शेयरों में निवेश का बैंक वित्तपोषण

भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अधिकारियों से युक्त ईक्विटी के बैंक वित्तपोषण पर स्थायी तकनीकी समिति का गठन ईक्विटी और शेयरों में निवेश के बैंक वित्तपोषण की पारदर्शी और स्थिर प्रणाली के लिए परिचालनगत मार्गदर्शी सिद्धांत विकसित करने के लिए किये गये जिसने अपनी रिपोर्ट 30 अगस्त, 2000 को प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट को जनता के अभिमत जानने के लिए जारी किया गया। समिति द्वारा किये गये प्रस्तावों पर प्रसार माध्यम तथा अन्य बाज़ार सहभागियों से प्राप्त विचारों के आधार पर, साथ ही 19 सितंबर, 2000 को प्रमुख बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित बैठक में बैंकों द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर रिज़र्व बैंक ने मार्गदर्शी सिद्धांतों का नया प्रारूप तैयार किया है ।

बैंकों और अन्यों से प्राप्त प्रतिसूचना (फीड बैक) के आधार पर ईक्विटी और शेयरों में निवेश के बैंक वित्तपोषण पर मार्गदर्शी-सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया है। ये इस प्रकार हैं :

ईक्विटी का बैंक वित्तपोषण

(i) सार्वजनिक प्रारंभिक प्रस्तावों का वित्तपोषण (आइपीओ)

(क) सार्वजनिक प्रारंभिक प्रस्तावों के वित्तपोषण (आइपीओ) को एकल व्यक्तियों के शेयरों की जमानत पर दिए जानेवाले अग्रिमों के रूप में माना जाना चाहिए।

तदनुसार, बैंक केवल एकल व्यक्तियों को, सार्वजनिक प्रारंभिक प्रस्तावों के वित्तपोषण (आइपीओ) के संबंध में अभिदान करने हेतु अग्रिम की मंजूरी दे सकते हैं। सार्वजनिक प्रारंभिक प्रस्तावों के आधार पर एकल व्यक्ति को दी जानेवाली वित्त की अधिकतम राशि 10 लाख रुपये होनी चाहिए जैसा कि वास्तविक शेयरों पर अग्रिमों हेतु लागू है। बैंकों द्वारा कंपनियों को अन्य कंपनियों के जनता को सार्वजनिक प्रारंभिक प्रस्ताव जारी करने में निवेश हेतु ऋण नहीं दिया जाना चाहिए। इसी तरह, बैंकों द्वारा सार्वजनिक प्रारंभिक प्रस्ताव (आइपीओ) जारी करने हेतु एकल व्यक्तियों को और उधार देने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा वित्त उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए ।

(ख) बैंक द्वारा सार्वजनिक प्रारंभिक प्रस्तावों के लिए दिये गये वित्त को पूंजी बाज़ार के निवेश के रूप में गिनना चाहिए ।

(ii) दलालों की ओर से गारंटियां जारी करना

बैंकों द्वारा शेयर दलालों की ओर से गारंटियां जारी करने के लिए नकदी सीमा सहित 25 प्रतिशत की न्यूनतम मार्जिन प्राप्त की जानी चाहिए । बैंक अपने विवेकाधिकार से अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार 25 प्रतिशत से उच्चतर मार्जिन प्राप्त कर सकते हैं ।

(iii) कुल निवेश

बैंक के निदेशक मंडल अपनी समग्र जोखिम रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए पूंजी बाज़ार में बैंक के कुल निवेश पर विवेकसम्मत सीमा निर्धारित कर सकते हैं। प्रत्येक बैंक के बोर्ड (मंडल) को अपनी समग्र जोखिम प्रबंध नीति को ध्यान में रखते हुए या तो प्राथमिक या अनुषंगी बाज़ार अथवा `बुक बिल्डिंग' मार्ग के जरिए एक विशिष्ट कंपनी पर निवेश का विचार करना चाहिए। तथापि, बैंक के निवेश को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19(2) और (3) तथा 20(1)(क) में निहित कंपनी की शेयर धारिता के साथ ही रिज़र्व बैंक द्वारा नियत किये गये एकल उधारकर्ता और उधारकर्ता समूह संबंधी निवेश मानदंडों के बारे में सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। निम्नलिखित को पूंजी बाज़ार के लिए बैंक के कुल निवेश की गणना करने हेतु छोड़ दिया जाए ।

(क) शेयरों की समर्थक प्रतिभूति पर अग्रिम ।

(ख) शेयरों की जमानत पर शिक्षण, आवास, उपभोग, आदि जैसे व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए एकल व्यक्तियों को अग्रिम।

(ग) वाणिज्यिक पत्र, अपरिवर्तनीय डिबेंचर, आदि जैसे ऋण प्रतिस्थापन को पूंजी बाज़ार के प्रति बैंक का निवेश पाने के लिए ऋण संविभाग के एक भाग के रूप में नहीं गिना जाए।

शेयरों और डिबेंचरों में बैंक का निवेश

(i) बैंक इस समय पिछले वर्ष की वर्धमान जमाराशियों के 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अधीन कंपनियों के शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ईक्विटी अभिमुखी म्युच्यूअल फंडों के यूनिटों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की तकनीकी समिति ने यह सिफारिश की कि बैंकों के शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों में निवेश आदि के लिए निर्धारित उच्चतम सीमा बकाया अग्रिमों से संबधित होनी चाहिए, न कि पिछले वर्ष की वर्धमान जमाराशियों से। अतः, यह निर्णय लिया गया है कि संवेदनशील क्षेत्रों के लिए समग्र निवेश के भीतर, शेयरों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और म्युच्यूअल फंडों (कर्ज निधियों को छोड़कर) के यूनिटों में निवेश के रूप में पूंजी बाज़ार के लिए बैंक का कुल निवेश बैंक के पिछले वर्ष के 31 मार्च को यथाविद्यमान कुल बकाया ऋण के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शेयरों आदि में निवेश के लिए उच्चतम सीमाएं अधिकतम अनुमत सीमाएं हैं और किसी बैंक के निदेशक मंडल बैंक की समग्र जोखिम रूपरेखा और ईक्विटी मूल्यों में अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग बैंक के लिए न्यूनतर उच्चतम सीमा स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। ऐसे बैंकों के संबंध में जिनका ईक्विटियों में वर्तमान बकाया निवेश कम है और समग्र उच्चतम सीमा से 5 प्रतिशत से भी कम है, यथोचित उपाय के रूप में बोर्ड, ईक्विटियों में नये निवेश के लिए वार्षिक उच्चतम सीमा भी तैयार करें ताकि ईक्विटियों के नये निवेशों में कोई भी वृद्धि हर वर्ष बोर्ड द्वारा नियत की गयी अंतिम उच्चतम सीमा के भीतर ही क्रमिक, उत्तरोत्तर और सावधानीपूर्वक ढंग से हो।

(ii) बैंक, सीधे ही अथवा भारतीय यूनिट ट्रस्ट और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमोदित अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाले अन्य विविध म्युच्यूअल फंडों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं। भारतीय यूनिट ट्रस्ट/म्युच्यूअल फंडों में निवेश, बैंक में उपलब्ध आंतरिक विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार होगा। यह परामर्श दिया जाता है कि शेयरों आदि में निवेश के बारे में जो भी निर्णय हो, वह बैंक द्वारा गठित निवेश समिति में किया जाना चाहिए।

(iii) बैंकों द्वारा बुक बिल्डिंग मार्ग के जरिए प्राथमिक शेयर निर्गम के संबंध में लिया गया हामीदारी वायदा उक्त मानदंडों के भीतर ही होगा।

(iv) प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए कंपनियों को मंजूर किया गया ऋण और कंपनियों को अपेक्षित ईक्विटी उपलब्धि/शेयर निर्गमों पर एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए मंजूर किया गया तात्कालिक ऋण, अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की अपेक्षित आय, बाहरी वाणिज्यिक उधार, वैश्विक निक्षेपागार रसीद और/अथवा विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों के रूप में निधियां, (जो अब पिछले वर्ष की वर्धमान जमाराशियों के 5 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के भीतर होती है) भी उक्त समग्र उच्चतम सीमा के भीतर ही जारी रहेंगी ।

(v) शेयरों, डिबेंचरों आदि में निवेशों पर जो भी निर्णय हो वह असंतुलन के अनुमत छूट स्तरों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बैंक के बोर्ड/परिसंपत्ति देयता समिति (एएलसीओ) द्वारा लिया जाए। ऐसे निवेशों की मात्रा और अवधि का निर्णय प्रत्येक बैंक के बोर्ड द्वारा किया जाए।

(vi) ऐसे बैंक जिनका शेयरों आदि में निवेश अब 31 मार्च 2000 को बकाया ऋण के 5 प्रतिशत से अधिक है, उनके निवेशों को 31 मार्च 2001 तक इस विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप करने के लिए क्रमिक रूप से नीचे लाया जाए।

मूल्यांकन और प्रकटीकरण

बैंकों द्वारा ईक्विटियों में अपने निवेश संविभाग को अन्य निवेशों की तरह `मार्क-टू-मार्केट' तिमाही आधार पर किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा मार्च 2001 को समाप्त होनेवाले वर्ष से अपने तुलन-पत्र के साथ `लेखा पर टिप्पणी' में शेयरों, परिवर्तनीय शेयरों और ईक्विटी अभिमुख म्युच्यूअल फंड के यूनिटों में किये गये कुल निवेश साथ ही, शेयरों आदि पर दिये गये कुल अग्रिमों को भी प्रकट किया जाना चाहिए।

दिशानिर्देशों की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थायी तकनीकी समिति, परिचालनगत व्यवस्था और प्राप्त किये गये अनुभव को ध्यान में रखते हुए बैंकों की राय लेकर छह महीनों के बाद मार्गदर्शी सिद्धांतों की समीक्षा करेगी। वास्तविक अनुभव के प्रकाश में यदि कोई परिवर्तन की आवश्यकता हो तो समिति भारतीय रिज़र्व बैंक को उचित सिफारिशें करेगी।

(स्रोत : क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू के अक्तूबर 2000 अंक से साभार)

मौद्रिक प्रबंध

मौद्रिक नीति ने मूल्य स्थिरता का अनुसरण करने एवं अर्थव्यवस्था में उत्पादक कार्यकलापों के लिए ऋण की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के दोनों लक्ष्यों पर बल देना जारी रखा है। ये लक्ष्य बुनियादी केवल इसलिए ही नहीं कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप हैं, बल्कि इसलिए भी हैं कि वे देश की आर्थिक प्राथमिकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं।

फिर भी, इसका अर्थ यह नहीं है कि मौद्रिक नीति का परिवेश और मौद्रिक नीति का संचालन अपरिवर्तित रह गये हैं। वास्तव में 1990 के बाद के दशक में दुनिया भर में इनमें परिवर्तन हुआ है तथा भारत भी इसका अपवाद नहीं है। विश्लेषण के तौर पर परिचालनगत प्रक्रियाओं और मौद्रिक नीति के साधन ज्यादातर संस्थागत बुनियादी संरचना और व्यवस्था के स्वरूप और गहराई, एवं बैंकिंग क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के स्तरों और प्रणालियों तथा साथ ही अर्थव्यवस्था द्वारा झेले जा रहे अविनियमन और सार्वभौमीकरण के परिणाम द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। इन तत्वों ने पिछले 8 वर्षों में भारतीय वित्तीय परिदृश्य का रूपांतरण करने में प्रमुख भूमिका अदा की है।

भारत में मौद्रिक प्रबंध को संचालित करने हेतु लचीलेपन की पहचान और उसका सुदृढ़ीकरण, मुद्रा आपूर्ति संबंधी रिज़र्व बैंक के कार्यदल (1998) के विश्लेषणात्मक कार्य द्वारा किया गया था। उक्त कार्यदल ने सूचित किया कि केवल मुद्रा की मांग के अनुमानों द्वारा निर्धारित मौद्रिक लक्ष्यों पर ही पूर्णतः आधारित मौद्रिक नीति में यथार्थता का अभाव हो सकता है क्योंकि एक ओर जहां मुद्रा की मांग के कार्य ने मानदंड संबंधी स्थिरता दर्शायी है, वहीं दूसरी ओर पूर्वानुमानिक स्थिरता कम निश्चित थी। ब्याज दरों जैसे दर परिवर्तियों (वेरियबल्स) के क्रमशः वित्तीय गतिविधियों और आर्थिक सक्रियता के प्रति उनकी संवेदनशीलता के साथ उभरना मात्रात्मक परिवर्तियों के सूचना तत्व का कारण बना। इस प्रकार मात्रात्मक परिवर्तियों सहित दर परिवर्तियों के संबंध में यह आवश्यक होगा कि प्रबंध के लक्ष्यों को अनुकूलतम बनाने के लिए बहुविध संकेतकों के ढांचे में इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, दर परिवर्ती तब तक मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण के लिए स्थानापन्न के रूप में कार्य कर सकती है, जब तक नीति की संप्रेषण प्रक्रिया तंत्र की दर सरणि एक सुदृढ़ और विश्वसनीय सरणि के रूप में विकसित नहीं हो जाती है। इस प्रकार के परिणाम के लिए आवश्यक है कि कुछ शर्तें पूरी की जाएं अर्थात् समष्टिगत आर्थिक प्रक्रियाओं में राजकोषीय प्रमुखता तथा राजकोषीय और आंतरिक ऋण प्रबंध के बीच संबंध को दूर करना, एवं वित्तीय बाज़ारों का पूर्ण समेकन।

यह समझना चाहिए कि दर सरणि का कुशलतापूर्वक कार्य करना सदैव वरदान नहीं होता। उदाहरण के लिए सर्वाधिक औद्योगीकृत देशों में मौद्रिक नीति निर्माण 1990 के बाद के दशक में जटिल बन गया है जो मुख्य रूप से वित्तीय बाज़ार समेकन और दरों के प्रति बाज़ार की संवेदनशीलता के कारण है जिससे इस प्रक्रिया में ऐसे अनुमान उत्पन्न हुए हैं जो अंततः अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अंतिम सूचना के अनुरूप न हों। अल्प अवधि में प्राधिकारी नीतिगत उलझनों के शिकार होते हैं क्योंकि बाज़ार की स्थितियां बदलती हैं और `नयी सूचना' का प्रसार होता है। मौद्रिक प्राधिकारी किसी मुद्रास्फीति लक्ष्य या किसी विनिमय दर लक्ष्य जैसे सांकेतिक आश्रय की घोषणा कर सकते हैं, परंतु फिर भी उन्हें एक परिचालनात्मक `कार्यान्वयन सहायता' प्राप्त करने की आवश्यकता होगी, जिसका बारंबार समायोजन किया जा सके। अतः सही मायने में मौद्रिक नीति का पूर्व निर्धारण नहीं किया जा सकता तथा उसे उभरती हुई परिस्थितियों और नये सूचना प्रवाहों के प्रति प्रतिक्रिया दिखानी होती है (अगले पृष्ठ पर दिया गया बाक्स देखें)। इससे यह स्पष्ट होता है कि ब्याज दर जिसका उपयोग अमरीका और यूरो क्षेत्र में नीतिगत कार्यान्वयन के लिए एक परिचालनात्मक सहायता के रूप में किया गया था, को पिछले 18-20 महीनों में कई बार परिवर्तित किया गया है ।

उदाहरण के लिए अमरीका में ब्याज दरें 1998 में अपेक्षाकृत निम्न थीं, परंतु 1999 में और अब तक 2000 में ब्याज दरों को अल्प परिणाम में क्रमिक रूप से बढ़ाया गया है, ताकि बढ़ते हुए बाह्य चालू खाता घाटे और अर्थव्यवस्था में अत्यधिक मांग की स्थिति का सामना किया जा सके। ब्याज दरों में क्रमिक ऊर्ध्वमुखी वृद्धि से प्रत्याशा में अचानक परिवर्तन नहीं आता है तथा नीति संचालन की अनिश्चितता से आर्थिक विश्वास कमजोर नहीं होता है। दूसरी ओर, यूरो क्षेत्र वाले देशों ने अपने-अपने देशों की नीति के विरुद्ध जाकर समन्वित रूप से दिसंबर 1998 में ब्याज दर में कटौती की। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से 1 जनवरी 1999 से यूरो लागू होने और परवर्ती विनिमय दर के विकास से संबंधित अज्ञात स्थिति के लिए तैयार होना था। फरवरी 2000 से इन देशों ने तेल कीमतों में घटबढ़, यूरो विनिमय दरों में परिवर्तन तथा यूरो क्षेत्र के देशों की वृद्धि दरों के

मौद्रिक नीति अतीत की उन पद्धतियों से काफी आगे निकल आयी है, जिनमें दो पैमाने निर्धारित किये जाते थे, नामतः बैंकों की जमाराशियों या मांग जमाराशियों पर प्रारक्षित नकदी निधि अपेक्षाएं तथा बैंक दर अथवा केन्द्रीय बैंक से बैंकों द्वारा लिये गये उधार पर रियायती दर। इन दो पैमानों के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति या आधारभूत मुद्रा वृद्धि जैसे मध्यवर्ती लक्ष्य को प्रभावित किया जाता था। वित्तीय नवोन्मेष के उदय, नीतिगत प्रणालियां और विनियमावली में परिवर्तन, बैंकिंग संस्थाओं की संरचना में परिवर्तन के साथ अनेक औद्योगिक देशों में मौद्रिक लक्ष्य निर्धारण छोड़ दिया गया है। वर्तमान में अनेक औद्योगिक देशों और उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण सांकेतिक धुरी या नीति के रूप में औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है तथा आधिकारिक अल्पावधि ब्याज दरों के जरिये अर्थव्यवस्था की सांकेतिक मांग को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, जिसका अंतिम लक्ष्य, मुद्रास्फीति, वर्तमान और प्रत्याशित, दोनों से संबद्ध है।

वस्तुतः पूर्वनिर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य मौद्रिक नीति संचालन का एकमात्र पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो तो नीति निर्माता इस दुविधा में रहेगा क्या उसे अप्रत्याशित घटनाओं या आघातों के प्रति अवधि बीत जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। वस्तुतः सभी औद्योगिक देशों में नीति निर्माता अप्रत्याशित परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। इसका कारण यह है कि कोई भी नीति निर्माता विश्वासपूर्वक यह दावा नहीं कर सकता कि अधिकृत दर या यहां तक कि अल्पावधिक मुद्रा बाज़ार दर इष्टतम दर है। अधिक से अधिक नीति निर्माता यही कर सकता है कि अनिश्चित स्थितियों और विलम्ब संरचना को देखते हुए ब्याज दर पथ को समय बीतने के साथ-साथ इष्टतम बनाये रखे। इसका निहितार्थ यह है कि वास्तविक इष्टतम या साम्य दर से विचलन यथासंभव न्यूनतम होगा और उसमें तुरंत सुधार किया जा सकेगा । अक्सर इस पर विचार किया जाता है कि अल्प परिमाण में परिवर्तन प्रत्याशा पथ को सुस्थिर रखने में मदद करेगा। अतः मौद्रिक प्राधिकारियों को अनियंत्रित विवेक या यांत्रिक नीतिगत नियमों के बजाए नियंत्रित विवेकाधिकार की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि `नियंत्रित विवेकाधिकार' दृष्टिकोण की बाज़ार में अधिक विश्वसनीयता होगी, क्योंकि विवेकाधीन नीति ने अतीत में उच्च मुद्रास्फीति घटबढ़ उत्पन्न की थी और उन कठोर नियमों का सभी प्रकार की आर्थिक परिस्थितियों में अनुसरण नहीं किया जा सकता।

संबंध में अनिश्चित संभावनाओं को देखते हुए प्रतिबंधक नीति अपनायी है।

भारतीय संदर्भ में बाज़ार ब्याज दरों में हाल के वर्षों की घटबढ़ यह दर्शाती है कि (क) ब्याज दर नमनीयता में वृद्धि के साथ बाज़ार विस्तृत हुआ है, और (ख) वित्तीय क्षेत्र सुधार और समग्र आर्थिक उदारीकरण के साथ बाज़ार आपस में जुड़ जायेंगे। बाज़ार ब्याज दरें 1998-99 की तुलना में 1999-2000 में सांकेतिक रूप में न्यूनतम थीं, हालांकि इस वर्ष बाज़ार से सरकार द्वारा लिये गये उधार के परिणाम में वृद्धि हुई थी। 1999-2000 के अधिकांश हिस्से में अधिकतम मुद्रास्फीति दर पिछले पांच वर्षों की समग्र प्रवृत्ति से न्यूनतम थी। इससे वास्तविक ब्याज दरों में वृद्धि हुई और अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह बढ़ा। इसके फलस्वरूप चलनिधि स्थिति में जो सुधार हुआ, उससे ऋण की बढ़ी हुई मांग और सरकारी तथा कंपनी क्षेत्र के वित्तपोषण की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकी।

इस स्थिति के बावजूद, 2000-2001 की पहली तिमाही की समाप्ति के साथ यह स्पष्ट हो गया कि औद्योगिक देशों द्वारा ब्याज दरों में की गयी उत्तरोत्तर वृद्धि, तेल की कीमतों में निरंतर अनिश्चितता, मुख्यतया प्रशासित मूल्यवृद्धि के कारण देशी मुद्रास्फीति दर में वृद्धि और पूंजी बाज़ार में व्यापक मंदी के कारण भारत में मौद्रिक प्रबंध के समक्ष गंभीर चुनौती आएगी। भुगतान बाध्यताओं, खासकर तेल आयात बिल से उत्पन्न बढ़ती मांग के साथ-साथ भारतीय और विदेशी बाज़ारों में ब्याज दर अंतर कम रह जाने के कारण विदेशी मुद्रा बाज़ार पर दबाव पड़ा है। इससे निवेशकों को पर्याप्त रूप से तरल मुद्रा बाज़ार से उधार लेकर विदेशी मुद्रा बाज़ार में परिचालन कर अंतरपणन (अरबिट्रेज) के अवसरों को रोकने के साथ-साथ अंतर्वाहों में `अग्रता और पश्चता' के प्रभाव को कम करने के लिए रिज़र्व बैंक को चलनिधि की स्थिति कठोर बनानी पड़ी। रिज़र्व बैंक देशी और विदेशी दोनों ही बाज़ारों की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखेगा और यथावश्यक कार्रवाई करेगा।

इस पृष्ठभूमि में जून 2000 से आरंभ की गयी पुनर्खरीद नीलामी सहित चलनिधि समायोजन सुविधा का महत्व बढ़ गया है। यह सुविधा चलनिधि के प्रबंध में और दर परिवर्ती को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण परिचालनात्मक सहायता देगी। इसकी प्रभावोत्पादकता के संबंध में टिप्पणी करने का समय नहीं आया है, परंतु बाज़ार एकीकरण में और वृद्धि तथा पुनर्वित्त सुविधा की क्रमिक समाप्ति के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा का प्रभाव और निश्चित तथा स्पष्ट हो जायेगा। अधिकांश संकेतों से यह पहले ही स्पष्ट हो चुका है कि चलनिधि समायोजन सुविधा के कारण बाज़ार प्रतिभागी चलनिधि स्थिति का बेहतर मूल्यांकन कर पा रहे हैं तथा इससे ब्याज दरें बाज़ार की वास्तविकता के अनुरूप क्रमिक रूप से समायोजित हो रही हैं।

(स्रोत : रिज़र्व बैंक न्यूज़ लेटर के 30 सितंबर, 2000 अंक से साभार)

विशिष्ट जानकारी

*बैंकिंग विषयों पर मौलिक रूप से हिंदी में पुस्तक लेखन योजना के अंतर्गत लिखी और प्रकाशित पुस्तकों की जानकारी**

प्रकाशित पुस्तकें

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक	संस्करण
1.	बैंक ऋण वसूली प्रबंध - विविध आयाम	श्री श्यामलाल गौड़ और डॉ. दलसिंगार यादव, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे	हिमालय पब्लिशिंग हाउस, भालेराव मार्ग, केलेवाडी, गिरगांव, मुंबई 400 001 मूल्य 190 रु.	1994
2.	बैंकिंग सेवाओं का विपणन बैंक शाखा के संदर्भ में	श्री देवज्योति घोषराय, बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्र कोरेगांव पार्क, पुणे	बीडीपी पब्लिशर्स, विक्रय केन्द्र, 6, उमा अपार्टमेंट्स, 88/1/1, कोहिनूर कालोनी सहाकारनगर 2, पुणे 9. मूल्य 190 रु.	मई 1995
3.	बैंक शाखा प्रबंध-एक मार्गदर्शिका	-वही-	-वही- मूल्य 275 रु.	1996
4.	विकासमान बैंकिंग और ग्रामीण विकास (राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पुस्तक)	श्री श्यामलाल गौड़ कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे	हिमालय पब्लिशिंग हाउस, भालेराव मार्ग, केलेवाडी, गिरगांव, मुंबई 400 001 मूल्य 250 रु.	1996
5.	बैंकों में धोखाधड़ी सावधानियाँ और बचाव के उपाय	-वही	-वही- मूल्य 250 रु.	1997
6.	बैंकों में ग्राहक सेवा - उपभोक्ता संरक्षण व लोकपाल	-वही-	-वही- मूल्य 175 रु.	1997
7.	कृषितर ग्रामीण ऋण और बैंकों की भूमिका	डॉ. जयंतीप्रसाद नौटियाल, कार्पोरेशन बैंक	-वही- मूल्य 250 रु.	1997
8.	नवोन्मेष बैंकिंग - स्वरूप एवं चुनौती	श्री रामकिशन गुप्त सहायक मुख्य अधिकारी यूको बैंक, अंचल कार्यालय नई दिल्ली 110001	शारदा प्रकाशन (एफ) 3/16, अन्सारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली मूल्य 150 रु.	1996
9.	बैंकिंग सिद्धांत एवं व्यवहार	श्री एम. एल. पाल इलाहाबाद बैंक	साहित्य सदन, 71/171 सुतारखाना, कानपुर 208001 मूल्य 90 रु.	1997

* प्रशिक्षण समन्वय समिति, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे से उपलब्ध जानकारी

क्र.सं.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	प्रकाशक	संस्करण
10.	बैंकिंग क्षेत्र में आय निर्धारण, आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधानीकरण	श्री डी. पी. सारडा मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर	गोविंद प्रकाशन, 37, नटराज नगर, टोंक फाटक, जयपुर 302015. मूल्य 65 रु.	1997
11.	कंप्यूटर कौमुदी	डॉ. दलसिंगार यादव, भारतीय रिज़र्व बैंक, कानपुर	बीडीपी पब्लिशर्स ई-9-10, मनीषा पार्क, फेज-3, कोंढवे खुर्द, पुणे 411048 मूल्य 250 रु.	1998
12.	बैंक शाखा में मानव प्रबंध	श्री देवज्योति घोषराय बैंक ऑफ इंडिया	बीडीपी पब्लिशर्स ई-9-10, मनीषा पार्क, फेज-3, कोंढवे खुर्द, पुणे 411048 मूल्य 325 रु.	1998
13.	बैंक सेवाओं की मार्केटिंग	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, पंजाब नेशनल बैंक	पंजाब नेशनल बैंक विस्तार पटल, बीकानेर कैंट, शाखा रानी बाज़ार, बीकानेर फोन - 544 206, 701 25 90. मूल्य 165 रु.	1998
14.	बैंक ऋण वसूली कानूनी पहलू - कानूनी कार्रवाई की विधि	श्री आलोककुमार मिश्रा बैंक ऑफ बड़ौदा	विनोद डावरा, विनोद लॉ पब्लिकेशन, के 754, आशियाना कॉलनी, लखनऊ - 226 012 मूल्य 495 रु.	1998
15.	कृषि परियोजना ऋण विधि एवं व्यवहार	श्री श्यामलाल गौड, भारतीय रिज़र्व बैंक	हिमालया पब्लिशिंग हाऊस रामदूत, डॉ. भालेराव मार्ग, गिरगांव, मुंबई - 400 004. मूल्य 240 रु.	2000
16.	बैंकिंग और आर्थिक चिंतन के नए आयाम	डॉ. रामप्रकाश सिंहल भारतीय रिज़र्व बैंक	राष्ट्रीय सेल्स एजेंसीज़, 9 बी, सहकार नगर, सी शिल्प कॉलोनी, झोटवाडा, जयपुर - 302 012 मूल्य 300 रु.	2000
17.	कृषि बैंकिंग	श्री रमेशचंद्र कालडा, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	श्री रमेशचंद्र कालडा, प्रबंधक, गणक विभाग केंद्रीय अंचल स्टेट बैंक ऑफ मैसूर केम्पगौडा मार्ग बंगलूर - 560 009. मूल्य 250 रु.	2000

महत्वपूर्ण परिपत्र

लघु उद्योग क्षेत्र हेतु ऋण प्रवाह– विशिष्ट लघु उद्योग शाखाएं खोलना

कृपया दिनांक 27 मार्च 2000 का अपना परिपत्र ग्राआऋवि.पीएलएनएफएस.सं.बीसी. 73/06.02.31/99-2000 देखें, जिसमें सभी जिलों के अग्रणी बैंकों को यह सूचित किया गया था कि वे अपने-अपने जिलों और जिलों के भीतर समूहों में नयी शाखाएं खोलकर अथवा विद्यमान शाखाओं को परिवर्तित कर विशिष्ट लघु उद्योग शाखाओं के परिचालन हेतु उपाय करें । प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंक को कहा गया है कि वे राज्य में विशिष्ट लघु उद्योग शाखाओं की परिचालन प्रगति पर निगरानी रखें तथा तिमाही अंतरालों पर ग्राआऋवि के हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रगति रिपोर्ट भिजवाते रहें ।

2. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने यह अपेक्षा की है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक प्रत्येक जिले और समूहों में विशिष्ट लघु उद्योग शाखाएं खोलने संबंधी प्रक्रिया 31 दिसंबर 2000 तक पूरी कर लें । अतः अनुरोध है कि आप 31 दिसंबर 2000 तक इन शाखाओं के परिचालन के संबंध में हर संभव उपाय करें ।

3. इस बीच, हमारी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य स्तरीय बैंकर समिति के **संयोजक बैंक** प्रत्येक राज्य में विभिन्न बैंकों को आबंटित जिलों और केंद्रों की सूची तत्काल भिजवायें ।

(संदर्भ : ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस. सं. बीसी. 98/06.02.31/99-2000 दिनांक : 1 जून 2000)

सरकारी खातों का रखरखाव–विलंबित विप्रेषणों और बेशी / दोहरी प्रतिपूर्ति पर दण्डात्मक ब्याज

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 5 जुलाई 2000 का हमारा परिपत्र संख्या सबैंलेवि.जीएडी. संख्या 3/42.01.011/2000-01 देखें । महालेखा नियंत्रक के परामर्श से अब यह निर्णय किया गया है कि विलंबित विप्रेषणों और बेशी/दोहरी प्रतिपूर्ति पर लगाए जानेवाले ब्याज की दर बैंक दर में संशोधन होने और 22 जुलाई 2000 से इसके प्रभावी होने के कारण 1 अगस्त 2000 से, अगले आदेश मिलने तक, पहले सूचित किये गये अनुसार 9% (7% + 2%) की बजाए 10% (8% + 2%) होगी । अतः आप कृपया विद्यमान अनुदेशों में आवश्यक संशोधन करें ।

(संदर्भ : सबैंलेवि.जीएडी.संख्या. 153/42.01.011/2000-2001 दिनांक : 19 अगस्त 2000)

मृतक ग्राहकों के खातों की शेष राशियों का उनके उत्तरजीवियों/दावेदारों को भुगतान

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 21 अक्तूबर 1987 के हमारे परिपत्र शबैंवि.सं.बीआर.483/बी-1/87-88 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें बैंकों को सूचित किया गया था कि यदि मृतक जमाकर्ता के खाते में शेष राशि रु. 25,000/- से अधिक न हो, तो मृतक के **वैध उत्तराधिकारियों** से उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का आग्रह न किया जाए। अब यह निर्णय लिया गया है कि मृतक के वैध उत्तराधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का आग्रह करने की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त कर दी जाए, भले ही उसके खाते में कितनी भी राशि शेष क्यों न हो। तथापि, बैंकों को दावों का निपटान करते समय क्षतिपूर्ति-बांड लेने सहित ऐसे सुरक्षा उपाय अवश्य करने चाहिए जिन्हें वे ठीक समझें ।

(संदर्भ : बीआर./परि/3/16.48.00/2000-2001 दिनांक : 25 अगस्त 2000)

मीयादी जमा राशियों पर देय ब्याज में से स्रोत पर कर–कटौती

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28 अगस्त 1999 के हमारे परिपत्र सं.शबैंवि.डीएस.आरओसी.सं.2/13.01.00/1999-2000 का अवलोकन करें ।

2. हमारे संदर्भाधीन पत्रों के अनुसार हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राथमिक सहकारी बैंकों को परिपत्र जारी किये जाने के बाद हमें बैंकों/क्षेत्रीय कार्यालयों से कई पत्र प्राप्त हुए जिनमें यह बताया गया था कि धारा 194 के **परंतुक** अर्थात्, धारा 194 (ए) 3 (वी) के अनुसार स्रोत पर कर-कटौती की आवश्यकता सहकारी बैंक के सदस्यों जिनमें **सामान्य सदस्य** भी शामिल हैं, पर लागू नहीं होगी । कई बैंकों ने इस बारे में आयकर प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया था जिसमें उक्त स्थिति की पुष्टि की गई थी । अतः इससे यह प्रतीत होता है कि आयकर अधिनियम के विद्यमान **उपबंधों** के अनुसार प्राथमिक सहकारी बैंकों के लिए यह उचित होगा कि वे सदस्यों (जिसमें सामान्य सदस्य शामिल हैं) अथवा अन्य किसी सहकारी समिति से प्राप्त जमाराशियों पर देय ब्याज से आयकर की कटौती नहीं करें। हां, गैर-सदस्यों को देय ब्याज से कर-कटौती करनी होगी ।

3. इस मामले की केंद्रीय कार्यालय में जांच की गयी । चूंकि यह मामला आयकर अधिनियम के उपबंधों से छूट देने से संबंधित है, अतः प्राथमिक सहकारी बैंकों को परिपत्र जारी

करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । यदि इस मामले में कोई विशिष्ट पत्रादि प्राप्त हुआ हो, तो बैंकों को यह सूचित किया जा सकता है कि वे इस बारे में आयकर प्राधिकारियों/अपने कर परामर्शदाताओं से पूछ कर स्वयं को संतुष्ट कर लें कि ऐसी कोई कर छूट उपलब्ध है या नहीं ।

(संदर्भ : शबैंवि.डीएस.आरओसी 8/13.01.00/2000-2001 दिनांक : 31 अगस्त 2000)

राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष, मुंबई में समाशोधन के लिये प्रस्तुत डिमांड ड्राफ्टों के मामलों में अस्वीकृति की ऊंची मात्रा

हमारे राष्ट्रीय समाशोधन कक्ष में समाशोधन के लिये प्रस्तुत माइकर लिखतों की अस्वीकृति की ऊंची मात्रा को कम करने की दृष्टि से मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने अस्वीकृत लिखतों का विश्लेषण किया, जिससे यह पता चला कि बैंक ड्राफ्ट की औसत अस्वीकृति की मात्रा जो कि 4 प्रतिशत है अन्य लिखतों की 1.7 प्रतिशत की तुलना में ऊंची है । विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि ड्राफ्ट की अस्वीकृति की ऊंची मात्रा के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं–

1. सोर्ट कोड का न होना
2. सोर्ट कोड का आंशिक पूर्व मुद्रण (पार्शियल प्रि प्रिंटिंग)
3. गैर माइकर ड्राफ्ट

हम मानते हैं कि आपका बैंक केन्द्रीय रूप से बैंक ड्राफ्टों का मुद्रण करवाता है और ग्राहकों को जारी करने के लिये उसकी आपूर्ति विभिन्न शाखाओं को करता है । कृपया बैंक ड्राफ्टों की अस्वीकृति को यथासंभव कम करने के लिये बैंक ड्राफ्टों के मुद्रण के समय पूरी सावधानी बरतें ।

(संदर्भ : शबैंवि डीएस. 5/13.05.00/2000-2001 दिनांक : 19 सितंबर 2000)

रोकथाम संबंधी सतर्कता – पुस्तिका (हैंडबुक)/ समाचार पत्र आदि प्रकाशित करना

केंद्रीय सतर्कता आयोग, भारत सरकार ने हमें सूचित किया है कि वे भ्रष्टाचार का सामना करने के लिए विभिन्न प्रकार के निवारक उपाय कर रहे हैं । उनमें से एक उपाय जिसे आयोग ने कारगर पाया है, वह है बैंकिंग संस्थानों द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम संबंधी सतर्कता पर आवधिक पुस्तिकाएं / बुलेटिन / समाचार पत्र प्रकाशित करना जिससे वे अपने कर्मचारियों में सतर्कता संबंधी **जागरुकता** पैदा कर सकें । अतः आप ऐसे क्षेत्रों/ विषयों पर, जिन्हें गंभीर समझते हैं, रोकथाम संबंधी सतर्कता पर आवधिक लेख/जानकारी प्रकाशित करने पर विचार करें ।

(संदर्भ : शबैंवि बीएसडी.1/6/12.05.00/2000-2001 दिनांक : 22 सितंबर 2000)

ज्ञापन पीईएम में संशोधन

यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित पैरा में बताये गये अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमावली में संशोधन/ आशोधन किये जायें–

1. बोली-पूर्व निकासी

ज्ञापन पीईएम के पैरा बी 6(i)(ए) तथा (बी) के अनुसार विदेश में आस्थगित भुगतान आपूर्ति **ठेका**, टर्न की परियोजनाओं और सिविल निर्माण ठेकों के लिए बोली पेश करने का इरादा रखनेवाले निर्यातकों को प्राधिकृत व्यापारी/ एक्ज़िम बैंक **कार्यदल** से ऐसी बोलियाँ पेश करने से पहले प्रस्तावों का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा । इसके अलावा ज्ञापन पीईएम के पैरा सी 2 के अनुसार उसमें यथाविनिर्दिष्ट सेवा ठेकों के लिए प्राधिकृत व्यापारी/एक्ज़िम बैंक/कार्यदल जो भी मामला हो, बोली-पूर्व स्थिति में पूर्व निकासी की आवश्यकता है ।

अब यह निर्णय लिया गया है कि बोली-पूर्व स्थिति में परियोजना निर्यात प्रस्तावों (सेवा ठेका प्रस्तावों को शामिल) के निकासी की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाये । अतः विदेश में सेवा ठेकों में शामिल परियोजनाओं के निष्पादन हेतु बोलियाँ पेश करने के इच्छुक निर्यातकों को अब प्राधिकृत व्यापारी/एक्ज़िम बैंक/कार्यदल से बोलियाँ पेश करने के लिए निकासी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि निर्यातकों को, ऐसे मामलों में, उनके अपने हित में, यह सुनिश्चित करना होगा कि बोलियाँ पेश करने के लिए ज्ञापन पीईएम में दी गई शर्तों का अनुपालन किया गया हो ।

2. तात्कालिक ऋण

ज्ञापन पीईएम के पैरा बी 5(जी) के अनुसार टर्न की परियोजनाओं और सिविल निर्माण ठेकों के संबंध में कार्यकारी पूंजी में अस्थायी कमी को पूरा करने हेतु तात्कालिक वित्त का अनुमोदन प्राधिकृत व्यापारी/एक्ज़िम बैंक द्वारा किया गया हो बशर्ते कि अपेक्षित वित्त ठेका मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है । अब यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी/एक्ज़िम बैंक परियोजना निर्यात प्रस्तावों को (सेवा ठेका प्रस्तावों को शामिल) जिसमें आस्थगित ठेका मूल्य के 25 प्रतिशत तक तात्कालिक वित्त लगी हुई है, पूरा करें ।

3. आस्थगित ऋण

ज्ञापन पीईएम के पैरा बी 6(बी)(iii) के अनुसार उन मामलों में जहाँ निर्यातक ज्ञापन पीईएम के अनुबंध 1 में निर्दिष्ट मालों के संबंध में वाणिज्य ऋण प्रस्ताव, जो एक वर्ष से अधिक नहीं, के लिए इच्छुक हैं, वहाँ प्राधिकृत व्यापारियों से अपेक्षित है कि वे प्रस्तावों को एक्ज़िम बैंक के पास जिन्हें ऐसे

आवेदनों के निपटान के लिए प्राधिकृत किया गया है, भेजें। अब यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारियों को भी ऐसे प्रस्तावों पर एक्ज़िम बैंक को भेजे बिना उन्हें स्वयं विचार करने के लिए अनुमति दी जाए।

4. भुगतान की शर्तों के लिए अनुमोदन

यह निर्णय लिया गया है कि ज्ञापन पीईएम के पैरा बी 7 (vi) में निर्धारित निम्न शर्त को हटा दिया जाये ``निर्यात के पश्चात अधिनिर्णय की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी/एक्ज़िम बैंक कार्यदल द्वारा प्रस्ताव पूरा किये जाने के पश्चात भुगतान की शर्तों के लिए रिज़र्व बैंक से अनुमोदन उन सभी मामलों में प्राप्त किया जाना चाहिए जहाँ प्रस्ताव का अनुमोदन करनेवाले प्राधिकारी ने ऐसा अनुमोदन रिज़र्व बैंक की ओर से सूचित किया है''।

5. एक से अधिक परियोजना के लिए एकल विदेशी मुद्रा खाता

ज्ञापन पीईएम के पैरा डी 1(i) के अनुसार परियोजना/सेवा निर्यातकों को प्राधिकृत व्यापारी/एक्ज़िम बैंक/कार्यदल, जो भी मामला हो, द्वारा लगायी गयी शर्तों के अधीन विदेशी मुद्रा खाता खोलने के लिए अनुमति दी गई है। ऐसे मामलों में निर्यातकों को प्रत्येक विदेशी ठेके के लिए स्वतंत्र विदेशी मुद्रा खाता रखना आवश्यक है। अब यह निर्णय लिया गया है कि निर्यातक को यदि वह चाहता है तो विदेश में उसी देश में निष्पादित होनेवाले एक से अधिक ठेके के लिए एकल विदेशी खाता रखने की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी/एक्ज़िम बैंक द्वारा लगाई जानेवाली शर्त के अधीन दी जाए। तथापि निर्यातक के लिए यह आवश्यक होगा कि वे परियोजनावार लेखों का विवरण सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित करते हुए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और साथ ही साथ परियोजनाओं पर निगरानी करनेवाले प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करें।

6. गौण देश खरीदता

ज्ञापन पीईएम के पैरा डी 2 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी द्विपक्षीय आधार पर गौण देश आपूर्तिकर्ताओं के हित में साख पत्र लिख सकते हैं बशर्ते कि राशियाँ जिसके लिए गौण देश आपूर्तिकर्ता के हित में भारत से खुला कर दिया जानेवाला ऋण उस राशि से अधिक नहीं हो जिसके लिए ऋण भारतीय निर्यातक के हित में परियोजना प्राधिकारी द्वारा खुला कर दिया गया है और ऋण की सूचना उसी प्राधिकृत व्यापारी के जरिए दी गई है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे साख पत्र उन्हीं नियमों और शर्तों के अधीन द्विपक्षीय आधार पर किसी भी प्राधिकृत व्यापारी द्वारा स्थापित किया गया है।

7. गारंटियाँ

ज्ञापन पीईएम के पैरा डी 7 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी/एक्ज़िम बैंक को उन मामलों में बोली बाण्डों/निविदा गारंटियों और अग्रिम अदायगी/निष्पादन गारंटियों को रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना देने की अनुमति दी गई जहाँ उन्हें विदेशों में लिए गए ठेकों के लिए बोलियाँ पेश करने हेतु निर्यातकों के प्रस्तावों के अनुमोदन करने के लिए अधिकार दिये गये हैं। अब यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारियों/एक्ज़िम बैंक/कार्यदल विदेश में परियोजनाओं / ठेकों के निष्पादन के संबंध में प्रस्तुत की जानेवाली अपेक्षित सभी प्रकार की गारंटी शामिल, विदेश में परियोजना निर्यात प्रस्तावों/सेवा ठेकों के अनुमोदन पर विचार करें।

8. संपर्क कार्यालय

वर्तमान में विदेशी संपर्क कार्यालयों को विदेश में परियोजना/सेवा निर्यात ठेकों के निष्पादन के संबंध में खोलने के लिए रिज़र्व बैंक से अनुमति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। अब यह निर्णय लिया गया है कि परियोजना निर्यातकों को विदेश में ठेकों के निष्पादन के संबंध में विदेश में अस्थायी संपर्क कार्यालय खोलने की अनुमति संबंधित निर्यात प्रस्ताव को अनुमोदन देनेवाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी जाए। तथापि संपर्क कार्यालय एक देश में एक तक ही मर्यादित होगा जहाँ एक से अधिक परियोजना निर्यात निष्पादित हैं।

9. प्रगति रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण

ज्ञापन पीईएम के पैरा बी 9 के अनुसार निर्यातकों को फार्म डीपीएक्स 5 में प्रगति रिपोर्ट तिमाही आधार पर कार्यदल के सभी सदस्यों को और रिज़र्व बैंक के संबंधित कार्यालय को उनके बैंकरों के जरिए प्रत्येक तिमाही की समाप्ति की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

अब यह निर्णय लिया गया है कि अब से फार्म डीपीएक्स 5 में प्रगति रिपोर्ट उक्त उल्लिखित प्राधिकारियों को अर्ध वार्षिक आधार पर संबंधित अर्ध वर्ष की समाप्ति की तिथि से एक माह के भीतर प्रस्तुत करें।

10. ज्ञापन पीईएम में संशोधनों को अलग से सूचित करेंगे। इस बीच प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करायें।

11. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 73(3) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और इसका किसी भी तरह से उल्लंघन किया जाना अथवा अनुपालन न किया जाना उक्त अधिनियम के अधीन निर्धारित जुर्माने से दंडनीय है।

(संदर्भ : एडी (एम ए सीरिज) परिपत्र सं.9 दिनांक : 5 मई 2000)

विदेशी मुद्रा अर्जक का विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता योजना

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 3 मई 2000 की रिज़र्व बैंक अधिसूचना सं.फेमा 10/2000/आरबी की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. ईईएफसी खाता योजना का प्रारंभ 1992 में हुआ था जिससे निर्यातकों तथा अन्य विदेशी मुद्रा अर्जकों को विदेशी मुद्रा में उनकी प्राप्तियों का कुछ हिस्सा भारत में प्राधिकृत व्यापारी के पास बनाए रखना संभव हो । वर्तमान में सौ प्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाई अथवा (क) निर्यात प्रोसेसिंग जोन और (ख) साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क और (ग) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में कोई इकाई ईईएफसी खाता में आवक प्रेषणों का 70 प्रतिशत और भारत में निवासी कोई अन्य व्यक्ति 50 प्रतिशत तक जमा कर सकते हैं । योजना की संवीक्षा करने पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :

i) प्राधिकृत व्यापारियों को ईईएफसी खातों के शेष 11 अगस्त 2000 तक धारित राशियों के 50 प्रतिशत तक घटाने के लिए प्रयास करना चाहिए । तदनुसार प्राधिकृत व्यापारी अपने ग्राहकों को अंततम 31 अगस्त 2000 तक आधिक्य शेषों को रुपया में परिवर्तन करने के लिए निदेश दें और ऐसे परिवर्तन सुनिश्चित करें । जहाँ राशियाँ सावधि जमाराशियों में धारित हैं वहाँ आधिक्य राशि को जमाकर्ता द्वारा जमाराशि की परिपक्वता तिथि के साथ मेल खाने के लिए आगाऊ बेचें । परिवर्तन/आगाऊ बिक्री के संबंध में किये गये अनुपालन को मुख्य महा प्रबंधक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, निर्यात प्रभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, अमर भवन, मुंबई 400 001 को 25 अगस्त 2000 को या उसके पहले रिपोर्ट करना होगा ।

ii) सौ प्रतिशत निर्यात अभिमुख इकाई अथवा (क) निर्यात प्रोसेसिंग जोन अथवा (ख) साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क अथवा (ग) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में कोई इकाई 14 अगस्त 2000 से उक्त संदर्भित अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शाये गये अनुसार उनके पात्र आवक प्रेषणों का 35 प्रतिशत और भारत में निवासी कोई अन्य व्यक्ति 25 प्रतिशत तक जमा करें ।

iii) वर्तमान में जहाँ खाताधारक कोई व्यक्ति है वहाँ ईईएफसी खाता, चालू अथवा बचत अथवा सावधि जमा खाता के रूप में खोल सकते हैं, धारित और बनाये रख सकते हैं और अन्य सभी मामलों में चालू अथवा सावधि जमा खाता के रूप में रख सकते हैं । अब यह निर्णय लिया गया है कि अब से ईईएफसी खाता व्यक्ति द्वारा केवल चालू अथवा बचत खाता के रूप में अथवा अन्यों द्वारा चालू खाता के रूप में ही रखा जाये । वर्तमान सावधि जमा में शेष आगाऊ बिक्रियों को घटाकर चालू/बचत जमाओं में परिपक्वता की तिथि को परिवर्तित करें ।

iv) दिनांक 22 अप्रैल 2000 के ए डी(एम ए सीरिज) परिपत्र सं.5 के साथ पठित दिनांक 2 जून 1999 के ए डी(एम ए सीरिज) परिपत्र सं.19 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों को ईईएफसी खाते में धारित निधियों की जमानत पर दोनों निधि और गैर निधि आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति दी गई है । अब यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा ईईएफसी खाता में धारित शेषों के जमानत पर निधि या गैर निधि आधारित ऋण सुविधाएं प्रदान करने की अनुमति न दी जाए । तथापि वर्तमान सुविधाएं विद्यमान संविदा के परिपक्वता तक बनाये रखने की अनुमति दी जाए । वर्तमान ऋण सुविधाओं की चुकौती हेतु कोई समय सीमा बढ़ाने के लिए अनुमति न दी जाए ।

3. फेमा अधिसूचनाओं में संशोधनों को अलग से जारी किया जा रहा है ।

4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करायें ।

5. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट अनुदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं और इसका किसी भी तरह से उल्लंघन किया जाना अथवा अनुपालन न किया जाना अधिनियम के अधीन निर्धारित जुर्माने से दंडनीय है ।

(संदर्भ : ए पी (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं.6 दिनांक : 14 अगस्त 2000)

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 को अधिसूचित की गई दिनांक 3 मई 2000 की भारत सरकार की अधिसूचना सं. जीएसआर 381(ई) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार कतिपय चालू खाता लेनदेनों के लिए विदेशी मुद्रा के आहरण पर प्रतिबंध लगाया गया था और कतिपय अन्य लेनदेनों पर प्रतिबंध लगाया गया था । उक्त नियम 4 के अनुसार उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची II में **विनिर्दिष्ट** लेनदेनों के लिए भारत सरकार का पूर्वानुमोदन आवश्यक है और नियम 5 के अनुसार अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची III में विनिर्दिष्ट लेनदेनों के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन आवश्यक है । प्राधिकृत व्यापारी भारत में वस्तुओं और सेवाओं के आयात के संबंध में आवेदनों पर कार्यवाही करते समय अनुबंध में अन्तर्विष्ट निदेशों का

अनुपालन करें ।

2. आयात व्यापार का नियंत्रण **विदेश व्यापार महा निदेशालय** द्वारा किया जाता है और उसके क्षेत्रीय कार्यालय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के अधीन कार्य करते हैं । भारत में आयातों के लिए पालन की जानेवाली नीतियों और क्रियाविधियों की घोषणा समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय करता है । अतः प्राधिकृत व्यापारी किसी भी विदेशी देश से भारत में आयातों के लिए भुगतान की ओर विदेशी मुद्रा बेचना अथवा अनिवासी खाते में रुपया अंतरित करना प्रचलित आयात निर्यात नीति और भारत सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली और अधिनियम के अधीन समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप होंगे ।

3. प्राधिकृत व्यापारियों को दस्तावेजी ऋणों आदि के लिए अपने ग्राहकों की ओर से भारत में आयातों के लिए साख पत्र खोलते समय सामान्य बैंकिंग कार्यप्रणाली और एक समान रीति और रिवाजों का अनुपालन करना चाहिए । **आरेखण** और डिजाइनों के आयात के संबंध में निर्यातकों को **अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम,** 1986 के अनुपालन से संबंधित प्रमाणपत्र अथवा वचनपत्र प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जाये । आयकर के भुगतान अथवा आयकर प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र, अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों के अधीन जहाँ-जहाँ आवश्यक है, विहित फार्मेट में वचन पत्र भारत में सेवाओं और आरेखण तथा डिजाइनों के आयात के संबंध में प्रेषणों के मामलों में प्राप्त किया जाना चाहिए ।

4. आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट निदेशों को पूर्व संदर्भित दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नियमावली के साथ पढ़ना चाहिए ।

5. अनुबंध में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा नियंत्रण मैन्युअल, संस्करण 1993 के अध्याय 7 के भाग ``अ'' भाग ``इ'' में अन्तर्विष्ट निदेशों का **अधिक्रमण** करते हैं ।

6. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करायें ।

7. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं । इन निदेशों का किसी भी तरह से उल्लघंन किया जाना अथवा अनुपालन न किया जाना अधिनियम के अधीन निर्धारित जुर्माने से दंडनीय है ।

(संदर्भ : ए पी (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 9 दिनांक : 24 अगस्त 2000)

निदेशों में संशोधन

यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित पैरा में बताये गये अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों के लिए निदेशों में संशोधन किये जाये ।

1. राज्य ऋणों की चुकौती पर परेषण आधार पर रुस महासंघ को वस्तुओं का निर्यात

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान राज्य ऋणों की चुकौती पर **परेषण** आधार पर रुस महासंघ को वस्तुओं के निर्यात के संबंध में क्रमशः दिनांक 31 मई, 24 जुलाई 1999 और 10 अप्रैल 2000 के ए डी (जी पी सीरिज) परिपत्र संख्याएं 5,9 और 3 की ओर आकृष्ट किया जाता है । अब यह निर्णय लिया गया है कि राज्य ऋणों की चुकौती पर रुस महासंघ को परेषण आधार पर इन्स्टंट काफ़ी निर्यात करने की अनुमति दी जाये । इस वस्तु के लिए इस सुविधा का लाभ उठाने की क्रियाविधि वही होगी जो उक्त संदर्भित 31 मई 1999 के परिपत्र सं. 5 में स्पष्ट किये गये अनुसार है ।

2. भारत के बाहर संयुक्त उद्यमों / संपूर्ण स्वामित्ववाली अनुषंगियों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश

दिनांक 22 जून 2000 के ए पी (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 3 के आंशिक **आशोधन** में प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया गया है कि अब से फार्म ओडीए और ओडीआर की प्रतियाँ दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 19/आरबी 2000 के अधिनियम 6,9 तथा 11 के अंतर्गत निवेश करने के तुरंत बाद मुख्य महा प्रबंधक, विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग, (बाह्य निवेश प्रभाग) तीसरी मंजिल, अमर भवन, मुंबई 400 001 को भेजनी चाहिए । दिनांक 22 जून 2000 के परिपत्र ए पी (डीआइआर सीरिज) सं. 3 के साथ संलग्न अनुबंध में अन्तर्विष्ट फार्म ओडीआर के प्रस्तुतीकरण के संबंध में अनुदेशों को तदनुसार आशोधित किया जायेगा । उपरोक्त परिवर्तन से संबंधित फार्म ओडीए को भरने के लिए अनुदेशों में आवश्यक संशोधनों को पृथक रूप से जारी किया जा रहा है।

3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय - वस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करायें ।

4. इस परिपत्र में अन्तर्विष्ट निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) तथा धारा 11 (1) के अंतर्गत जारी किये गये हैं । इन निदेशों का किसी भी तरह से उल्लंघन किया जाना अथवा अनुपालन न किया जाना अधिनियम के अधीन निर्धारित जुर्माने से दंडनीय है ।

(संदर्भ : ए पी (डीआइआर सीरिज) परिपत्र सं. 13 दिनांक : 14 सितम्बर 2000)

बीमा कारोबार में बैंकों का प्रवेश

कृपया आप उपर्युक्त विषय पर गवर्नर महोदय के `वर्ष 2000 - 2001 के लिए मौद्रिक और ऋण नीति' संबंधी वक्तव्य का पैराग्राफ 58 देखें । यह वक्तव्य आपको 27 अप्रैल 2000 के परिपत्र एमपीडी. सं. बीसी 196/ 07.01.279/99 - 2000 के साथ भेजा गया है ।

2. ***बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण*** ने भारतीय बीमा कंपनियों के पंजीकरण के लिए विनियम हाल ही में जारी किये हैं । भारत सरकार ने भी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें *`बीमा'* को ऐसे अनुमत कारोबार के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसे बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 6 (1) (ओ) के अंतर्गत कर सकते हैं ।

3. बैंकों को विभागीय रूप से बीमा कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी । जो बैंक अनुबंध में दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा कारोबार करना चाहते हों, उन्हें इस प्रकार का कारोबार हाथ में लेने से पहले भारतीय रिज़र्व बैंक का अनुमोदन लेना चाहिए । इसलिए बैंक उपर्युक्त दिशा - निर्देशों में निर्दिष्ट मापदंडों, संयुक्त उद्यम/कार्य नीतिगत निवेश में प्रस्तावित ईक्विटी अंशदान के पूरे ब्यौरे तथा बीमा कारोबार आदि में किसी भी ढंग से अन्य कंपनी के साथ संलग्न होने की व्यवस्था करने पर कंपनी का नाम आदि बताते हुए आवश्यक आवेदन प्रस्तुत करें । निदेशक मंडल का संबंधित नोट और पारित **संकल्प** एवं इस संबंध में तैयार की गयी संभावित क्षमता रिपोर्ट के साथ बैंक के प्रस्ताव का अनुमोदन भी भेजा जाये ।

अनुबंध

बीमा क्षेत्र में बैंकों के प्रवेश के लिए दिशानिर्देश

1. किसी भी अनुसूचित वाणिज्य बैंक को बीमा कंपनियों के एजेंट के रूप में शुल्क के आधार पर, किसी जोखिम में सहभागिता के बिना बीमा कारोबार करने की अनुमति होगी । बैंकों की सहायक संस्थाओं को भी एजेंसी आधार पर बीमा, उत्पाद के वितरण का कार्य करने की अनुमति होगी ।

2. जो बैंक नीचे दिये गये पात्रता मानदंड पूरा करते हैं, उन्हें सुरक्षा उपायों की शर्त पर जोखिम में सहभागिता सहित बीमा कारोबार करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने की अनुमति होगी । संयुक्त उद्यम कंपनी में ऐसे बैंक के धारण के लिए अधिकतम ईक्विटी अंशदान सामान्यतः बीमा कंपनी की **चुकता पूंजी** का 50 प्रतिशत होगा । चयनात्मक आधार पर, निर्दिष्ट अवधि के भीतर ईक्विटी का विनिवेश होने तक भारतीय रिज़र्व बैंक प्रारंभ में प्रवर्तक बैंक द्वारा अधिक ईक्विटी अंशदान की अनुमति दे सकता है ।

संयुक्त उद्यम सहभागिता के लिए पात्रता मानदंड 31 मार्च 2000 को निम्नप्रकार होंगे :

(i) बैंक की शुद्ध मूल्यवत्ता 500 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए ।

(ii) बैंक का पूंजी और जोखिम आस्ति अनुपात (सी आर ए आर) 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ।

(iii) **अनर्जक आस्तियों** का स्तर तर्कसंगत होना चाहिए ।

(iv) बैंक को पिछले तीन लगातार वर्षों में शुद्ध लाभ होना चाहिए ।

(v) संबंधित बैंक की सहायक संस्थाओं, यदि कोई हों, के कार्य निष्पादन का पिछला रिकार्ड संतोषजनक होना चाहिए ।

3. जिन मामलों में बीमा *विनियामक और विकास प्राधिकरण* (आइ आर डी ए) / **विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड** के अनुमोदन से कोई विदेशी भागीदार ईक्विटी के 26 प्रतिशत का अंशदान करता है वहां एक से अधिक सरकारी क्षेत्र के या निजी क्षेत्र के बैंक को संयुक्त बीमा उद्यम की ईक्विटी में सहभागिता करने की अनुमति होगी । ऐसे सहभागी को भी बीमा जोखिम हो सकता है, अतः वही बैंक पात्र होंगे जो ऊपर पैराग्राफ 2 में दिये गये मानदंडों को पूरा करेंगे ।

4. किसी एक बैंक या दूसरे बैंक की सहायक संस्था को सामान्यतः जोखिम में सहभागिता के आधार पर बीमा कंपनी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी । सहायक संस्थाओं में बैंक की ऐसी सहायक संस्थाएं शामिल होंगी जो मर्चेंट बैंकिंग, प्रतिभूति, म्युच्युअल फंड, लीजिंग फाइनेंस, आवास वित्त कारोबार आदि कर रही हैं ।

5. ऊपर दिये गये अनुसार जो बैंक संयुक्त उद्यम सहभागिता के लिए पात्र नहीं हैं, वे बीमा कंपनी में मूलभूत सुविधाएं और सेवा सहायता प्रदान करने के लिए बैंक की शुद्ध मूल्यवत्ता के 10 प्रतिशत अथवा 50 करोड़ रुपये, जो भी कम हो, तक का निवेश कर सकते हैं । इस प्रकार की सहभागिता को निवेश के रूप में समझा जायेगा और वह बैंक के लिए किसी आकस्मिक देयता के बिना होगी ।

इन बैंकों के लिए पात्रता मानदंड निम्नप्रकार होंगे :

(i) बैंक का पूंजी और जोखिम आस्ति अनुपात 10 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए ;

(ii) अनर्जक आस्तियों का स्तर तर्कसंगत होना चाहिए;

(iii) बैंक को पिछले तीन लगातार वर्षों में शुद्ध लाभ होना चाहिए ।

6. बीमा कारोबार में प्रवेश करनेवाले सभी बैंकों को रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा । रिज़र्व बैंक आवेदक बैंक की अनर्जक आस्तियों के स्तर के संबंध में स्थिति सहित सभी संबंधित तत्वों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग मामले के आधार पर बैंकों को अनुमति देगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनर्जक आस्तियां भविष्य में बैंक के समक्ष उसकी वर्तमान या प्रस्तावित गतिविधियों अर्थात् बीमा कारोबार के संबंध में कोई खतरा खड़ा न करें । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बीमा कारोबार में निहित जोखिम बैंक को अंतरित नहीं होगा और बैंकिंग कारोबार बीमा कारोबार के फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाले किसी जोखिम द्वारा संसर्गित नहीं होगा । बैंक और बीमा कारोबार के बीच **'निश्चित दूरी'** का संबंध होना चाहिए ।

नोट :

1. किसी बीमा कंपनी में प्रवर्तक बैंक द्वारा ईक्विटी का धारण या बीमा कारोबार में किसी रूप में सहभागिता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण / केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुपालन की शर्त पर होगी । इसमें निर्दिष्ट अवधि के भीतर चुकता पूंजी के 26 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी के विनिवेश के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम की धारा 6 क क का अनुपालन शामिल होगा ।

2. पात्रता मानदंडों की गणना करने के लिए 31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के तुलनपत्र पर विचार किया जायेगा । बाद के वर्षों के लिए पात्रता मानदंडों की गणना पिछले वर्ष के लिए नवीनतम उपलब्ध लेखा-परीक्षित तुलनपत्र के संदर्भ में की जायेगी ।

3. उपर्युक्त दिशानिर्देशों के पैरा 5 के अधीन निवेश करनेवाले और बाद में बीमा कारोबार में जोखिम में सहभागिता के लिए (दिशानिर्देश के पैरा 2 के अनुसार) पात्र बैंक जोखिम सहभागिता के आधार पर बीमा कारोबार करने की अनुमति के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन करने के पात्र होंगे ।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 16/24.01.018/ 2000 - 2001 दिनांक : 9 अगस्त 2000)

प्राथमिक निर्गमों के लिए की गयी नीलामियों में आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री

कृपया 26 जुलाई 1991 के हमारे परिपत्र डी. ओ. बैंपविवि. सं. एफएससी. 46/सी.469-91/92 का पैरा 4 (i) देखें, जिसके अनुसार किसी भी बैंक द्वारा बिक्री के समय उसके निवेश लेखे में प्रतिभूतियां वास्तविक रूप में रखे बिना कोई बिक्री लेन-देन नहीं किया जाना चाहिए । यह प्रतिबंध प्राथमिक निर्गमों (प्राइमरी इशू) के लिए की गयी नीलामियों में आबंटित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी के दिन बिक्री में बैंकों के लिए बाधा उत्पन्न कर रहा है । इसलिए, यह निर्णय किया गया है कि आबंटित किये जाने के बाद बैंकों को प्रतिभूतियों की बिक्री की अनुमति देकर सरकारी प्रतिभूतियों के संबंध में उक्त प्रतिबंध को हटाया जाये ।

2. तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि जो बैंक सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी में सफल होते हैं, वे निम्नलिखित शर्तों के अनुसार आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए संविदा कर सकते हैं :

(i) बिक्री की संविदा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिप्रमाणित आबंटन सूचना के आधार पर **आबंटिती** बैंक द्वारा सिर्फ एक बार की जा सकती है । विक्रेता बैंक को आबंटन सूचना पर उपयुक्त नोटिंग / स्टांपिंग करना चाहिए, जिसमें बिक्री संविदा संख्या आदि को दर्शाया गया हो, जिनके ब्यौरे खरीदनेवाली संस्था को सूचित किये जाने चाहिए । खरीदनेवाली संस्था को आगे प्रतिभूतियों की दुबारा बिक्री के लिए तब तक संविदा नहीं करनी चाहिए जब तक प्रतिभूतियां उसके निवेश खाते में वस्तुतः धारित न हों ।

(ii) बैंक आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए सिर्फ उन्हीं संस्थाओं के साथ संविदा कर सकते हैं, जिन्होंने **सुपुर्दगी** बनाम अदायगी प्रणाली के माध्यम से अगले कार्य दिवस में सुपुर्दगी और निपटान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एस जी एल खाता रखा हो ।

(iii) बेची गयी प्रतिभूतियों का **अंकित मूल्य** आबंटन सूचना में उल्लिखित प्रतिभूतियों के अंकित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(iv) बिक्री सौदा दलाल / दलालों के माध्यम से न कर सीधे किया जाना चाहिए ।

(v) ऐसे बिक्री सौदों का अलग रिकार्ड रखा जाना चाहिए, जिसमें इस प्रकार के ब्यौरे दिये जायें, जैसे आबंटन सूचना की संख्या और तारीख, आबंटित प्रतिभूतियों का वर्णन और अंकित मूल्य, **क्रय प्रतिफल** (परचेज़ कंसीडरेशन), बेची गयी प्रतिभूतियों की संख्या, सुपुर्दगी की तारीख और अंकित मूल्य, बिक्री प्रतिफल, वास्तविक सुपुर्दगी की तारीख और ब्यौरे अर्थात् एस जी एल फार्म नं. आदि । इस रिकार्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक के सत्यापन के लिए उपलब्ध कराया जाये । बैंकों को चाहिए कि वे ऐसे रिकॉर्ड न रख पाने के मामलों

की सूचना तत्काल दें ।

(vi) प्राथमिक निर्गमों के लिए की गयी नीलामियों में उसी दिन आबंटित और अधिप्रमाणित आबंटन सूचना पर आधारित सरकारी प्रतिभूतियों के इस प्रकार के बिक्री लेनदेनों की **समवर्ती** लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए तथा संबंधित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्रत्येक महीने में एक बार बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के सामने रखी जानी चाहिए । उसकी एक प्रति बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को भी भेजी जानी चाहिए ।

(vii) बैंक भुगतान न होने / चेक नकारे जाने आदि के कारण उनके एस जी एल खाते में जमा न की जानेवाली प्रतिभूतियों के कारण संविदाओं की किसी विफलता के लिए अकेले जिम्मेदार होंगे ।

3. परिणामतः अनुदेश मैन्युअल खंड I - भाग I के पैराग्राफ 11.1 (i) (क) को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जाये :

``कोई भी बिक्री लेनदेन, उसके निवेश खाते में प्रतिभूति के वास्तविक रूप से धारित किये बिना नहीं किया जाना चाहिए, अर्थात किसी भी परिस्थिति में बैंक की किसी प्रतिभूति में **अधिविक्रीत** स्थिति नहीं होनी चाहिए । तथापि, सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गम की नीलामी में सफल रहनेवाले बैंक आबंटित प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए संविदाएं अनुबंध 1 (क) में दी गयी शर्तों के अनुसार कर सकते हैं ।''

अनुदेश मैन्युअल खंड I भाग I के अध्याय 11 के वर्तमान अनुबंध I को पुनः क्रमांक दिया जाये और अनुबंध - 1 (ख) के रूप में पढ़ा जाये ।

(संदर्भ : बैंपविवि.सं.एफएससी. बीसी.026/24.76.002/ 2000 - 2001 दिनांक : 06 अक्तूबर 2000)

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा समय-समय पर यथासंशोधित 11 सितंबर 1986 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 95/सी. 347 (I) - 86 में आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और समीचीन है, इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त निदेश के मौजूदा पैराग्राफ 10 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये :

``10. निषेध

कोई भी बैंक

(क) तीन वर्ष से अधिक की जमाराशियां स्वीकार नहीं करेगा,

(ख) अदा किये जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में एक ही तारीख को स्वीकार की गयी तथा एक ही अवधिपूर्णता वाली किन्हीं जमाराशियों के बीच भेद-भाव नहीं करेगा, चाहे ऐसी जमाराशियां बैंक के एक ही कार्यालय में स्वीकार की गयी हों या अलग-अलग कार्यालयों में स्वीकार की गयी हों । परंतु मात्रा के आधार पर समूह अपवाद होंगे, जमाराशि की मात्रा के आधार पर ब्याज दर में भिन्नता के आधार पर अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर ब्याज की अलग-अलग दरों की अनुमति दी जायेगी :

(1) बैंक अपने विवेकानुसार मुद्रावार वह न्यूनतम मुद्रा तय करेंगे, जिस पर भिन्न दरों पर ब्याज दिया जा सकता है । निर्धारित न्यूनतम मुद्रा से कम की मीयादी जमाराशियों के लिए वही दर लागू होगी जो उस अवधिपूर्णता के लिए है ।

(2) इस तरह दी गयी भिन्न ब्याज दरें निर्धारित उच्चतम समग्र सीमा के अधीन होंगी ।

(3) बैंक द्वारा दी गयी ब्याज दरें अनुसूची के अनुसार होनी चाहिए तथा उन्हें जमाकर्ता और बैंक के बीच बातचीत द्वारा तय नहीं किया जाना चाहिए ।

(ग) किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, संस्था अथवा किसी अन्य व्यक्ति को जमाराशियों पर दलाली अदा नहीं करेगा ।

(घ) किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन या किसी अन्य व्यक्ति को जमाराशियां जुटाने अथवा जमाराशियों से संबद्ध उत्पादों को **पारिश्रमिक** की अदायगी या शुल्क या किसी भी रूप में या किसी भी ढंग से कमीशन के भुगतान पर नियुक्त नहीं करेगा / नहीं लगायेगा ।''

2. समय-समय पर यथासंशोधित 11 सितंबर 1986 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 95/सी. 347(I)-86 और 29 अप्रैल 1993 के निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 115/13.01.09/93 के अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे ।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 28/13.03.00/ 2000-01 दिनांक : 06 अक्तूबर 2000)

जमाराशियां जुटाने अथवा बैंक के उत्पादों को बेचने के लिए शुल्क और कमीशन के आधार पर बाहर के एजेंटों को लगाना

आपको विदित ही है कि 27 दिसम्बर 1985 के हमारे निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी.347-

85 के पैराग्राफ 17 (घ) और 11 सितंबर 1986 के निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 95 / सी. 347 (I)-86 के अनुसार जमाराशियों पर किसी भी प्रकार की दलाली किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, संस्था अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अदा करने पर बैंकों पर निषेध है ।

2. हमारी जानकारी में यह बात आयी है कि कुछ बैंकों ने जमाराशियां जुटाने के लिए कतिपय कंपनियों के माध्यम से करार करके बिक्री एजेंटों की सीधे नियुक्ति की है । इन एजेंटों को अनेक प्रकार के कार्य भी सौंपे गये हैं, जैसे कि नये आवेदनपत्र प्राप्त करना, फोटोग्राफ, भरे गये फार्मों को एकत्र करना और निवास के प्रमाण, गवाही, नोटोरी कार्य आदि के सहित खाता खोलने की औपचारिकताएं पूरी करना ।

3. हमने इस मामले की जांच की है और यह सूचित किया जाता है कि अनिवासी जमाराशियों सहित जमाराशियां जुटाने अथवा जमाराशि से संबद्ध अपने अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए किसी भी रूप में या किसी भी ढंग से शुल्क / कमीशन अदा करके फर्मों / कंपनियों के माध्यम से भी किन्हीं बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त करना / काम पर लगाना, बैंकों के लिए उचित नहीं है । केवल ऊपर पैराग्राफ 1 में बताये गये 27 दिसम्बर 1985 के निदेश के पैराग्राफ 17 के खंड (घ) के उप खंड (i) में बताये गये कार्य अपवाद होंगे, जैसा कि घरेलू जमाराशियों पर लागू है ।

4. तदनुसार, 6 अक्तूबर 2000 के संशोधनकारी निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 27 और 28/13.03.00/ 2000-01 संलग्न हैं ।

5. परिणामस्वरूप डी बी ओ डी, डी बी एस और आइ ई सी डी द्वारा जारी किये गये निदेशों के मैन्युअल में निम्नलिखित संशोधन कर लिये जायें :

(i) पर्ची 3 - पैराग्राफ 9.1.14 के मौजूदा खंड (v) के बाद जोड़ी जाये ।

(ii) पर्ची 4 - पैराग्राफ 9.III (xiii) के पैराग्राफ के मौजूदा खंड (ग) में जोड़ी जाये ।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 29/13.01.11/ 2000 - 01 दिनांक : 06 अक्तूबर 2000)

कतिपय निकायों / संगठनों के नाम बचत बैंक खाते खोलने पर प्रतिबंध

कृपया आप समय-समय पर संशोधित 27 दिसंबर 1985 का हमारा निदेश डीबीओडी. सं. डीआइआर. बीसी. 151/सी.347-85 का पैराग्राफ 3 (i) देखें, जो उन सरकारी विभागों / स्थानीय निकायों के नाम बचत बैंक खाते खोलने पर प्रतिबंध के संबंध में है, जो अपने कार्यों के निष्पादन के लिए बजट आबंटनों / अनुदानों पर निर्भर हैं । कतिपय एजेंसियों / निकायों (उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 3 (ii) में किये गये उल्लेख के अनुसार) को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पिछले वर्षों में उपर्युक्त प्रतिबंध से छूट देकर प्रत्येक मामले के आधार पर बचत बैंक खाते खोलने की अनुमति दी गयी है ।

2. मामले की समीक्षा करके अब यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों / योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जारी अनुदानों / सब्सीडी के संदर्भ में सरकारी विभागों / निकायों / एजेंसियों के नाम बचत बैंक खाते खोलने की अनुमति दी जाये । यह अनुमति संबंधित सरकारी विभागों से बैंक को एक प्राधिकार पत्र प्रस्तुत किये जाने पर दी जायेगी जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि संबंधित सरकारी विभाग अथवा निकाय को बचत बैंक खाता खोलने की अनुमति दी गयी है । केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की प्रति बैंकों को अपने रिकार्ड के लिए रखनी चाहिए । तदनुसार, 27 दिसंबर 1985 के निदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (ii) को संशोधित किया गया है ।

3. दिनांक 17 अक्तूबर 2000 का संशोधित निदेश बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 34/13.03.00/2000 - 01 संलग्न है ।

4. पैराग्राफ 9.1.3 के वर्तमान खंड (ii) को अनुदेश मैन्युअल के अध्याय 9 के नये खंड (ii) से संलग्न स्लिप 5 के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संदर्भ : बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 35/13.03.00/ 2000 - 01 दिनांक : 17 अक्तूबर 2000)

बैंकों का निवेश संविभाग – प्रतिभूतियों में लेनदेन – दलालों की भूमिका

कृपया आप 16 नवंबर 1994 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 129/24.76.002/94-95 तथा 14 अक्तूबर 1997 का परिपत्र बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी. 112/24.76.002/97 देखें, जिनके अनुसार बैंकों को क्रमशः राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज के सदस्यों के माध्यम से प्रतिभूतियों के परस्पर लेनदेन अथवा बैंकों से इतर ग्राहकों के साथ लेनदेन करने की अनुमति है । इस बीच यह निर्णय किया गया है कि बैंकों को राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज के अलावा स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई के सदस्यों के माध्यम से भी प्रतिभूतियों के परस्पर लेनदेन अथवा बैंकों से इतर ग्राहकों के साथ लेनदेन करने की अनुमति दी जाये । यदि प्रतिभूतियों में कोई लेनदेन राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज अथवा स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (बी एस ई) में नहीं किया

जाता हो तो उनमें बैंक दलालों के माध्यम के बिना सीधे लेनदेन कर सकते हैं ।

2. बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई के सदस्यों के माध्यम से प्रतिभूतियों के परस्पर लेनदेन अथवा बैंकों से इतर ग्राहकों के साथ लेनदेन करते समय अनुदेश मैन्युअल के खंड I - भाग I के पैराग्राफ 11.7 में निहित उन सभी अनुदेशों का दृढ़ता से पालन किया जाये जो निवेश लेनदेनों के लिए दलालों की संलग्नता से संबंधित हैं । यह ध्यान रखा जाये कि अनुदेशों का किसी भी तरह का उल्लंघन या परिवंचना करने पर बैंकों के विरुद्ध **दंडात्मक कार्रवाई** की जायेगी, जिसमें प्रारक्षित निधि संबंधी अपेक्षाओं को बढ़ाना, रिज़र्व बैंक से पुनर्वित के आहरण पर रोक और मुद्रा बाज़ार में पहुंच पर मनाही और साथ ही बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अंतर्गत ऐसा दंड, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक उपयुक्त समझे, शामिल हैं ।

3. तदनुसार, अनुदेश मैन्युअल के खंड - I भाग - I के पैराग्राफ 11.7 (ii) के नोट (i) के स्थान पर संलग्न पर्ची लगायी जाये ।

(अध्याय - II अनुदेश मैन्युअल - खंड I भाग I बैंपविवि., बैंपवि. तथा औनिऋवि. द्वारा जारी (2000 का एफएससी. बीसी. 39))

पैराग्राफ 11.7 (ii) नोट (i)

बैंक राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज तथा स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई के सदस्यों के माध्यम से प्रतिभूतियों के परस्पर लेनदेन अथवा बैंकों से इतर ग्राहकों के साथ लेनदेन कर सकते हैं, जिनमें लेनदेन पारदर्शी हों । यदि प्रतिभूतियों में कोई लेनदेन राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय ओ टी सी एक्सचेंज अथवा स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई (बी एस ई) में नहीं किया जाता हो तो उनमें बैंक दलालों के माध्यम के बिना सीधे लेनदेन कर सकते हैं ।

(संदर्भ : बैंपविवि. एफएससी. बीसी. सं. 39/24.76.002/2000 दिनांक : 25 अक्तूबर 2000)

प्रयुक्त शब्दावली

संयोजक बैंक	Convenor bank
विप्रेषण	Remittance
बेशी	Excess
उत्तजीवियों	Survivors
दावेदार	Claimant
वैध उत्तराधिकारी	Legal heir
परंतुक	Proviso
सामान्य सदस्य	Nominal member
उपबंध	Provision
सतर्कता	Vigilance
केंद्रीय सतर्कता आयोग	Central Vigilance Commission
जागरुकता	Awareness
बोली-पूर्व निकासी	Pre-bid Clearance
ठेका	Contract
कार्यदल	Working Group
तात्कालिक ऋण	Bridge Finance
संपर्क कार्यालय	Liaison Office
विनिर्दिष्ट	Specified
विदेश व्यापार महा निदेशालय	Directorate General of Foreign Trade
आरेखण	Drawing
अनुसंधान और विकास उपकर अधिनियम	Research and Development Cess Act
अधिक्रमण	Supercede
परेषण	Consignment
संयुक्त उद्यम	Joint Venture
आशोधन	Modification
बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण	Insurance Regulatory & Development Authority
संकल्प	Resolution
चुकता पूंजी	Paid - up Capital
अनर्जक आस्तियां	Non - performing Assets
विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड	Foreign Investment Promotion Board
निश्चित दूरी	Arms length
प्राथमिक निर्गम	Primary issue
आबंटिती	Allottee
सुपुर्दगी	Delivery
अंकित मूल्य	Face value
क्रय प्रतिफल	Purchase consideration
समवर्ती	Concurrent
अधिविक्रीत	Oversold
पारिश्रमिक	Remuneration
दंडात्मक कार्रवाई	Penal action

पुस्तक समीक्षा

पुस्तक का नाम : आर्थिक विषमताएं
लेखक : अमर्त्य सेन
अनुवादक : भवानी शंकर बागला
प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज़,
कश्मीरी गेट, दिल्ली
पृष्ठसंख्या : 119
संस्करण : प्रथम, 1999
मूल्य : एक सौ पचास रुपये

नोबल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन की पुस्तक ``आर्थिक विषमताएं'' उनकी उन रचनाओं में से एक है जिन्होंने आर्थिक जगत में तहलका मचा रखा है। यह पुस्तक 1972 में वारविकशायर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में आयोजित रैडक्लिफ़ व्याख्यानमाला पर आधारित है। इस पुस्तक में आर्थिक विषमताओं पर चर्चा की गई है तथा प्रो. सेन ने विषमता के विचार से सहज स्वरूप की अन्तर्निहित जटिलताओं की बहुत सटीक विवेचना की है। प्रो. सेन ने जहां सामान्य से लगने वाले विचारों की शाब्दिक व्याख्या की है, वहीं उन्होंने गणितीय सूत्रों के रूप में उन्हीं विचारों का निरूपण किया है जिससे कई बार ऐसी विश्लेषणात्मक विशिष्टताओं की उपलब्धि भी सम्भव हो जाती हैं जिनकी ओर शाब्दिक व्याख्या करते समय अध्येताओं का ध्यान ही नहीं जाता।

यह पुस्तक चार अध्यायों में `आर्थिक विषमताएं' पाठक के समक्ष प्रस्तुत करती है।

पहले अध्याय की शुरुआत क्षेम अर्थशास्त्र, उपयोगितावाद एवं समता के विचारों एवं संकल्पनाओं की समीक्षा से की गई है। इसके बाद `मापन' की विधियों एवं प्रकारान्तरों की विवेचना की गई है। इसके उपरान्त अपेक्षाकृत कम बाध्यताकारी मान्यताओं के प्रयोग के आधार पर विषमताओं का आकलन-विवेचन किया गया है। अध्याय के अन्त में व्यक्तियों के बीच क्षेम स्तरों की तुलना की समस्या की दुरूहता, इस विषय में उपयोगितावादी चिन्तन और समाजवादी आग्रहों की विवेचना कर प्रो. सेन बताते हैं कि किस प्रकार प्रतिष्ठित क्षेम अर्थशास्त्र का क्षेम के योगफल के प्रति `अनुराग' आय एवं क्षेम के आबंटन की समस्या के सटीक विवेचन में बाधक हो सकता है।

द्वितीय अध्याय में विषमता के सांख्यिकीय मापकों की क्षेमशास्त्रीय व्याख्या की गई है। इसी संदर्भ में उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार अष्मागतिकी से उधार लिए गए विचार उत्क्रम मापन से विषमता के स्तर का मापन तो सम्भवतः हो जाएगा पर उस मापन में प्रयुक्त विचारों एवं तत्वों की व्यावहारिक व्याख्या कर पाना सहज नहीं होगा।

अध्याय तीन में प्रो. सेन ने मापक के आधार पर विषमता स्तरों के क्रम निर्धारण के मुद्दे का अवलोकन किया है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि किसी भी मापन विधि में क्रमिकता की सम्पूर्णता अर्थात् सभी वैयक्तिक अवस्थाओं को एक सुनिश्चित क्रम में निबद्ध कर पाने के आग्रह के कारण ही अधिकतर समस्याएं पैदा होती हैं।

अंतिम अध्याय अर्थात् अध्याय चार में प्रो. सेन ने व्यक्तियों के कार्य या सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया के योगदान, उनकी आवश्यकताओं तथा समाज में व्याप्त विषमताओं की व्याख्या की है। उनका विचार है कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच तुलना कर पाना अति कष्टसाध्य हो जाता है क्योंकि आवश्यकताओं के कुछ लक्षणों को तो हम सहज भाव से पहचान सकते हैं, किन्तु इनमें अनेक ऐसी विशेषताएं भी होती हैं जिन्हें समझ पाना सम्भव नहीं होता। समतावाद के कई स्वरूपों का भी अध्ययन इस अध्याय में किया गया है। इसमें समताकारी नीतियों के कार्य करने की अभिप्रेरणाओं पर विचार किया गया है। चीन की सांस्कृतिक क्रान्ति के आर्थिक पहलुओं से लेकर अंकुश आयकर एकमुश्त कर तथा सब्सिडी के महत्व और मुद्दों पर भी नई दृष्टि से विचार किया गया है। अन्त में प्रो. सेन ने यह स्पष्ट किया है कि उनका

आग्रह तो समाज में व्याप्त विषमताओं का व्यक्तियों की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने पर ही रहा है।

जहां तक समीक्ष्य पुस्तक की उपयोगिता का प्रश्न है, तो यह पुस्तक अर्थशास्त्र से संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए अमूल्य पुस्तक है । श्री भवानी शंकर बागला ने इस पुस्तक का हिन्दी अनुवाद अत्यधिक श्रम से किया है तथा उनका यह प्रयास सराहनीय है । यद्यपि तकनीकी एवं गैर-तकनीकी अनुच्छेदों को अलग-अलग खंडों में विभाजित करने का प्रयास नहीं किया गया है फिर भी जो पाठक तकनीकी चर्चा में रुचि नहीं लेते, उन्हें सूक्तियों की शाब्दिक व्याख्या से सीधे ही निष्कर्षों की व्याख्या पर चले जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि वे तकनीकी एवं औपचारिक विश्लेषण के अनुच्छेदों को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं । इस कार्य में पुस्तक में प्रयुक्त अनुच्छेदीय शीर्षक भी पाठक की सहायता करेंगे । यह पुस्तक पुस्तकालयों के लिए भी काफी उपयोगी होगी ।

उमा शंकर पालीवाल, संकाय सदस्य,
बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई 400 028.

पुस्तक का शीर्षक : कृषि परियोजना ऋण विधि और व्यवहार
लेखक : श्यामलाल गौड़
प्रकाशक : हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुंबई.
संस्करण : प्रथम आवृत्ति, 1999
पृष्ठ संख्या : 252
मूल्य : 240/- रुपये

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है । कृषि से होने वाली आय सकल राष्ट्रीय आय का 25% है । अन्य सभी उद्योगों / योजनाओं की सफलता कृषि विकास पर निर्भर है ।

मुक्त अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण के दौर में कड़ी प्रतिस्पर्धा की दौड़ में केवल अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद ही टिक पाएंगें । अतः किसानों के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे सुधरी एवं अन्य टेक्नालाजी को अपनाएं और इसके लिए उन्हें काफी पूंजी निवेश करना पड़ेगा । किसानों की जरूरतों को समय पर पूरा करने के लिए बैंकों ने अपनी भूमिका को कारगर बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । संगठनों, विशेषकर गांवों एवं अर्ध शहरों में स्थित संगठनों में विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को कृषि उधार योजनाओं संबंधी नीतियों एवं प्रक्रियाओं का पूरा ज्ञान होना अति आवश्यक है ।

इस पुस्तक का लेखक कृषि नीतियों से पूरी तरह अवगत है और उन्होंने प्रक्रियागत सभी पहलुओं को विस्तार से इस पुस्तक में रखा है । आम पाठकों के लिए तो यह जानकारी उपयोगी है ही, साथ ही कृषि ऋण कार्यों से जुड़े लोगों के लिए तो कृषि नीतियों संबंधी जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी । इससे विभिन्न परियोजनाओं को तैयार करने, उन्हें लागू करने और उनका मूल्यांकन करने में भी काफी सहायता मिलेगी । लेखक ने कुशलतापूर्वक महत्वपूर्ण विषयों, जैसे कि परियोजनाओं के वित्तीय एवं तकनीकी मूल्यांकन, गैर कृषि क्षेत्र के अधीन विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के असफल होने के कारणों का वर्णन किया है । वर्तमान परिस्थितियों में ``वसूली प्रबंधन'' संबंधी दिशानिर्देशों से फील्ड अधिकारियों को काफी सहायता मिलेगी ।

यद्यपि कृषि संबंधी सभी पहलुओं का बारीकी से विश्लेषण किया गया है तथापि पुस्तक में कुछ त्रुटियाँ भी दिखाई देती हैं । पृष्ठ 8 पर तालिका 4 में दी गई जानकारी पृष्ठ 14 पर तालिका 8 से मेल नहीं खाती । लेखक ने कुछ ऐसी योजनाओं का उल्लेख किया है जो अब प्रचलन में नहीं हैं । उदाहरण के लिए महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं, जैसे आईआरडीपी, डीडब्ल्यूसीआरए, गंगा कल्याण योजना, मिलियन वैल योजना का स्थान अब नई योजना, एसजीएसवाई ने ले लिया है । अच्छा होता यदि फील्ड अधिकारियों के लाभ के लिए इस योजना को भी पुस्तक में स्थान दे दिया जाता ।

पुस्तक की भाषा, शैली सहज एवं प्रभावकारी है एवं हिंदी पढ़ने / समझने वाले पाठकों के लिए यह महत्वपूर्ण पुस्तक है तथापि कहीं-कहीं कठिन शब्दों ``अग्रानुबंध'', ``पश्चानुबंध'', ``निधिसन'' के प्रयोग के कारण भाषा असहज हो गई है ।

कुल मिलाकर पुस्तक उपयोगी एवं पठनीय है ।

राजेन्द्र प्रसाद, सहायक महाप्रबंधक,
बैंक ऑफ इंडिया, राजभाषा प्रभाग,
प्रधान कार्यालय, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021.

पुस्तक का शीर्षक : `भारत : विकास की दिशाएँ'
लेखक : अमर्त्य सेन, ज्यां द्रीज़
अनुवादक : भवानी शंकर बागला
प्रकाशक : राजपाल एण्ड सन्ज़, कश्मीरी गेट, दिल्ली
पृष्ठसंख्या : 207
संस्करण : प्रथम, जनवरी 2000
मूल्य : 175/- रुपये

अर्थशास्त्र में विशेष योगदान के लिए विश्व के महानतम नोबल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय और एशियाई दार्शनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन तथा सह लेखक ज्यां द्रीज़ की यह पुस्तक कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। भारत रत्न प्रो. अमर्त्य सेन ने अपने चिंतन से अर्थशास्त्र को जनकल्याण की दिशा में मोड़ने का सराहनीय प्रयास किया है तथा यह ज्ञातव्य है कि उनके द्वारा किये अथवा कराये गये विभिन्न अध्ययनों के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ की विकास और अर्थनीति से संबंधित संस्थाओं ने कई वर्ष पहले ही कार्य करना आरंभ किया है तथा अनेक देशों की सरकारों ने भी उन योजनाओं को कार्यान्वित करके प्रचुर लाभ उठाया है। बताया जाता है कि प्रो. सेन को नोबल पुरस्कार प्राप्त होने के पश्चात् यह प्रवृत्ति और भी बढ़ गई है।

यह लेखकों की `इंडिया : इकनॉमिक डिवेलपमेंट एण्ड सोशल आपरट्यूनिटी' शीर्षक मूल अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी रूपांतर है। पुस्तक के प्राक्कथन में ही लेखकों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस पुस्तक में उन्होंने आर्थिक विकास के कार्यों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में विश्लेषित करने का प्रयास किया है जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक सुयोग और अवसरों की महती भूमिका रहती है। अतः लेखकों ने इसमें भलीभांति कार्य कर रही बाज़ार व्यवस्था एवं लाभप्रद विनिमय द्वारा सुलभ होनेवाली सुविधाओं के साथ ही, मानवीय योग्यताओं-क्षमताओं की मूलभूत भूमिका और उनकी प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य-सेवाओं, स्वामित्व अधिकारों, सामाजिक क्रमानुसार वर्गीकरण, स्त्री-पुरुष संबंधों और सामाजिक-राजनीतिक सहयोग, स्पर्धा एवं विरोध के अवसरों पर निर्भरता की बात भी उठायी है।

पुस्तक आठ अध्यायों में विभाजित है–`विषय प्रवेश', `आर्थिक विकास एवं सामाजिक अवसर', `भारत : तुलनात्मक दृष्टि से', `भारत और चीन', `सार्वजनिक प्रयास और सामाजिक विषमता', `प्राथमिक शिक्षा : एक राजनैतिक मुद्दा', `नर-नारी वैषम्य एवं नारी की भूमिका' तथा `उदारीकरण से आगे, बहुत आगे'। `विषय प्रवेश' में बताया गया है कि भारत की स्वतंत्रता-प्राप्ति के समय नेहरू जी ने देश को सजग किया था कि भविष्य में गरीबी और अज्ञानता तथा बीमारियों एवं अवसरों की असमानता को समाप्त करने के लिए भी प्रयास करने होंगे तथा इन्हीं कार्यों के प्रति यह पुस्तक समर्पित है क्योंकि ये आज भी अधूरे ही हैं।

दूसरे अध्याय में विकास अर्थशास्त्र के संदर्भ में आर्थिक विकास, स्वतंत्रता और सामाजिक अवसरों के संबंध में विचार करते हुए कहा गया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद आदि की वृद्धि के साथ-साथ मानवीय योग्यताओं और क्षमताओं के संवर्धन को भी ध्यान में रखना होगा। अंततः हमें विभिन्न नीतियों का मूल्यांकन इसी आधार पर करना होगा कि क्या उनसे जनसामान्य के लिए सुलभ योग्यताओं का संवर्धन हो रहा है अथवा नहीं। विकास कार्यक्रम की सफलता का मानदंड केवल उत्पादन और आय की वृद्धि नहीं हो सकता, इसमें तो लोगों के सहज जीवन-यापन स्तर पर बल दिया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों के संबंध में यह बताया गया है कि उनमें अंतर्निहित महत्व क्या है तथा वे कैसे वैयक्तिक और सामाजिक रूप से प्रक्रियाओं में और सामर्थ्यवर्धन एवं पुनर्वितरण में सहायक हैं।

तीसरे अध्याय में पिछले कुछ दशकों में विकासशील देशों की जीवन-दशाओं में हुई प्रगति के साथ जीवन की आशा, शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता आदि बातों में भारत को तुलनात्मक दृष्टि से देखा गया है। राजनीतिक अस्थिरता, सैनिक तानाशाही, गृहयुद्धों और बारंबार पड़नेवाले अकालों से पिछले 50 वर्षों से मुक्त रहने के बावजूद हम इन अच्छे हालात का लाभ उठाकर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय प्रगति कर पाने में असफल ही रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा में विफलता तथा उच्च शिक्षा और शोध कार्यों में भारी सफलता भारत के वर्तमान युग के विकास अनुभवों का अधिक लज्जाजनक पहलू है। द. कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर, ताईवान आदि अन्य देशों के अनुभव के संबंध में देखा गया है कि ये बाज़ार की स्वतंत्रता और विस्तार

के कारण सृजित अवसरों का सामाजिक प्रगति के संदर्भ में बहुत अच्छी तरह लाभ उठा पाये हैं ।

चौथा अध्याय विशेषतः भारत और चीन से संबंधित है जिसमें चीन विषयक धारणाओं का उल्लेख करते हुए जीवन एवं मरण की परिस्थितियों तथा बुनियादी शिक्षा में अन्तर, चीन में सुधार-पूर्व की उपलब्धियों और 1979 के सुधार के बाद की स्थिति, सुधारपूर्व एवं सुधारोपरांत निष्पादन, निरंकुशता, अकाल एवं दुर्बलता, दमन-चक्र, जनसंख्या और जनन-क्षमता आदि पर प्रकाश डालते हुए यह बताने का प्रयास किया गया है कि भारत चीन से समझदारी के साथ बहुत कुछ सीख सकता है। चीन के अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिखाया है कि एक ओजपूर्ण बाज़ार व्यवस्था को यदि सामाजिक नीतियों का उचित सहारा मिले तो यह जनसामान्य को विपन्नता की दलदल से निकालकर उनकी जीवन-दशाओं में आमूलचूल परिवर्तन ला पाने में सफल हो सकती है। विभिन्न अवधियों में चीन में अपनायी गयी नीतियों के कारणों और प्रभावों के सम्यक विश्लेषण से ही हमें उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है ।

पाँचवें अध्याय में सार्वजनिक प्रयासों और सामाजिक विषमता के संबंध में जनसामान्य और उसकी भूमिका के तहत देखा गया है कि ग्रामीण भारत की राजनीतिक धारा की दिशा इस राजनीतिक विकास क्रम को आर्थिक विकास एवं सामाजिक अवसरों के सृजन की ओर मोड़ने में बहुत सहायक हो सकती है । स्वतंत्रता के बाद से सामाजिक, आर्थिक विषमताओं की गहनता एवं विस्तार के स्वरूप और विभिन्न आयामों का आकलन करते हुए माना गया है कि व्यापक साक्षरता से अनेक सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की सिद्धि में बहुत योगदान मिलेगा । साथ ही, कहा गया है कि आर्थिक सुधारों और सामाजिक विषमताओं के बीच किसी प्रकार का पूर्वनिर्धारित संबंध नहीं होता । स्थानीय स्वशासन और सामाजिक सुधारों के संबंध में भी विचार करते हुए यह देखा गया है कि विधायी सुधारों की वास्तविक सफलता अन्य क्षेत्रों में जनसामान्य की सक्रियता पर ही निर्भर करेगी। अतः इन सुधारों के साथ-साथ सामाजिक परिवर्तन के और सक्रिय एवं व्यापक कार्यक्रम चलाये जाने आवश्यक हैं ।

छठें अध्याय में प्राथमिक शिक्षा को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में लेकर विचार किया गया है । शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के लिए उसकी असंदिग्ध भूमिका का विवेचन करने के अलावा इसमें अन्य कई देशों की तुलना में भारत में स्कूली शिक्षा की दयनीय दशा को रेखांकित किया गया है । स्वतंत्रता के बाद से भारत की शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त विसंगतियों, पूर्वाग्रहों और भ्रामक नीतियों का खुलासा करते हुए इस संबंध में राजकीय व्यय का महत्व भी बताया गया है तथा इसके लिए अपेक्षित प्राथमिकताओं एवं चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा सुविधाओं के प्रावधान और उसके उपयोग तथा शिक्षा की अनिवार्यता के बारे में भी विचार किया गया है । यह बताया गया है कि आर्थिक परिवर्तन, सार्वजनिक कार्यों और जन आंदोलनों के द्वारा भारत में नारी शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण सुखद परिवर्तन ला पाना संभव है । शिक्षा और इस संबंध में राजनीतिक सक्रियता के संदर्भ में सरकारी क्रियाकलापों में विद्यमान त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है ।

सातवाँ अध्याय नर-नारी वैषम्य एवं नारी की भूमिका पर है । अभावग्रस्त नारी और नारियों के अभाव के सिलसिले में स्त्री-पुरुष अनुपात की न्यूनता के बारे में विभिन्न देशों के साथ तुलना करते हुए भारत के विभिन्न राज्यों में विद्यमान अंतर इसके कारणों सहित बताये गये हैं । बालिका-वध जैसी सामाजिक कुरीति और मुस्लिम-प्रभाव को मिथ्या धारणाएँ करार देते हुए स्पष्ट किया गया है कि बच्चों के जीवित रह पाने में लिंग की प्रवृत्तियाँ क्षेत्रीय आधार पर अधिक सादृश्यपूर्ण हैं, न कि धार्मिक वर्ग के आधार पर । समयानुसार स्त्री-पुरुष अनुपात की प्रवृत्ति में निरंतर आ रही कमी की चर्चा के साथ ही, नारी की भूमिका और बच्चों के जीवन पर उसके प्रभाव के संदर्भ में समाज के सामान्य कुशल-क्षेम के लिए नारी शिक्षा का महत्व बताया गया है । नारी की बृहत्तर भूमिका की चर्चा करते हुए यह कहा गया है कि नारी विमुक्ति केवल नारीवादी मुद्दा नहीं है, यह तो सामाजिक प्रगति का एक अभिन्न अंग है ।

आठवें अध्याय में उदारीकरण का प्रारंभ, उसमें हुई प्रगति और भावी संभावनाओं का उल्लेख किया गया है । 1991 में नये चुनावों के बाद प्रारंभ हुई आर्थिक नीतियों को ही आर्थिक सुधारों का नाम दिया गया है । इनमें `लाइसेंस राज' और `सदा संवर्धनशील अफसरशाही' दोनों के ही निराकरण पर बल दिया गया है । यद्यपि सुधार कार्य उतनी तीव्र गति से तो नहीं चल पाया जितनी अपेक्षा थी, फिर भी इस दिशा में गंभीरता से प्रयास अवश्य हुआ है । इससे यह आशा भी बँधी है कि जैसे-जैसे हालात अनुकूल होंगे इस कार्य में और तेजी आ पाएगी । इस उदारीकरण के फलस्वरूप कुछ एक क्षेत्रों के निर्यात में बहुत वृद्धि हुई है और विदेशी मुद्रा भंडारों में भी यथोचित सुधार हो पाया है । विश्व समुदाय ने भी इनका जमकर स्वागत किया है । विदेशी निवेशकों ने बहुत उत्साह दिखाया है और इन नयी नीतियों को वित्तीय दृष्टि से बहुत ही अच्छा ठहराया गया है । अमेरिकी व्यवसायी जगत ने भी आशा व्यक्त की है कि भारत सबसे श्रेष्ठ उदीयमान बाज़ार सिद्ध हो सकता है । लेखकों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक परिवर्तन के लिए बड़ी-बड़ी बातों की नहीं, वास्तविक प्रयास एवं प्रतिबद्धता की आवश्यकता है ।

बस, यही नहीं हो पाया है । आमूल परिवर्तन की ओर ध्यान दिलाते हुए आर्थिक विकास में सरकारी और जनता की सक्रियता की आवश्यकता बतायी गयी है ।

परिशिष्ट में भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास के अनेक पहलुओं पर आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं । चुने हुए एशियाई देशों के विकास सूचकों के साथ भारत की तुलना की गई है तथा भारत की प्रादेशिक विविधताओं का आकलन किया गया है । भारत के राज्यों में आर्थिक विकास और सामाजिक अवसरों का विस्तृत चित्रण करते हुए प्रति व्यक्ति आय, जन्म और मृत्यु, साक्षरता तथा शैक्षणिक उपलब्धियाँ, स्कूल उपस्थिति और प्रवेश, स्त्री-पुरुष भेद विषयक एवं मातृ स्वास्थ्य और सामाजिक उपरि संरचना आदि से संबंधित जानकारियाँ कुछ विशेष सूचकों के संदर्भ में विस्तृत रूप में तालिकाओं द्वारा दी गई हैं ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि इस पुस्तक में विशेष रूप से भारत के समग्र विकास की दृष्टि से प्रो. सेन ने लगभग हर महत्वपूर्ण पहलू को लेकर विचार किया है । काफी विस्तार से सार्वजनिक साक्षरता, स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन, स्त्री-शक्ति का विकास आदि मूलभूत आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला गया है जिनके बिना पर्याप्त उन्नति करना असंभव है । इन सभी विषयों की प्रस्तुति आंकड़ों के साथ होने के कारण यह अध्ययन सार्थक और विश्वसनीय बन गया है । प्रो. सेन ने भारत की तुलना चीन सहित पूर्वी एशिया के अनेक देशों से की है जिन्होंने व्यापक साक्षरता, स्त्री-सहयोग आदि के सहारे बड़ी तीव्र गति से विकास किया है । उनकी धारणा है कि भारत को लोकतंत्र तो बनाये रखना चाहिए, परंतु सामाजिक अवसर प्रदान करनेवाले सभी कार्यक्रम अविलंब आरंभ करने चाहिए ।

पुस्तक में आद्यंत जो बात दिल को छू लेती है वह इस सत्य को लेकर लेखक की व्यथा है कि स्वतंत्र होने के 50 वर्ष बाद भी भारत पर्याप्त विकास क्यों नहीं कर पाया है जिससे देश के कोटि-कोटि जन अभी भी गरीबी, अशिक्षा, बीमारी और असमानता के शिकार हैं । लेखक मानते हैं कि यद्यपि भारत ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है तथा निरंतर पड़नेवाले अकालों से विमुक्ति, बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का बने रहना तथा बहुत बड़े वैज्ञानिक प्रतिभासंपन्न समुदाय का उदय आदि सामाजिक और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में हमारी गौरवशाली उपलब्धियाँ हैं, तथापि गरीबी, अज्ञान, बीमारियों और अवसरों की विषमता मिटाने के संदर्भ में हमारी सफलताएँ आज भी सीमित हैं और उन लक्ष्यों की प्राप्ति से हम अन्य विकासशील देशों की तुलना में अभी भी बहुत दूर हैं । अतः किसी अतिवाद के बिना संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए इस संदर्भ में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के कारणों को तलाशने और उन्हें यथाशीघ्र दूर करने के लिए कारगर उपाय सुझाने की ईमानदार चेष्टा की गई है । भारत अपने और अन्य देशों के अनुभव से क्या सीख सकता है, इसकी दिशा स्पष्ट करते हुए इस बात की ओर इंगित किया गया है कि वर्तमान भारत की राजनीतिक, आर्थिक नीतियों पर चल रहे विचार-मंथन को आर्थिक सुधार, उदारीकरण और नियंत्रण घटाने से जुड़े परिचित परिवेश से कहीं आगे ले जाने की आवश्यकता है तथा इस दिशा में सरकार ही नहीं, जनसामान्य को भी बहुत ध्यान देना होगा ।

अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक ऊहापोह से अलग, यह व्यावहारिक धरातल पर वस्तुस्थिति से साक्षात्कार कराकर चिंतन और कार्य के प्रति प्रेरणा देते हुए उपयुक्त दिशाबोध करानेवाली अनूठी कृति है जो कई मायनों में अपना विशिष्ट स्थान रखती है । विषय की व्यापकता को देखते हुए सभी संबंधित पहलुओं को भली भांति ऐसी छोटी पुस्तक में समेटना सरल कार्य नहीं है, फिर भी सामान्य पाठकों से लेकर विषय के विशेषज्ञों तक सबके लिए इसमें सोचने-समझने और करने के लिए बहुत कुछ है । मूल अंग्रेजी संस्करण का पिछले दो वर्षों में दस पुनर्मुद्रण होना इसके सामयिक महत्व और प्रासंगिकता को सिद्ध करता है । अनुवाद ही सही, जनभाषा में ऐसी पुस्तक का प्रकाशन निश्चय ही स्वागतयोग्य है । पुस्तक का मुद्रण सुंदर तथा गेट-अप आकर्षक है ।

जहाँ तक पुस्तक की भाषा का प्रश्न है, अनुवाद विषय के अनुरूप और मूल अंग्रेजी के प्रभाव के बावजूद प्रवाहमयी है । जहाँ `गरीबतम' जैसे कतिपय विशिष्ट प्रयोग हैं, वहीं छपाई की कुछ त्रुटियाँ खटकती हैं, जैसे विविधता पूर्व (विविधतापूर्ण), विचार विमर्ष (विचार विमर्श), दिए गए (दिये गये), प्राथमिकता शिक्षा (प्राथमिक शिक्षा), दुष्चक्र (दुश्चक्र), बन्ध्याकरण (वन्ध्यीकरण) आदि । पृष्ठ 168-169 पर एक वाक्यांश ``...किन्तु सामाजिक पिछड़ेपन एवं वर्ग विशेष...'' दुहराया गया है । पुस्तक में `एवं' शब्द के अत्यधिक प्रयोग से भी बचा जा सकता था । फिर भी, पुस्तक के विशिष्ट ध्येय को ध्यान में रखते हुए ये त्रुटियाँ सहनीय हैं, हालांकि इन्हें अगले संस्करण में ठीक किया जा सकता है । कुल मिलाकर यह एक अवश्य पठनीय पुस्तक है जिसके लेखक, अनुवादक और प्रकाशक बधाई के पात्र हैं ।

डॉ. के. वी. नरसिंह राव, सहायक महाप्रबंधक,
मौद्रिक नीति विभाग,
भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय,
फोर्ट, मुंबई 400 001.

■

लेखकों से

'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' बैंकिंग विषयों को समर्पित एकमात्र पत्रिका है जिसकी प्रतियाँ बैंकों की शाखाओं, कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थाओं के अलावा भारतीय रिज़र्व बैंक, उसके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, विभागों आदि को उपलब्ध करायी जाती हैं। इस प्रकार यह पत्रिका समूचे बैंकिंग क्षेत्र में पाठकों के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा पढ़ी जाती है।

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखनेवाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए। बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है। साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं। प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर सांकेतिक मानदेय देने की व्यवस्था है। ***कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :-***

- सामग्री ***बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों*** पर ही है।
- उसमें दी गयी जानकारी ***उपयोगी*** और ***अद्यतन*** है एवं ***अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों*** में है।
- वह कागज के ***एक ओर*** स्पष्ट अक्षरों में ***लिखित*** अथवा ***टंकित*** है।
- यथासंभव ***सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली*** का प्रयोग किया गया है।
- यह प्रमाणित करें कि लेख ***मौलिक है***, प्रकाशन के लिए ***अन्यत्र नहीं भेजा गया है*** और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है।
- लेख में शामिल ***आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत*** का स्पष्ट उल्लेख करें।
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि ***जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती***, संबंधित लेख किसी ***अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए***।

पाठकों से

- इस पत्रिका के वर्ष में चार अंक निकलते हैं।
- वर्तमान ग्राहक वर्ष 2000-2001 में प्रत्येक अंक की कीमत रु. 15/- (रुपये पंद्रह मात्र) और वार्षिक अभिदान रु. 60/- (रुपये साठ मात्र) है।
- उक्त राशि आप हमें भारतीय रिज़र्व बैंक के नाम मुंबई में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट से निम्न पते पर भेज सकते हैं : प्राचार्य, बैंकर प्रशिक्षण महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रकाशन कक्ष, वीर सावरकर मार्ग, दादर, मुंबई 400 028।
- ये अंक जारी होने पर आपको बुक-पोस्ट द्वारा भेजे जाएंगे।
- हमारे पुराने अंक संकलित रूप में उपलब्ध नहीं हैं।
- पिछले अंकों में जुलाई-सितंबर 95 से जुलाई-सितंबर 98 तक की हर तिमाही के अंक उपलब्ध हैं। इनकी कीमत प्रति अंक रु. 7.50 है। केवल जुलाई-सितंबर 97 के संयुक्तांक की कीमत रु. 15/- है।
- अक्तूबर-दिसंबर 98 से अब तक के अंकों की कीमत प्रति अंक रु. 15/- है।
- कृपया आप पत्रिका के जो अंक खरीदना चाहते हैं उनके मूल्य भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में मुंबई में देय मांग ड्राफ्ट द्वारा भेज दें ताकि हम आपको पत्रिका प्रेषित कर सकें।

केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस)

रिज़र्व बैंक के मूल कार्यों में से एक बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करना है। रिज़र्व बैंक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, राज्य अनुसूचित बैंकों तथा अन्य अनुमोदित अर्ध सरकारी संस्थाओं के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है और साथ ही साथ यह केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों का भी बैंकर है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रिज़र्व बैंक का जमा लेखा विभाग अनुसूचित/गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, अनुसूचित/ गैर-अनुसूचित सहकारी बैंकों, अन्य सहकारी बैंकों, विदेशी केन्द्रीय बैंकों, अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि के चालू खाते रखता है। जमा लेखा विभाग बैंक की लेखाकरण इकाई का वह केन्द्रीय स्थल है जहां रिज़र्व बैंक के सभी वर्गीकृत खातों को प्रणालीबद्ध तरीके से बनाये रखा जाता है। नकदी जमा, नकदी भुगतान, समाशोधन समायोजन, अंतर-बैंक अंतरण, इन खातों पर चेक जारी करना, प्रेषण सुविधाएँ, जैसे तार अंतरण जारी करना और उनका नकदीकरण, डाक अंतरण और ड्राफ्ट जैसे सामान्य बैंकिंग कार्य भी जमा लेखा विभाग में किये जाते हैं।

इस कार्य को आसान बनाने और रिज़र्व बैंक के पास सांविधिक जमाराशियाँ बनाये रखने के लिए बैंक रिज़र्व बैंक के पास खाते खोलते हैं। जमा लेखा विभाग के पास मूलतः दो प्रकार के चालू खाते रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, प्रधान खाता - यह सामान्यतः उस केंद्र में होता है जहाँ खाताधारक बैंक की सांविधिक जमाराशियाँ बनाये रखने के लिए बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है। रिज़र्व बैंक के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में भी बैंकों के सहायक और गौण खाते रखे जाते हैं।

भावी दृश्यपटल के लिए भुगतान और निपटान प्रणालियों की तत्काल उपलब्ध होनेवाली सुविधा वाणिज्य बैंकों के निधि और खज़ाना प्रबंधकों के लिए मध्यस्थ सेवा सुविधा का निर्माण है, जिसके माध्यम से वे रिज़र्व बैंक के सभी जमा लेखा विभागों में, उनकी जमाराशियों के संबंध में समेकित और खाता-वार, केन्द्र-वार स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। वीसैट टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाये गये सैटेलाइट आधारित वाइड एरिया नेटवर्क से, इन्फिनेट, जिसके उपभोक्ता सदस्यों के रूप में अनेक बैंक हैं, स्थापित हो जाने से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

इस प्रकार की प्रणाली को प्रभावी और कारगर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि निपटान प्रणालियों की सही व्याख्या की जाए। निपटान प्रभावी बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि रिज़र्व बैंक में ग्राहकों के खातों से ही लेनदेन किये जायें। इसके लिए ऐसी प्रणाली का होना आवश्यक है जो सभी ग्राहक खाताधारकों को न केवल अपने खाते प्रभावी रूप से चलाने की अनुमति दे, बल्कि सभी जमा लेखा विभागों में उनके खातों की बकाया जमाराशि की अद्यतन स्थिति भी सूचित करे। प्रस्तावित केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली से यह संभव हो सकेगा।

ऐसी केंद्रीकृत सुविधा, जहाँ हर बैंक रिज़र्व बैंक के पास होनेवाली अपनी अद्यतन समेकित केंद्र-वार और खाता-वार बकाया जमाराशि की स्थिति जान सके, मिल जाने से बैंक अपने निधियों का प्रबंधन अधिक किफायती रूप से कर सकने में कामयाब होंगे। इस अर्थ में केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली, वास्तविक सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) की अग्रवर्ती होगी। अतः केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली तैयार करते समय, वास्तविक सकल निपटान प्रणाली की आवश्यकताओं को भी ध्यान में लिया गया है तथा इसे कार्यान्वित करने पर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेज़ के माध्यम से उसमें बेजोड़ एकीकरण की क्षमता दिखायी देगी। केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली की मूल विशेषताएँ निम्नानुसार हैं:-

- विभिन्न जमा लेखा विभागों में रखे गये चालू और अन्य खातों पर आधारित केंद्रीकृत निधि पूछताछ प्रणाली (सीएफईएस)।
- केंद्रीकृत निधि अंतरण प्रणाली (सीएफटीएस), जिससे जमा लेखा विभाग की विभिन्न साइटों, स्थानीय प्राधिकरण और ग्राहक के केंद्रीकृत निधि प्रबंधक के प्राधिकरण दोनों के आधार पर, निधियों का अंतरण संभव होगा।
- जब ये दोनों सिस्टम स्थापित हो जायेंगे तो इसका अर्थ होगा एक वर्चुअल जमा लेखा विभाग, अर्थात् केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली का गठन।

केंद्रीकृत निधि प्रबंधन प्रणाली के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने का कार्य बाहर की एजेंसी को दिया गया है और इस पर काम चल रहा है। पूरा हो जाने के बाद इसे पहले चरण में पूछताछ सुविधाओं के साथ लागू किया जायेगा और दूसरे चरण में निधि अंतरण सुविधाओं के साथ इसे लागू करने का प्रस्ताव है।

■

(स्रोत : रिज़र्व बैंक न्यूज लेटर के 31 अक्तूबर, 2000 अंक से साभार)

इस अंक के लिए संपादक मंडल की बैठक दिनांक 20 अक्तूबर 2000 को संपन्न हुई। इसमें महाविद्यालय से सम्बद्ध संकाय सदस्य सर्वश्री अमरेन्द्र मोहन, शरदकुमार और डी. जी. काले का योगदान रहा और राजभाषा कक्ष से सम्बद्ध सावित्री सिंह, स्मिता आपटे, गौरी करंदीकर, एम. वी. चांदनानी और रुपाली आंबेकर का सहयोग प्राप्त हुआ।

पंजीकरण सं. 470 43/88

हिमालय से कुमारी अन्तरीप तक के
निवासियों के लिए एक भाषा और एक लिपि
का होना जरूरी है ।

बाबू शारदाचरण मित्र